खण्ड-206, अंक-8
मंगलवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(25 अगस्त, 1959 ई0)

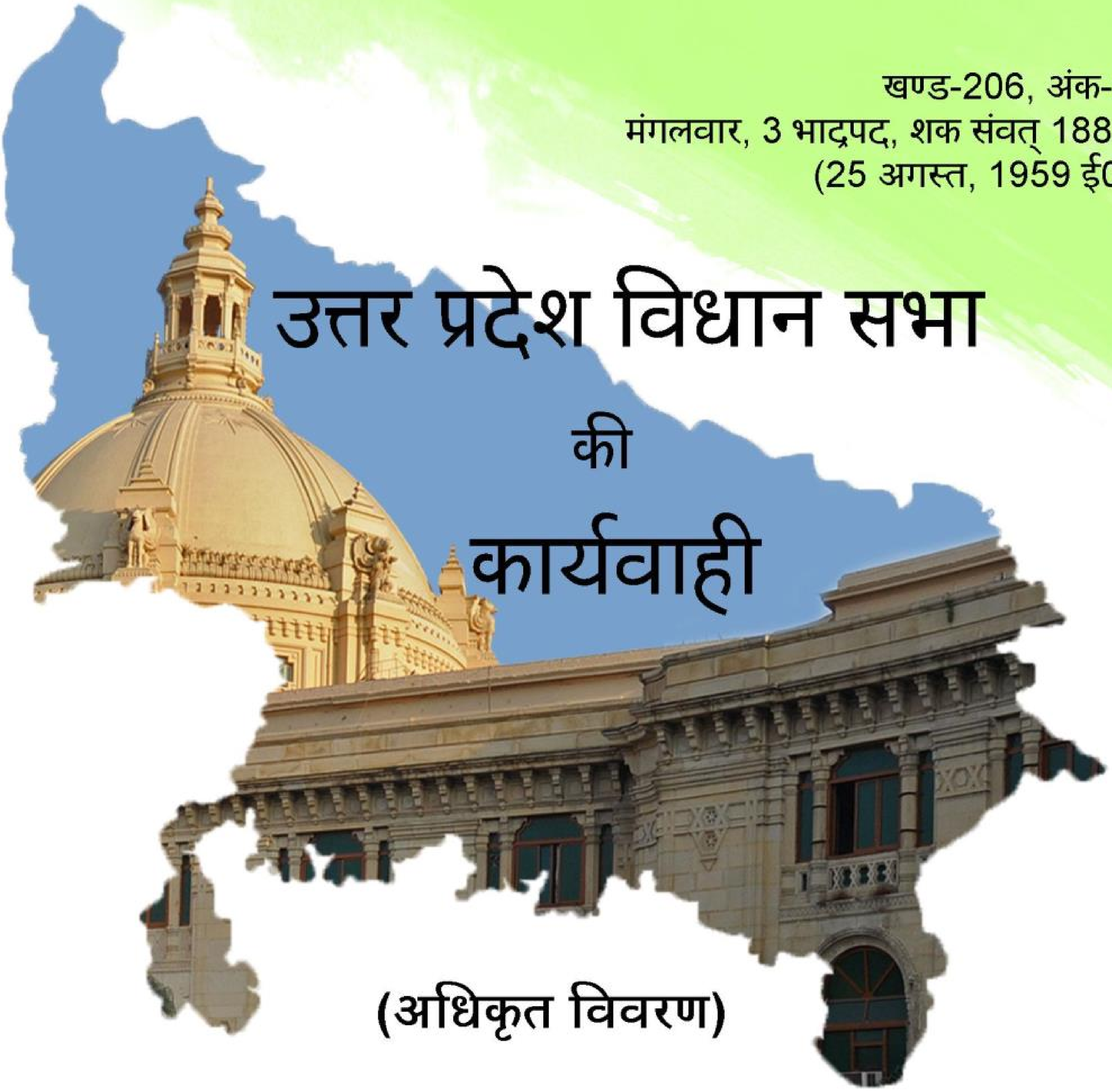

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९

---

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

### उपस्थित सदस्य—३७६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

अध्यक्ष प्रदेश सभा

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री,
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री

राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रफनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखनसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वमराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द स्वामी, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इसलाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

उपमंत्री श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

---

# प्रश्नोत्तर

---

## मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, अल्मोड़ा

**१—श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्मोड़ा के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अल्मोड़ा से हटा कर कहीं अन्यत्र रखा जा रहा है? अगर हां, तो क्या अल्मोड़े में कोई नया औद्योगिक स्कूल खोला जायगा?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि हम वहां पल्टन रखना चाहते हैं इसलिये आपको एक आध साल के भीतर हटाना पड़ेगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अल्मोड़ा से यह इंस्टीट्यूट नहीं हटेगा इसके सिवा मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अगर यह हटाना पड़ा तो क्या माननीय मंत्री जी उसे वहीं के इलाके में कहीं रखने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष---वे कह रहे हैं कि हटाया नहीं जायगा और आप जिद कर रहे हैं।

## केन डेवलपमेंट कामदार ऐसोसिएशन का मांग-पत्र

**२---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सहकारिता मंत्री को उत्तर प्रदेश केन डेवलपमेन्ट कामदार ऐसोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी द्वारा गत ३ अगस्त, १९५९ को भेजा गया मांग-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र में की गयी मांगें तथा उनके प्रति सरकारी दृष्टिकोण सदन के सम्मुख रखेगी?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---उत्तर प्रदेश केन डेवलपमेन्ट कामदार ऐसोशियेशन का एक मांग-पत्र कृषि व सहकारिता मंत्री जी को ८ अगस्त, १९५९ को प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयी हैं :---

१---हम लोगों को Living wage कम से कम ५० रु०, वेतन-क्रम ५०-२-६०-४-८० में दिया जाय।

२---सुपरवाइजरों के पदों की भर्ती में कम से कम ७५ प्रतिशत स्थान कामदारों के लिये सुरक्षित किये जायं।

३---सुपरवाइजरों के पदों पर पदोन्नति, ज्येष्ठता, दक्षता और ईमानदारी के आधार पर की जावे।

४---हम लोगों की सेवायें तृतीय श्रेणी में रखी जावें।

इन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री मदन पांडेय---माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया है उसमें मांग नम्बर तीन का जिक्र करते हुए बताया है कि दक्षता, ज्येष्ठता और ईमानदारी के आधार पर पदोन्नति की जाय और इसका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है कि विचार किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अबतक जो प्रोमोशन होते रहे हैं वे उपर्युक्त बातों के आधार पर नहीं किये जाते रहे हैं?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जब यह उत्तर दिया जाता है कि उस पर विचार किया जा रहा है तो उसके माने यह नहीं होते कि वह चीज मन्जूर नहीं है या वह हो नहीं रही है। इस वक्त मेरिट पर प्रोमोशन होता है और अनफिट को निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या-क्या है और क्या-क्या हो रहा है ये सब चीजें स्क्रुटिनाइज हो रही हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में कामदारों की संख्या के अनुपात में उनको तरक्की और दूसरी सहूलियतें नहीं दी गयी हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---इस वक्त जो सुपरवाइजर हैं उनमें से ४० फीसदी कामदारों में से लिये जायं, ऐसा नियम है। अगर कहीं कोई गलती हो गयी हो तो बता दें, मैं देख लूंगा। जहां तक केन यूनियन्स के कामदारों का सम्बन्ध है यह चीज केन फेडरेशन के अधीन है, गवर्नमेंट से सीधा इसका ताल्लुक नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या उनकी मांगों में जो यह शिकायत है कि नियुक्तियों में पक्षपात आदि किया जाता है उसकी जांच सरकार ने की है और वह सही पायी गयी है?

श्री मोहन लाल गौतम---आमतौर की शिकायत के बारे में मैं क्या कहूं, अगर कहीं कोई गलती रह गयी हो तो उसको देखा जा सकता है।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि मांग नम्बर ३ के सम्बन्ध में यह शिकायत की गयी है कि जो १७ वर्ष से कामदार काम कर रहे हैं उनके बजाय नये व्यक्तियों को प्रोमोट किया गया ? यदि यह सही है तो ऐसा किन कारणों से किया गया और विचार करने के बाद उन मांगों की स्वीकृति के सम्बन्ध में जब सरकार निर्णय करेगी तो क्या उसमें इस गलती को भी दुरुस्त करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां, यह उनकी मांग है लेकिन सरकार के पास इस प्रकार की इससे पूर्व कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

## बलिया बैरिया बांध को गंगा के कटाव से बचाने की प्रार्थना

**३---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि बलिया बैरिया बांध की दूरी, हल्दी ग्राम के निकट एक स्थान पर गंगा की कटान से प्रायः ६० गज रह गयी है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीर सिंह)---जी हां ।

श्री गौरी शंकर राय---क्या यह सही है कि जैसा कि प्रश्न में है कि कटान से बांध की दूरी केवल ६० गज है तो इस समय रुद्रपुर के पास कटान से बांध की दूरी केवल ३०-३५ गज रह गयी है ?

श्री महावीरसिंह---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या जब कटान से बांध को खतरा इतना नजदीक है तो सरकार दूसरा आल्टरनेटिव इंतजाम क्या कर रही है ?

श्री महावीरसिंह---वर्तमान वर्षाकाल में कटाव की दशा को देखकर अंतिम निर्णय किया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही नहीं है कि चालीस-पचास गज की दूरी वर्षाकाल में एक दिन में भी पूरी हो सकती है तो ऐसी हालत में जब कि खतरा है कि बांध इसी वर्षाकाल में कट जायगा, उसको बनाने के लिये सरकार के पास दूसरी व्यवस्था क्या है ?

श्री महावीरसिंह---ऐसा डर कम है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बांध के बचाव के लिये सस्ते खर्चे पर कोई ठोकर बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---जी हां, वर्तमान बांध के पृष्ठ भाग में एक रिटायर्ड बांध १·६४ लाख की अनुमानित लागत से बनाने का प्रस्ताव है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बतायेगी कि यह काम कब से शुरू होने वाला है ?

श्री महावीर सिंह---वर्षा के बाद कटाव देखकर इसका निर्णय किया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---कटान अभी जारी है उसको रोकने के लिये इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---इस समय इसकी कोई सूचना नहीं है और जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया कि मानसून में कितना कटाव हो रहा है इसको देख कर मानसून के बाद काम किया जायगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि डर कम है तो यह उनका निजी अनुभव है या किसी रिपोर्ट के आधार पर बताया है?

श्री महावीरसिंह—दोनों ही इसमें लगाये गये हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को जानकारी है कि गंगा में पानी बढ़ रहा है तो कटान भी होगा?

श्री महावीरसिंह—इसमें बनारस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और तरफ डर नहीं है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्न।]

*१—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

### नाविक जल मजदूर संघ का मांग-पत्र

*२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि "नाविक जल मजदूर संघ" उत्तर प्रदेशीय शाखा ने २१ अगस्त, दिनांक शुक्रवार, सन् १९५९ को प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों के केन्द्रों पर भूख हड़ताल करने का निश्चय किया है?

श्री महावीरसिंह—जी हां।

*३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को उक्त "नाविक जल मजदूर संघ" की ओर से कोई मांग-पत्र भी प्राप्त हुआ है?

श्री महावीरसिंह—जी हां।

*४—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो सरकार की ओर से इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही की गई?

श्री महावीरसिंह—मांगों के संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३२-७३३ पर)

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नाविक जल मजदूर संघ की ओर से भूख हड़ताल की सूचना सरकार को दी गयी थी २१ अगस्त से, तो यह कहां-कहां पर हुई? इसके बारे में सरकार के पास क्या सूचना है?

श्री महावीरसिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि जब नदियों के ठेके पी० डब्लू० डी० या जिला बोर्ड की तरफ से दिये जाते हैं तो उनको देने के लिये, जो जल नाविक मजदूर संघ या कोआपरेटिव्ज हैं, वह अगर टेंडर में आते हो तो उनको प्राथमिकता दी जाय और सरकार उनको विशेष तरजीह दे, ऐसा कोई विचार है?

श्री महावीरसिंह—जब ऐसी कोई कोआपरेटिव्ज बन जायं तो सदस्य महोदय हमारी नोटिस में लायें। जरूर विचार किया जायगा।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पहले सवाल के जवाब में उन्होंने बताया है कि नदियों में जहां कहीं पर जमींदार लोग मछली का ठेका नीलाम नहीं करते वे वहां पर गांव समाज वगैरह की बात बतायी गयी है और कहा गया है कि जिलाधीश इस प्रस्ताव पर अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं और मछली मार कर अपनी जीविका कमाते हैं उनको नुकसान न पहुंचे....

श्री अध्यक्ष---आप उत्तर पढ़ रहे हैं ?

श्री झारखंडेराय---मैं इसी पर सवाल पूछ रहा हूं। पहले सवाल के जवाब में जो कहा गया है कि जिलाधीश इस बात का ध्यान रखेंगे, तो क्या प्रदेश के सभी जिलाधीशों को इस प्रकार का आदेश जारी कर दिया गया है या जारी करने का विचार है ?

श्री महावीरसिंह---जवाब में स्पष्ट है। अगर वह इसको एक दफा और पढ़ लें तो ज्यादा समझ में आ जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो उनकी मांगें हैं उनमें एक मुख्य मांग यह है कि फेरीज ऐक्ट का पालन घाट के ठेकेदार नहीं करते हैं तो सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है कि फेरीज ऐक्ट का ठीक से पालन हो सके ?

श्री महावीरसिंह---ऐसी इत्तला तो आप ही दे रहे हैं। उनकी डिमांड्स में तो ऐसा है नहीं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूख हड़ताल से पूर्व सूचना के अनुसार सरकार ने कौन-सा ऐसा प्रयत्न किया कि जिससे भूख हड़ताल २१ तारीख को न हो सके ?

श्री गिरधारीलाल---पहले इसकी सूचना तो मेरे पास आयी नहीं थी। लेकिन माननीय झारखंडेराय जी ने इसी महीने में किसी वक्त इस सिलसिले में मुझ से बातचीत की थी। मैंने उनको कुल परिस्थिति बतायी और कहा कि जहां तक हो सकेगा उन की मांगें पूरी करने की हम कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष---वह पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की कि भूख हड़ताल न हो। २१ तारीख गुजर चुकी है। पहले यह मालूम होना चाहिये कि तारीख २१ से भूख हड़ताल हुई या नहीं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २१ तारीख से भूख हड़ताल हुई या नहीं ? यदि हुई है तो उससे पूर्व जब सूचना मिली थी तो २१ तारीख को भूख हड़ताल न हो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीर सिंह---इसकी सूचना नहीं कि भूख हड़ताल शुरू हुई या नहीं। जहां तक इंतजाम करने का ताल्लुक है जो राज्य व्यवस्था करनी पड़ती है, वह हुई होगी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि इस विधान भवन के सामने अपनी मांगों के लिये उनकी २४ घंटे प्रतीक हड़ताल हुई है ?

श्री महावीरसिंह---इसकी इत्तला नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों का यह आन्दोलन प्रदेश में कब से चल रहा है और सरकार के पास सबसे पहले सूचना कब आयी ?

श्री महावीरसिंह---कुछ पहले से चल रहा है और १९५६ में संभवतः नाविक जल मजदूर संघ ने मांग की थी।

## बांड गंगापुर नाले की खुदाई रुकने से क्षति

*५--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने बांड गंगापुर, नाला एन० ई० एस० ब्लाक हसायन (अलीगढ़) को खोदने से रोक दिया है ?

श्री महावीरसिंह--सरकार द्वारा ऐसी कोई रोक नहीं लगायी गयी किन्तु सिंचाई विभाग द्वारा नाले का जो एलाइनमेंट (alignment) बनाया गया था उसके विरुद्ध स्थानीय लोगों की आपत्ति के कारण नाले के लिये लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि प्राप्त की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप नाले का कार्य अभी तक नहीं हो पाया।

*६--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि उसकी इस कार्यवाही से १४ गांवों की धन-जन और पशुओं की बरबादी हो रही है ?

श्री महावीरसिंह--जी हां, कुछ हानि होना स्वाभाविक था।

*७--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नाले के खुदने में विलम्ब क्यों हो रहा है और एक्सपर्ट की इस विषय में क्या राय है ?

श्री महावीर सिंह--विलम्ब का कारण प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में दिया जा चुका है। जहां तक एक्सपर्ट की राय का प्रश्न है सिंचाई विभाग द्वारा जो एलाइनमेंट (alignment) बनाया गया है वही नाले के लिये सबसे उपयुक्त है किन्तु स्थानीय लोगों की आपत्ति के कारण मामले में फिर से जांच की जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेक्शन ४ के अन्तर्गत किस तारीख को यह कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरसिंह--संभवतः १९-३-५८ को।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि सेक्शन ४ के अन्तर्गत उस समय कोई आपत्ति जनता की तरफ से आयी थी ?

†श्री महावीर सिंह--नहीं आयी थी।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९-३-५८ को जो सरकार ने बताया कि लैण्ड ऐक्वीजीशन के लिये दफा ४ के मातहत कार्यवाही की गयी, तो अब तक लैण्ड ऐक्वायर न करने में क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री महावीरसिंह--जनता के आबजेक्शन्स।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि मेरी इत्तला के अनुसार सेक्शन ४ के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति नहीं आयी थी और सेक्शन ६ की कार्यवाही सरकार ने खुद रोक दी जिससे नाला न बन सका और १४ गांव उसकी वजह से डूब गये ?

श्री महावीरसिंह--मेरे पास जो इत्तला थी वह मैंने बतला दी।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह स्वयं गंगापुर नाले को देखने गये और उन्होंने मौके पर उसकी जांच की थी और उन १४ गांवों को उन्होंने स्वयं भी देखा और वहां की ७५ फीसदी जनता ने उनसे कहा कि नाला शीघ्र खोद दिया जाय, फिर क्यों नहीं अब तक वह खुदा।

---

† ८ सितम्बर, १९५९ को दिये गये शोधन वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के दिनों में मैं भी उन जिलों में घूमा था। उसमें अलीगढ़ जिला भी एक है। जहां कहीं बाढ़ आयी या पानी भरा हुआ था वहां जाने का मुझे मौका मिला और इस इलाके में भी मैं गया था। वहां दो दलों में झगड़ा था और उसकी वजह से नाला खुद नहीं रहा था। मेरी राय हमेशा यह रही है कि जिधर से इंजीनियर कहेंगे उधर से ही नाला खुदना चाहिये क्योंकि जिधर से पानी न जा सके उधर से निकल कैसे सकता है, तो इंजीनियर जहां कहें वहां वह उस तरह से खुदना चाहिये। लेकिन आपस के झगड़े की वजह से इंजीनियर्स की राय के बावजूद भी वह खुद नहीं पा रहा था। अब मैंने सुना है कि वह खुद गया है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियर्स की राय आने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और नाला अभी तक नहीं खुदा, पानी भरा हुआ है और १४ गांव बरबाद हो रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के जवाब में कहा गया काफी अरसे से कोशिश चल रही है। यह बात बिलकुल ठीक है कि इंजीनियर्स की सलाह हुई लेकिन उसके खिलाफ दूसरी तरफ से एतराज किये गये, काफी जद्दोजहद हुई और यह रुका रहा। अब आखिरी पोजीशन यह है कि वहां की पब्लिक ने खुद ही उस नाले को खोद लिया।

श्री अध्यक्ष---और पानी निकल गया?

श्री गिरधारी लाल---जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव---जब सरकार को इस बात की सूचना है कि वहां की जनता ने स्वयं उस नाले को खोद लिया है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी पहली जो योजना थी क्या माननीय मंत्री जी उसको उस योजना के मुताबिक खुदवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---यह तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब शायद यह है कि जो योजना जनता ने की वह सही थी और जब पानी निकल गया तो आप कौन-सी चाहते हैं?

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, पहले जो सरकार ने योजना बनायी थी नाले के खोदने की और जनता ने जिस नाले को अपने आप खोद कर पानी निकाल दिया है, सरकार उसको अपना नाला बनाकर अप्रूव करे?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जनता ने खोद लिया और वह पब्लिक नाला हो गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उस नाले का खोदना इसलिये रोक दिया गया था कि वहां पर किसानों को आपत्ति थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह निश्चय किया गया कि नाला खोद दिया जाय तो किसके हित में यह नाला खोदने का सरकार ने निश्चय किया था?

श्री गिरधारी लाल---जनता के हित में ही यह सब काम किये जाते हैं। जिस समय वाटर लागिंग हो जाता है तो बहुत काफी लोगों के खेत डूब जाते हैं और फसल नष्ट हो जाती है। अब कहीं पर किसी के खेत खराब होने वाले होंगे, मुमकिन है वे खेत बच जायं।

श्री अध्यक्ष---मालूम होता है लाल फीते से पानी रुका हुआ था। अब वह काटा दिया गया है तो पानी निकल गया।

## राज्य के पश्चिमी जिलों तथा पूर्वी पंजाब में यातायात की सुविधाओं के लिए यमुना पर पुल निर्माण योजना

*८—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों और पूर्वीय पंजाब के जिलों में यातायात की सुविधा और व्यापारिक प्रोत्साहन के लिये सरकार यमुना पर पुल बनाने की अपनी पूर्व घोषणा पर क्या कदम उठा चुकी है और इस पुल के निर्माण का काम कहां और कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री महावीरसिंह—केंद्रीय सरकार और पंजाब सरकार से लागत का १/३ भाग वहन करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और विस्तृत आगणन बनवाया जा रहा है। पुल के निर्माण का स्थान पंजाब की ओर पानीपत और मुजफ्फरनगर जिले के कैराना के बीच में चुना गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा आगणन की स्वीकृत होने तथा विधान मंडल की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पुल के बनने में जो देर हो रही है वह कौन सी सरकार की असुविधा के कारण खासतौर पर है ?

श्री महावीरसिंह—देर कहीं भी नहीं हो रही है। पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि यह काम जल्द हो।

आचार्य दीपंकर—क्या निर्माण मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जवाब में बतलाया है उससे यह प्रतीत होता है कि दो साल पहले भी प्रदेशीय सरकार इसी स्थान पर थी ?

श्री महावीर सिंह—जी नहीं, मामला बहुत आगे बढ़ गया है।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यमुना नदी पर पुल दूसरी पंचवर्षीय योजना में ले लिये गये थे और आज तक उन पर काम शुरू नहीं किया गया तो आगे उनका क्या विचार है, वे दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरे होंगे या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल—यह एक जनरल सवाल है। साधारण तरीके से मैं बतलाऊं कि जितने भी योजना के अन्तर्गत काम हैं उन कामों को हम ले रहे हैं फिर भी एक सीलिंग है उससे कुछ रुपया कटा है उसकी वजह से २,४ जगह पुल छूट गये हों तो बात दूसरी है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पुल इसलिये नहीं बन रहा है कि रुपये की जो कटौती हुई है उसमें इसको भी ले लिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो उसमें नहीं कहा गया। पुल बनेगा। उसका डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद जितना रुपया यू०पी० सरकार खर्च करेगी उसको आपको बजट में पास करना होगा और केंद्रीय सरकार से भी डिटेल्ड एस्टीमेट का एप्रूवल आना है। इसके बाद ही पुल की शुरुआत होगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस पुल का एस्टीमेट सरकार बना रही है वह पुल प्रथम पंचवर्षीय योजना में था या दूसरी पंचवर्षीय योजना में था ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

## राप्ती जल कुण्डी योजना का सर्वेक्षण

*९—श्री उग्रसेन—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ४-८-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के क्रम में राप्ती जल कुंडी योजना का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह—अभी कोई योजना बनाना संभव है या नहीं इसी की जांच हो रही है, अतः उसका विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जलकुंडी योजना का सर्वेक्षण बहुत पहले किया गया था और यदि किया गया था तो उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री महावीरसिंह—अभी वह चल रही है खत्म नहीं हुई है।

श्री उग्रसेन—मेरा सवाल यह है कि जो प्रथम चरण में सर्वेक्षण किया गया था उसमें कितना खर्च हुआ था ? क्या इस समय सर्वेक्षण नहीं हो रहा है ?

श्री महावीरसिंह—पहले तो सिर्फ यह सोचा गया था कि कितने में यह बनेगा और उसके बाद अब फिर इसके लिये विस्तृत जानकारी हो रही है और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जब यह समाप्त हो जायगा तब यह सवाल पैदा होगा कि उसको मंजूर किया जाय अथवा नहीं। अभी वह काम खत्म नहीं हुआ है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में उनके इंजीनियर्स वहां गये थे और नैपाल सरकार से वार्ता भी की थी और उसमें यह तय हुआ था कि यह योजना ली जायगी ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, उन्हीं की सलाह से इस सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ हुआ है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह योजना नैपाल में लागू होने वाली है इसलिये क्या नैपाल सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

श्री महावीरसिंह—सर्वेक्षण कार्य के लिये स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद जब योजना तैयार होगी तो फिर उनकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

श्री राजनारायण—कब यह योजना बनाने की बात सरकार के दिमाग में आयी ?

श्री महावीरसिंह—यह तो संभवतः दो साल से चल रही है।

[२५ अगस्त, १९५९ के लिये निर्धारित प्रश्न]

*१-२—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[स्वायत्त शासन मंत्री से संबंधित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## रिहन्द तथा माताटीला बांधों से मध्य प्रदेश को बिजली देने पर विचार

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द डैम तथा माताटीला डैम से उत्पादित बिजली की मांग के संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार से कोई पत्राचार हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार के सामने इस संबंध में क्या खास-खास सुझाव दिये ?

श्री महावीरसिंह—रिहन्द डैम से मध्य प्रदेश को बिजली देने के लिये बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के सुझाव संलग्न नोट में दिये गये हैं। माताटीला बांध से बिजली देने के लिये मध्य प्रदेश से इस समय कोई पत्राचार नहीं हो रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३४ पर)

*४—श्री मदन पांडेय—क्या रिहन्द डैम से उत्पादित बिजली के लिये कोई पत्राचार बिहार सरकार से भी चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उसकी मुख्य-मुख्य बातें भी सदन के सम्मुख रखेगी?

श्री महावीरसिंह—बिहार सरकार से बिहार को बिजली देने के लिये कोई पत्राचार नहीं हो रहा है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो मांग की है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया है उसमें और बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रिहन्द बांध के कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लग रहा है उसको वही वहन करें?

श्री गिरधारीलाल—नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मदन पांडेय—तो मध्य प्रदेश सरकार की इस मांग का क्या उत्तर सरकार की ओर से दिया गया है? क्या सरकार उसको इस सदन के सम्मुख रखेगी?

श्री गिरधारीलाल—उन्होंने पूछा कि रिहन्द में जो पैसा खर्च होगा उसे क्या मध्य प्रदेश सरकार देगी। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ बिजली मांगने का प्रश्न था, जिस सिलसिले में उनके और हमारे बीच में बातचीत चल रही है। कभी वे ढाई हजार किलोवाट बिजली मांगते हैं और फिर कास्ट प्राइस पर, कभी फ्री चाहते हैं। यह बात है जो उत्तर में बता दी गयी है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध से बिजली उत्पादन करने की योजना अब भी सरकार के समक्ष है?

श्री गिरधारीलाल—योजना तो सरकार के सामने है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो ढाई हजार किलोवाट बिजली मांगी थी, उसमें हमारी सरकार कितनी बिजली देने में समर्थ है?

श्री महावीर सिंह—वार्ता पहले से चल रही है और अभी फाइनल स्टेज में नहीं आयी। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि क्या तय हुआ।

श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि माताटीला बांध की जो बिजली की योजना विचारांतर्गत है उस के अनुसार मध्य प्रदेश की सरकार ने बिजली एक निश्चित मात्रा में मांगी है या जो यहां से बचे, या दोनों ही देने के लिये कहा है?

श्री महावीरसिंह—उनकी मांग से और बचत से कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा वह कहते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से माताटीला बांध से उत्पादित कितनी बिजली मांगी है?

**श्री गिरधारीलाल**—उसमें उन्होंने कोई खास बात बिजली की नहीं बतलायी। पहले यह कहा कि जो बिजली पैदा होगी उसमें से कुछ हमको भी मिलनी चाहिये। यहां की गवर्नमेन्ट ने कहा कि जो बिजली पैदा हो रही है वह इतनी काफी नहीं है कि हमारे झांसी, जालौन आदि जिलों को पूरी हो सके इसलिये हम बिजली नहीं दे सकेंगे।

**श्री सदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माताटील। की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पूरी हो जायगी ?

**श्री महावीर सिंह**—ऐसा संभव नहीं है क्यों कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत है।

**श्री झारखंडेराय**—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बात सही है कि रिहन्द डैम के लिये जो जलाशय बनाया जानेवाला है ३० मील लम्बा और ७ या ८ मील चौड़ा, उसमें कुछ जमीन मध्य प्रदेश की आ जायगी ? यदि हां, तो उसके लिये इस सरकार से और उस सरकार से क्या समझौता हुआ है ?

**श्री महावीर सिंह**—वह तो आ गयी उस बांध में।

**श्री नवलकिशोर** (जिला बरेली)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश को रिहन्द डैम से १० हजार किलोवाट बिजली देने का कमिटमेंट कर दिया था ?

**श्री गिरधारीलाल**—इस प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं है। मैंने कहा कि इस सिलसिले में बातचीत चल रही है।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि माताटीला बांध में बिजली न बन पाने में फारेन एक्सचेंज की कमी है या और कोई कठिनाई उपस्थित हो गयी है ?

**श्री महावीरसिंह**—विशेष यही है, लेकिन फाइनेंस का भी सवाल है।

**श्री राजनारायण**—क्या सरकार बतलायेगी कि उसके सामने साधारण कठिनाई बिजली उत्पादन करने में कौन-सी है ?

**श्री महावीरसिंह**—साधारण और असाधारण दोनों में जो बाधक हो जाती है, काम में उसी को हम असाधारण मान लेते हैं।

**श्री प्रतापसिंह**—क्या निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध से कुल कितनी बिजली पैदा होगी और उसमें से ६०,००० किलोवाट बिजली बिड़ला को देने के बाद कितनी बच जायेगी जो कि वह मध्य प्रदेश सरकार को दे सकते हैं ?

**श्री गिरधारीलाल**—इसका जवाब पहले एक दफा खुलासा तरीके से दिया जा चुका है।

**श्री झारखंडेराय**—जो जमीन मध्य प्रदेश की रिहन्द डैम में आ गयी है क्या हमारी सरकार ने कोई मुआवजा दिया है या क्या पोजीशन है ?

**श्री महावीरसिंह**—वहां के काश्तकारों को, जिनकी जमीन आयी है, मुआवजा दिया जा चुका है और दिया जा रहा है।

**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)—क्या यह सही है कि रिहन्द डैम से बिहार में आबपाशी करने के संबंध में पत्र-व्यवहार इस सरकार से हो रहा है ?

**श्री महावीरसिंह**—जी हां, हो रहा है।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस माताटीला योजना में बिजली की योजना भी सम्मिलित है और उसके लिये फाइनेंस की क्या खास दिक्कत सरकार के सामने आ गयी ?

श्री महावीरसिंह—माताटीला में कुछ ज्यादा खर्चा हुआ, इसलिए बहुत कमी पड़ गयी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि रिहन्द डैम से जो बिजली को बिजली देने का फैसला कर लिया गया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई विरोध-पत्र भेजा या कोई विरोध प्रकट किया है ?

श्री गिरधारीलाल—इसका उनसे कोई संबंध ही नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तिम रूप से सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि रिहन्द बांध से और माताटीला बांध से मध्य प्रदेश को अब कोई बिजली नहीं दी जायगी ?

श्री महावीरसिंह—यह तो प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने १०,००० किलोवाट बिजली मांगी थी रिहन्द डैम से, अब ढाई हजार पर समझौता हो रहा है इसलिये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिड़ला को अधिक बिजली देने का समझौता किया है ?

श्री महावीरसिंह—यह तो मालूम देता है माननीय सदस्य की इत्तला है, हमारी इत्तला नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रिहन्द डैम के बन जाने के बाद जो पानी डैम के बाहर नदी में रिलीज किया जायगा उससे सिंचाई बिहार में होगी, क्या उसके लिये बिहार सरकार हमारे प्रदेश की सरकार को कुछ देगी ? क्या समझौता हुआ है ? क्या मुफ्त दिया जायगा ?

श्री महावीरसिंह—इस सम्बन्ध में मैंने पहले अर्ज किया कि बातचीत चल रही है।

## चम्बल घाटी योजना संबंधित पत्र-व्यवहार

*५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चम्बल घाटी योजना के सम्बन्ध में पड़ोसी राज्यों से पत्र-व्यवहार चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पत्र-व्यवहार की मुख्य-मुख्य बातें सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री महावीरसिंह—चम्बल घाटी योजना के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश व राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग व योजना आयोग से पत्र-व्यवहार चल रहा है। इस पत्र-व्यवहार की मुख्य-मुख्य बातों के विषय में संक्षिप्त नोट संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३५ पर)

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पत्र-व्यवहार में जो जिक्र किया गया है कि राजस्थान सरकार के सामने जो सुझाव इस सरकार की तरफ से रखे गये थे उन्हें अस्वीकार कर दिया गया कि राज्य सरकार चम्बल जल के दावे को छोड़ने को तैयार है अगर राजस्थान ३०० क्यूसेक्स जल बाह तहसील को देता रहे, तो क्या उसके बाद सरकार ने योजना आयोग और राजस्थान सरकार के पास कोई और पत्र इस सम्बन्ध में भेजा है ?

श्री महावीरसिंह---बातचीत चल रही है केन्द्रीय सरकार से और योजना आयोग से ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह कौन सा सुझाव है जिसे हमारी सरकार ने राजस्थान सरकार के सामने पेश किया और उसने उसे स्वीकार नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---वह तो प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या वह संक्षिप्त विवरण पढ़ देने की कृपा करेंगे ? अगर पूरा न पढ़ें तो मोटी-मोटी बातें ही बतला दें ।

श्री अध्यक्ष---एक पूरा सफा होगा तो ज्यादा वक्त लग जायगा, थोड़ा हो तो पढ़ दें ।

श्री महावीरसिंह---सन् १९५३ में भारत सरकार ने चम्बल नदी पर एक बहुद्देशीय योजना बनाने के लिये अपनी स्वीकृति दी थी । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव रखा कि उसको भी बाह तहसील के लिये चम्बल नदी योजना के जल का कुछ हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि सिंचाई के लिये बाह तहसील को चम्बल योजना से ही सिर्फ पानी मिल सकता था । मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर राज्य सरकार ने १९५६ में योजना आयोग को लिखा कि राज्य सरकार चम्बल जल के दावे को छोड़ने को तैयार है अगर राजस्थान ३०० क्यूसेक्स जल बाह तहसील को सिंचाई के लिये वर्ष भर देता रहे । परन्तु राजस्थान सरकार ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया । तत्पश्चात् राज्य सरकार ने १९५७ में भारत सरकार को लिखा कि वे कोटा तक चम्बल जल के दावे को छोड़ने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि कोटा से नीचे उनका दावा रहे और राजस्थान सरकार यह बचन दे कि वे कोई नया कार्य हाथ में न लेंगे । भारत सरकार व राजस्थान सरकार से अभी उसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

## कुमायूं वन उपज संबंधी अधिकारों की जांच के लिए समिति के निर्माण पर आपत्ति

*६---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में सन् १९५९ में विधायकों की कोई ऐसी कमेटी बनायी गयी है जो कुमायूं के जंगलात के हकों वन उपज आदि के बारे में जांच करेगी ? अगर हां, तो इस कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं और उनमें से विरोधी दलों के कितने सदस्य हैं ? क्या सरकार उस जी० ओ० की एक कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसके द्वारा इस कमेटी का निर्माण हुआ ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां । इस सम्बन्ध में प्रकाशित प्रेस कम्यूनिके की एक प्रति सदन की मेज पर रक्खी है । श्री नारायणदत्त तिवारी के स्थान पर जो आजकल हिन्दुस्तान से बाहर गये हुए हैं श्री प्रताप सिंह इस कमेटी के सदस्य नियुक्त किये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३३ पर)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सदस्य रखे गये हैं इनके छांटने का आधार क्या था ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जिस तरह से आमतौर पर सदन से सदस्य चुने जाते हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय वन मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि कुमायूं की जो समस्या है वह बहुत प्रमुख है और उस कमेटी को चारों जिलों का भ्रमण करने में अधिक समय लगेगा इसलिये उस कमेटी को चार महीने से अधिक समय दिया जाय ?

**श्री सैयद अली जहीर**--जो उसके अध्यक्ष हैं वह अगर लिखेंगे तो उसके बाद सरकार बिचार करेगी और फैसला देगी ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने ने अपने उत्तर में कहा है कि जिस प्रकार से सदन में सामान्य तौर पर सदस्य नियुक्त किये जाते हैं उसी तरह से यहां पर भी नियुक्त किये गये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति में विरोधी दल के एक तिहाई सदस्य नियुक्त किये गये हैं ?

**श्री सैयद अली जहीर**--बात यह है कि यह तो कुमायूं की कमेटी है और उसमें एक अध्यक्ष हैं और ५ मेम्बर हैं जिनमें एक विरोधी दल के सदस्य नियुक्त किये गये हैं ।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विरोधी दल को छठा हिस्सा क्यों दिया गया, तिहाई हिस्सा क्यों नहीं दिया गया और अगर जिलेवार लिये गये तो नैनीताल से तीन में से दो क्यों लिये गये और अल्मोड़ा से एक मेम्बर क्यों लिया गया ?

**श्री सैयद अली जहीर**--इन चीजों के लिये कोई कायदे कानून बहुत सख्ती के साथ नहीं बने हुए हैं, जैसे जैसे कमेटियां मुकर्रर होती हैं उसके हिसाब से आपस में बातचीत करके सदस्य मुकर्रर किये जाते हैं ।

**राजा बीरेन्द्रशाह**--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विरोधी दलों से सिर्फ एक सदस्य लिया गया उसका एक कारण यह भी है कि पहाड़ी इलाके से विरोधी दलों के बहुत से सदस्य आये हुए हैं जिसकी वजह से उनमें से छ टन मुश्किल था ?

**श्री सैयद अली जहीर**--यह बात तो नहीं सोची गयी थी ।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आम लोगों की शिकायत है कि कमेटी, जहां जहां मोटर रोड है, वहां पर कारों में चली जा रही है और जहां जंगल हैं जहां की समस्या को ढूंढना है वहां नहीं जा रही है और एक-आध सदस्यों की भी शिकायत है कि यह देहात में इंटीरियर में जाय और जंगल की बात का पता लगाये ?

**श्री सैयद अली जहीर**--यह तो उसके अध्यक्ष हैं माननीय आर्य जी, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह और माननीय सदस्य लोग जहां जहां मुनासिब समझें वहां जायं और सवालात और क्वैश्चनेयर भेजें और जो जवाबात आयें उन पर गौर करें और जहां-जहां बयान लेना जरूरी समझें वहां बयान लें । यह सब उन्हीं का काम है और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है ।

## कृष्णा कत्था फैक्टरी, हल्द्वानी को खैर की लकड़ी का दिया जाना

*७--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कृष्णा कत्था फैक्टरी, हलद्वानी को बन विभाग ने बिना कत्थे के पेड़ों की कीमत निर्धारित किये हुए ही उन पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी तथा पेड़ काटे जाने पर जब कम्पनी से कीमत मांगी गयी तो उसने वन विभाग की निर्धारित कीमत देने से इंकार किया ? अगर हां, तो ये कटे पेड़ कहां-कहां रक्खे गये और किसके कब्जे में रहे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जी नहीं । निश्चित ( final ) दर का निर्णय होने तक तथा पेड़ों को गिराने की आज्ञा देने से पूर्व २०० रु० फी पेड़ की एडहाक दर नियुक्त कर दी गयी थी । फैक्टरी ने निर्धारित दर देने से इनकार नहीं किया है । उन्होंने केवल उस निर्धारित दर के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है । खैर की लकड़ी तराई भावर सरकारी फारेस्ट डिपो में जमा है । यद्यपि यह डिपो फैक्टरी के परिधि (perimeter) में है, यह तारों से भली-भांति घिरा हुआ है तथा सरकार के कब्जे में है । फैक्ट्री के खर्चे पर श्री लकड़ी का सरकार किया हुआ है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि जहां पर यह लकड़ी उस फैक्टरी के पास रखी गई है उससे करीब आध मील पर फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की एक जगह है, डिपो भी है, वहां क्यों नहीं रखी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यह तो जो वहां के मुकामी अफसर थे उन्होंने ही जहां पर मुनासिब समझा वहां पर यह जगह बनाई और वहां पर लकड़ी रखी गई ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--फैक्टरी ने अभी तक इस लकड़ी में से कुछ इस्तेमाल की है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर--मुझे मालूम नहीं है। फैक्टरी इस वक्त तक १ लाख ५ हजार रुपया नकद जमा कर चुकी है और २० हजार की उसकी जमानत है। मुमकिन है कि कुछ लकड़ी उनको इसके अगेन्स्ट दी गई हो। लेकिन उससे ज्यादा की लकड़ी नहीं दी गई है।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी का ध्यान उस आडिट रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें आडिटर ने कहा है कि ८०,००० रुपये की लकड़ी बिना एग्रीमेंट के, सरकार के टेलीफोन पर उनको दे दी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--कत्थे के पेड़ का दाम जब लोगों को अमूमन २१४ रुपये पड़े तो क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री को ११४ रुपये पर पेड़ दिये गये ?

श्री सैयद अली जहीर--ये गुजिश्ता साल में दिये गये थे। लेकिन इस वक्त जो कीमत मुकर्रर की गई है वे उसके ऊपर भी लेने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री देवनारायण भारतीय--जब यह लकड़ी तारों से घिरे हुये अहाते में रखी थी उस समय उसका अनुमानित मूल्य क्या था ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे खयाल में ढाई और तीन लाख के बीच में थी।

श्री झारखंडे राय--ये पेड़ इस समय जहां रखे हुये है वहां सरकार की ओर से क्या एहतियात ली गयी है कि इन कटे पेड़ों का, जिनका दाम अभी नहीं दिया गया है, किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो या कोई गलत आदमी उसे इस्तेमाल न करे ।

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मुझे खयाल है, उसके लिये गार्ड वगैरह मुकर्रर हैं। एक फोरेस्टर भी है जिसकी निगरानी में यह लकड़ी है।

*८-९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[स्वायत्त शासन मंत्री से संबंधित होने के कारण २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ५-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०-श्री मुक्तिनाथ राय--[स्वायत्त शासन मंत्री से संबंधित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## आर्थिक शोध विषयक राष्ट्रीय परिषद के सिंचाई दर संबधी सुझाव

*११--श्री मती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार योजना कमीशन से सम्बद्ध आर्थिक शोध विषयक राष्ट्रीय परिषद् की अभी हाल ही में प्रकारित रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह--पुस्तक मेरे कार्यालय में है और वहां देखी जा सकती है।

*१२—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी —क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त परिषद् की रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य सुझावों विशेषतया सिंचाई के दर में हेरफेर करने पर क्या वह कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरसिंह —सरकार ने इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि यह सिंचाई की दर इस साल एक रुपया बढ़ा दी गई है, यानी जो तीन आना छूट थी वह हटा ली गई है ?

श्री महावीरसिंह —ऐसी मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री उग्रेसन —उस रिपोर्ट में कौन-कौन मुख्य सुझाव हैं ?

श्री महावीरसिंह —यू० पी० इर्रीगेशन रेट्स कमेटी में और जो ये दिये गये हैं इनमें बहुत अन्तर नहीं है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं । एक तो यह है कि जो रेट्स लगाये जावें वे नेट बैनिफिट के २० फीसदी से ५० फीसदी तक हों । किसान के देने की ताकत भी देखी जाय । कम्पलसरी और वालन्टरी रेट्स अलग-अलग हों । पहले कुछ वर्ष कम रेट लगाये जावें और बाद में धीरे-धीरे बढ़ाये जावें ।

श्री गेंदासिंह —क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि माननीय सदस्यों को भी पूरी जानकारी हो सके सरकार इसे प्रकाशित करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीर सिंह —यह बहुत बड़ी है । मेरे खयाल में वह बाजार में मिलती है, अगर देखना चाहें तो मंत्री जी के कमरे में देख लें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी —इस सुझाव की ओर कि बैनीफिट की २० से ५० फीसदी तक दर बढ़ाई जाय, क्या इस पर सरकार ने कोई राय कायम की है ?

श्री महावीरसिंह —यू० पी० इर्रीगेशन रेट्स कमेटी में इस का ध्यान रखा गया था । अब यह कोई नई बात नहीं है ।

## माताटीला व्यय सम्बन्धी जांच समिति

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध बनने के सम्बन्ध में original एस्टिमेट से जो रुपया अधिक व्यय हो गया था उसकी जांच के लिये कमेटी कब नियुक्त हुई थी ?

श्री महावीरसिंह—जून, १९५८ में ।

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस कमेटी की अभी तक कितनी बैठकें हुईं और क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या वह उसको सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री महावीरसिंह —कमेटी की अभी तक १२ बैठकें हुई हैं । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है ।

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम —क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध के फाटक लगने के अलावा और क्या-क्या काम शेष हैं तथा उनमें व फाटकों में कितना-कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री महावीरसिंह —फाटकों के अतिरिक्त पुल की रेलिंग, पिचिंग, रलूस के बल्क हेड गेट, फाटकों को चलाने के लिये पावरहाउस तथा बांध की देख-रेख के लिये स्टाफ क्वार्टर आदि बनाना शेष है ।

फाटकों का अनुमानित व्यय लगभग ६० लाख है तथा अन्य कार्यों में २० लाख रुपया व्यय होने की सम्भावना है।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं और कौन अध्यक्ष हैं ?

**श्री महावीरसिंह**--मिस्टर बी० बी० लाल, आई० सी० एस०, श्री ए० सी० मित्रा, आई० ई० एस०, और मिस्टर एम० एस० बिष्ट, एक्स चीफ इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० हैं।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**--इस कमेटी में गैर सरकारी सदस्य क्यों नहीं हैं ?

**श्री महावीरसिंह**--यह बड़ा टेक्नीकल मामला है।

**श्री गेंदासिंह**--शुरू में जब सरकार ने कमेटी बनाई उस वक्त रिपोर्ट कब तक आने का अन्दाजा था ?

**श्री महावीरसिंह**--अन्दाजा तो यह था कि कुछ देर लगती ही है और आशा यह की जाती है कि जल्द आ जायगी।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--ओरिजिनल मैटर, जो कमेटी को रेफर किया गया था उसमें ओरिजिनल इस्टीमेट क्या था और बाद में क्या हो गया ?

**श्री महावीरसिंह**--पहले ४ करोड़ के लगभग था और अब १२ करोड़ के लगभग है। कमेटी इसी लिये नियुक्त की गई थी कि वह देखे कि यह क्यों बढ़ा।

**श्री बलदेवसिंह**--क्या मंत्री जी ने ४३१ सदस्यों में से किसी को भी टेक्नीकल नहीं समझा ?

**श्री महावीरसिंह**--समझने की बात नहीं है। आपस में ही यह तय नहीं हो पाये ग कि कौन ज्यादा टेक्नीकल है। मैं समझता हूं कि सभी टेक्नीकल के लायक हैं।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या यह सही है कि माताटीला बांध का प्रारम्भिक अनुमान ढाई करोड़ का था, फिर सवा चार करोड़ का हुआ जब कि काम शुरू कर दिया गया था ?

**श्री महावीरसिंह**--मैंने कहा कि पहले ४ करोड़ के लगभग था।

**श्री प्रतापसिंह**--ओरिजिनल इस्टीमेट से अधिक रुपया खर्च होने के क्या विशेष कारण थे ?

**श्री महावीरसिंह**--इसी के लिये कमेटी मुकर्रर की गई है।

**श्री उग्रसेन**--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी में जो आई० सी० एस० आफीसर रखे गये हैं, उनको भी कोई टेक्नीकल ज्ञान है ?

**श्री महावीरसिंह**--फाइनेंस का ज्ञान तो उनको है ही और उसकी क्या आवश्यकता होगी।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ओरीजिनल एस्टीमेट बना था तो उसमें बिजली का निर्माण भी शामिल था और अब जो एस्टीमेट बना है उसमें बिजली का निर्माण शामिल नहीं है ?

**श्री महावीरसिंह**--वह तो मालूम ही होगा। सदन में इसके कागजात रखे ही जा चुके हैं। पहले भी दोनों का था और अब भी दोनों का है।

**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्रियों में कोई खास टेक्नीकल आदमी नहीं थे जो उस कमेटी में रखा जा सके ?

**श्री महावीरसिंह**—उसके वहां से आने के बाद हम लोग तो उसकी जांच करने के काबिल समझे ही जायेंगे ।

*१६-१७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये । ]

## अलीगढ़ जिले में जल-निकास योजनान्तर्गत नालों का निर्माण

*१८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—अलीगढ़ जिले में पानी के निकास के लिये नालों के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक १० फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८-६९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में ३८२ मील लम्बी प्रस्तावित जल निकास योजना में से कितने मील की योजना पूरी हो चुकी है और उस पर कितना व्यय हुआ है ?

**श्री महावीरसिंह**—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या माननीय मंत्री जी उन कठिनाइयों को बताने की कृपा करेंगे कि अब तक यह सूचना एकत्रित क्यों नहीं हो सकी कि अलीगढ़ जिले में कुल कितने नाले अब तक बने हैं ?

**श्री महावीरसिंह**—यह तो प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया गया है कि वांछित सूचना अभी एकत्रित नहीं हो पायी है ।

*१९-२०—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये । ]

*२१—**श्री सजीवन लाल**—हटा दिया गया ।]

*२२—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया । ]

## कत्था फैक्टरी खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

*२३—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार कृपा बतायेगी कि सन् १९५४-५५ में (१) ग्वालियर स्टेट फारेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड कम्पनी, शिवपुरी मध्य प्रदेश, (२) मेसर्स शिव बनर्जी एण्ड सन्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० ८०, कानपुर, (३) श्री कृष्ण कत्था इंडस्ट्रीज मिल, अलीगढ़ को कत्थे की फैक्टरियां यू० पी० में खोलने व उन्हें रियायती दर पर खैर के पेड़ दिये जाने की अर्जियां सरकार के पास आईं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—जी हां । इन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया ।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या यह सही है कि सन् १९५४-५५ से सरकार की बराबर यह नीति रही कि चूंकि बरेली में एक कत्था फैक्ट्री है इसलिये बाकी कत्था फैक्ट्रियों को न खुलने दिया जाय । यदि यह बात थी तो फिर १९५५-५६ में फैक्ट्री खोले जाने की इजाजत क्यों दे दी ?

श्री सैयद अली जहीर--१९५५-५६ में यह महसूस किया गया कि हल्द्वानी में एक फैक्ट्री खोली जा सकती है और वहां पर इतने कत्थे के दरख्त हैं, जो किसी फैक्ट्री को दिये जा सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या यह सही है कि चूंकि सरकार को बरेली फैक्ट्री को कत्थे के पेड़ बेचने में घाटा आ रहा था क्योंकि उसको सस्ते पेड़ देने पड़ते थे, इसलिये कृष्णा कत्था फैक्ट्री को रियायती दाम पर पेड़ देने से इंकार कर दिया गया, ऐसी सरकार की नीति रही? लेकिन १९५५-५६ में यह नीति क्यों उलट दी गयी और क्यों हल्द्वानी में कृष्णा कत्था फैक्ट्री को पेड़ दे दिये गये?

श्री सैयद अली जहीर--उस वक्त यह खयाल किया गया कि बरेली की फैक्टरी को १६ हजार दरख्त देने के बाद इतने काफी दरख्त नहीं बचेंगे जो दूसरी फैक्ट्री को दिये जा सकें। लेकिन बाद में जब यह रिपोर्ट आयी कि हल्द्वानी में और भी दरख्त बच जाते हैं तो वहां पर एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत १९५५ ५६ में दे दी गयी।

## अग्नि-पीड़ितों को वन विभाग से लकड़ी देने के संबंध में जानकारी

*२४--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में आग लग जाने पर वन विभाग से लकड़ी मुफ्त दी जाती है, और किन-किन जिलों में रियायती दामों पर और किन-किन जिलों में किसी रूप में लकड़ी नहीं दी जाती और नहीं दी जाती है तो क्यों?

श्री सैयद अली जहीर--सरकार ने कोई ऐसे आदेश नहीं जारी किये हैं जिसके अनुसार कुछ जिलों में आग लग जाने पर लकड़ी मुफ्त दी जाय, अन्य जिलों में रियायती दर पर दी जाय तथा शेष जिलों में बिलकुल न दी जाय।

## उल्ल नदी से क्षति-ग्रस्त किसानों को मुआवजा न मिलना

*२५--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में सारदा नहर का पानी उल्ल नदी में डालने के फलस्वरूप जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा उनको अब तक न दिये जाने का कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल--कुछ किसानों को मुआवजा उनके उपस्थित न होने के कारण अभी तक नहीं दिया जा सका है।

## ब्रजग्राम सेवा मंडल, मथुरा को बिजली न देना

*२६--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री ब्रज ग्राम सेवा मंडल, मथुरा को ग्राम उद्योग चलाने के लिये १५ हार्स पावर के इंजन के लिये बिजली न देने का कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल--बिजली की कमी के कारण श्री ब्रजग्राम सेवा मंडल मथुरा को १५ हार्स पावर बिजली नहीं दी जा सकी। मंडल के आवेदन-पत्र पर अन्य ऐसे आवेदन-पत्रों के साथ विचार किया जायगा।

## माताटीला बांध जलमग्न ग्राम सहायक समिति की ओर से सत्याग्रह

*२७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १ जुलाई, १९५८ से माताटीला बांध पर माता टीला बांध जलमग्न ग्राम सहायक समिति की ओर से सत्याग्रह किया गया था? यदि हां, तो सत्याग्रहियों की क्या मांगें थीं?

---

नोट--तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल--जी हां। उनकी मांगें संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७३७ पर)

*२८--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार को ज्ञात है कि यह ७ जुलाई, १९५८ को माताटीला बांध पर बांध में डूबने वाले ग्रामवासियों की सभा में सिंचाई मंत्री ने यह घोषणा की थी और आश्वासन दिया था कि मुआवजा जो अभी बना है वह कम है इसे उचित रूप से बढ़ा कर दिया जाना है इसलिये बांटने में महीने, दो महीने की देर होगी और अगस्त-सितम्बर, १९५८ तक अवश्य बांट दिया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। मंत्री जी ने यह कहा था कि मुआवजे की दरें बढ़ाने की सम्भावना है और ऐसा करने में सम्भवतः कुछ देर हो जायगी।

*२९--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०-३१--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--हटा दिये गये।]

*३२-३४--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--न्याय मंत्री से सम्बन्धित सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## गंडक-कैनाल अथवा नारायणी नहर योजना

*३५--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंडक कैनाल (नारायणी नहर) नारायणी नदी के किस स्थान से निकाली जा रही है और किस स्थान तक जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल--पश्चिमी गंडक कैनाल को गंडक नदी के खालोटन नामक स्थान से निकालने की योजना है। यह नहर गोरखपुर व देवरिया जिलों से होकर बिहार प्रान्त में चली जायगी।

*३६--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त नारायणी नहर की लम्बाई तथा चौड़ाई क्या होगी, तथा किन-किन प्रमुख स्थानों से होकर जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--बिहार प्रान्त की सीमा तक उक्त नहर की लम्बाई ८० मील है। इस नहर की तली की चौड़ाई १२० फीट से लेकर ८५ फीट तक है। यह नहर खड्डा, पडरौना तथा तमकुही रोड रेलवे स्टेशनों के निकट हो कर गुजरेगी।

*३७--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नारायणी नहर में कितनी एकड़ भूमि निकलेगी, कितने एकड़ की सिंचाई होगी, कितना अनुमानित व्यय होगा, कब से कार्य आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा होगा ?

श्री गिरधारीलाल--उत्तर प्रदेश में इस नहर के लिए ३,१८४ एकड़ भूमि प्राप्त की जावेगी और ५,९२,७५५ एकड़ भूमि की वार्षिक सिंचाई की जाएगी। इसके निर्माण में इस सरकार का १,१९०.७१ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

इस नहर पर काम भारत सरकार से तथा नैपाल सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आरम्भ होगा। ऐसा अनुमान है कि कार्य आरम्भ होने के बाद नहर के निर्माण में लगभग वर्ष लगेंगे।

*३८-४०--श्री सजीवनलाल--[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १४-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४१—श्री राजनारायण—[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित, २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## पारपट्टी क्षेत्र, जिला इटावा में सिंचाई के साधनों का अभाव

*४२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में नहरों द्वारा सन् १९५८–५९ में कितनी एकड़ भमि की सिंचाई हुई ?

श्री गिरधारीलाल—२,७३,५२३ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई।

*४३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले से इस तरह के सरकार के पास सन् १९५८ व अप्रैल, सन् १९५९ तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं कि जिले का पिछड़ा इलाका जो पारपट्टी है वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार शीघ्र व्यवस्था करे ?

श्री गिरधारीलाल—इस प्रश्न में पूछे गये ब्योरे के संकलन करने में जो श्रम तथा व्यय होगा वह उसकी उपयोगिता के अनुरूप न होगा।

*४४–४६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[हटा दिये गये।]

*४७—कुंवर श्रीपालसिंह—[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित, २ सितम्बर, १९५९ के लिए प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४९–५१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## घाघरा कटाव निरोधक योजना का कार्यान्वित न होना

*५२—श्री उग्रसेन—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिनांक २८–७–५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से तृतीय आयोजन में घाघरा निरोधक योजना विचाराधीन नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल—घाघरा व गंगा जैसी बड़ी नदियों के कटाव से सुरक्षा कार्य की लागत ८० लाख से एक करोड़ रुपये तक प्रति मील के लगभग होगी और जो क्षेत्र ऐसे सुरक्षा कार्यों से लाभान्वित होगा उसकी अपेक्षा कार्य की लागत अत्यधिक होने की वजह से ऐसी योजनायें लाभप्रद नहीं हैं।

## गोसाईगंज–भीटी सड़क का निर्माण-कार्य पूरा करने की प्रार्थना

*५३—श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)— क्या सरकार यह बताने की की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में गोसाईगंज से भीटी जाने वाली कच्ची सड़क को कई वर्ष पूर्व पक्की किये जाने की योजना बनाई गयी थी ? जिसमें से अबतक केवल रणीवां अर्थात् आधी दूरी तक ही पक्की हो पाई है और शेष अधूरा कार्य वर्षों से पड़ा हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५४—श्री अवधेशप्रतापसिंह—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस कार्य के निमित्त इस सड़क के किनारे-किनारे के किसानों के खेत आदि भूमि ले ली गई थी जो तीन-चार वर्ष तक वैसी ही पड़ी रही और अब धीरे-धीरे पुनः निराश होकर किसानों ने उसको बोना-जोतना प्रारम्भ कर दिया है और बहुत-सी अभी तक पड़ी हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५५—श्री अवधेशप्रतापसिंह—यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इस अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

## बाराबंकी जिले की कथित 'ऊंचा खेरा' माइनर

*५६—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में माइनर ऊंचा खेरा से खरीफ सन १३६६ फसली में कितने एकड़ की सिंचाई हुई और इस माइनर से कितने एकड़ सिंचाई होने का कमाण्ड है?

श्री गिरधारीलाल—जिला बाराबंकी में "ऊंचाखेरा" नाम की कोई माइनर नहीं है।

*५७—श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*५८—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## झांसी जिले के नहरी मुकदमें

*५९—श्रीमती बेनी बाई—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में नहर विभाग द्वारा नहर काटने के कितने मुकद्दमें चलाये गये और उसमें कितने फैसले हुये तथा कितने विचाराधीन हैं?

श्री गिरधारीलाल—११ मुकदमें चलाये गये और सभी फैसले हो गये।

## लखनऊ-फैजाबाद सड़क पर मीलों के अंग्रेजी में चिन्ह

*६०—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ फैजाबाद जाने वाली सड़क पर जहां पत्थर के मील गड़े हुये थे जिनमें हिन्दी में लिखा हुआ था, उन्हीं के बगल में सीमेंट और ईंटों से दूसरे मील के चिन्ह बनाये जा रहे हैं, उनमें अंग्रेजी में लिखा जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

*६१-६३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६४-६६—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २१-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## इटावा व मैनपुरी जिलों में बम्बों व पटरियों में ली गई मिट्टी का मुआवजा न मिलना

*६७—श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन १९५७-५८, १९५८-५९ में जिला इटावा व मैनपुरी में जो मिट्टी बम्बों व पटरियों के बनने या ठीक करने को खेतों से ली गई उसका किसानों को मुआवजा दिया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कितना?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। क्योंकि वह किसानों की रजामंदी से ही ली गई है।

*६८-७०--श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१-७२--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*७३--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*७४--श्रीमती बेनीबाई--[स्वायत्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित पांचवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७५--श्री राजनारायण--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७६-७७--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

## इटावा जिले में चम्बल व यमुना पर पुल निर्माणार्थ केन्द्र से पत्र-व्यवहार

*७८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर इटावा में जमुना के राजघाट पुल तथा जिला इटावा में चम्बल नदी के पुल को पक्का बनाने के लिये सरकार केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रही है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

## सीतापुर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर व्यय

*७९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में पी०डब्लू०,डी० के अधिकार में कितने मील कंकड़ की, कितने मील डामर (कोलतार) की, कितने मील सीमेंट कंकरीट की और कितने मील कच्ची सड़कें हैं?

श्री गिरधारीलाल--यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७३८ पर)

*८०--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों की देख-रेख तथा नई सड़कें बनाने के हेतु पी०डब्लू०डी० विभाग सीतापुर पर कितना रुपया सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष खर्च होता है और कितने अधिकारी तथा कर्मचारी कार्य करते हैं?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--१,६२,७०० रुपये।

द्वितीय भाग--इन सड़कों की देख रेख तथा नई सड़कें बनाने के हेतु २९० अधिकारी तथा कर्मचारी (वर्क चार्ज के कर्मचारियों को मिलाकर) काम करते हैं।

*८१-८२--श्री त्रिलोकीसिंह--स्वायत्त शासन मंत्री से संबंधित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## गोंडा जिले में कोहरगड्डी नहर से सिंचाई

*८३--श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोहर-गड्डी कैनाल, जिला गोंडा द्वारा गत वर्ष खरीफ१९५८-५९ में कितने दिन तक सिंचाई का काम हुआ?

श्री गिरधारीलाल--२५ दिन तक।

## गोरखपुर जिले में नवीन बांध बनाने के लिए ठेकेदारों से नेशनल सर्टीफिकेट द्वारा जमानत

*८४--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील की राप्ती नदी के दोनों किनारे पनघटियां घाट से करमैवी घाट तक और बेलसड़ से रिगौली तक और घोघी के बायें दौलतपुर बांध को बनाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*८५--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार को यह मालूम है कि इन बांधों को बनाने हेतु ठेकेदारों से टेंडर मांगा गया था और एक-एक हजार रुपया नेशनल सर्टीफिकेट के द्वारा जमानत लिया गया था ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

## आंवला तहसील में नल-कूपों से सिंचाई

*८६--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील आंवला जिला बरेली का कुल कितना क्षेत्र सरकारी ट्यूबवेलों द्वारा सींचा जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८७--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तहसील में कुल कितने ट्यूबवेल इस समय लगे हुए हैं ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*८८--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तहसील का कितना क्षेत्रफल ऐसा है जिसकी सिंचाई के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और जिसकी सिंचाई के लिये सरकार नये ट्यूबवेल खोलने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

## रेहरा वन क्षेत्र, जिला गोंडा से ईंधन लेने की सुविधाएं

*८९--श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकारी वनों के समीपवर्ती जनता को गिरी पड़ी सूखी टहनी आदि को ईंधन आदि के उपयोग में लाने का अधिकार है ? यदि हां, तो क्या रेहरारेंज, जिला गोंडा के अन्तर्गत वहां की जनता को भी ये सुविधायें मिलती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--वन बन्दोबस्त के अनुसार इस प्रकार के अधिकार अलग-अलग जिलों के जंगलों में अलग-अलग हैं। आमतौर पर सरकारी वनों के समीपवर्ती जनता को गिरी पड़ी, सूखी लकड़ी को ईंधन इत्यादि के लिये प्रयोग करने दिया जाता है।

दाजिबुल अर्ज में रेहरा रेंज जिला गोंडा के जंगलों के लिये कोई ऐसे अधिकार या रियायतें दर्ज नहीं हैं। परन्तु व्यावहारिक रूप में ग्रामवासियों को कुछ अधिकार दिये गये हैं जिनमें उनकी मांग पर इन जंगलों से जलाने की लकड़ी मुफ्त या रियायती दर पर ले जाने का अधिकार भी सम्मिलित है। इन जंगलों में इस तरह के अधिकारों तथा रियायतों की अंतिम स्थिति इस जिले में चालू वन बन्दोबस्त के पूर्ण होने पर ही मालूम हो सकेगी।

## गोरखपुर जिले में नहरी मुकदमे तथा नारायणी नहर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*९०--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की नारायणी नहर में ली गई जमीनों का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल--कुछ का मुआवजा दिया जा चुका है, कुछ का आजमगढ़ में डिप्टी लैंड एक्वीजीशन आफिसर के न होने के कारण नहीं दिया जा सका है।

*९१--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५८-५९ में नहर विभाग द्वारा नहर काटने के कितने मुकदमे चलाये गये और उसमें कितने फैसले हुए तथा कितने विचाराधीन हैं?

श्री गिरधारीलाल--कुल ८ मुकदमे नहर की पटरी काटने के संबंध में चलाये गये और उन सब में फैसला हो गया है।

## खटीमा तहसील में किरोड़ा नदी से कटाव

*९२--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास किरोड़ा नदी से तहसील खटीमा में जमीन के कटाव की रिपोर्ट पहुंची है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। इस संबंध में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

## पडरौना तहसील में तालाबों से नाले खोदने की योजना

*९३--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में कितने तालाबों से पानी निकास का नाला खोदा जाना विचाराधीन है और कहां-कहां नाला खोदने का कार्य ठेकेदारों को सौंप दिया गया है?

श्री गिरधारीलाल--तहसील पडरौना, जिला देवरिया में निम्नांकित तालों से नाले निकालने के सुझाव हैं परन्तु धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता :

१--लवकुश ताल ड्रेन,
२--भरवा ताल ड्रेन,
३--सिसिया खजुहा ड्रेन,
४--हरहा ताल ड्रेन,
५--बादल पट्टी ताल ड्रेन।

## अतारांकित प्रश्न

## मीर मलूकपुर ग्राम में नवीन मार्ग का निर्माण

१--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुहर्रम के जुलूस व जानवरों के आने-जाने हेतु ग्राम मीर मलूकपुर परगना व तहसील अकबरपुर (फैजाबाद) में जो रास्ता २८-७-५८ से पक्के बनवा देने का आश्वासन २०८८ २४-७-५८ के पत्र द्वारा अधिशासी अभियंता, इर्रीगेशन डिवीजन, फैजाबाद ने दिया था वह रास्ता बनाया गया?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

२--श्री देवप्रसाद मिश्र--यदि उत्तर हां में है, तो कब बनाया गया और उत्तर नहीं में है, तो क्यों नहीं बनाया गया और उस विलम्ब का जिम्मेदार कौन है ?

श्री गिरधारीलाल--वह रास्ता २७-७-५८ को तैयार हो गया था।

## गढ़वाल जिले में वन विभाग की पौधशालाएं

३--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले के अन्दर जंगलात विभाग की ओर से कितनी नर्सरियां खोली गई हैं, इन नर्सरियों में कितने प्रकार के पौधे तैयार किये जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में कहां-कहां नई नर्सरियां खोलने की योजना सरकार के सामने है ?

श्री सैयद अली जहीर--वन विभाग ने गढ़वाल जिले में विगत २ वर्षों के अन्दर ९ नर्सरियां खोली हैं जिनमें अखरोट, सुरई, अंगूर, देवदार, मलवरी, युकलिप्टस, रीठा, सेमल, बकैन, भीमल, तुन, अमलतास, साल व नीम इत्यादि के पौधे उगाये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में सरकार के सामने उत्तर गढ़वाल डिवीजन में बमसू नामक स्थान में एक नर्सरी खोलने की योजना है।

## उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष--अब सचिव विधान सभा एक विधेयक सदन की मेज पर रखेंगे।

सचिव विधान सभा--मैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७३९-७४७ पर)

## प्रश्नों की अस्वीकृति देर से मिलने के संबंध में शिकायत

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो १० तारीख को सवाल दिये थे उनके सम्बन्ध में सूचना मुझे इतनी देर से उनकी अस्वीकृति की प्राप्त हुई है कि अब अगर मैं उनको दूंगा तो इस सेशन में आ न सकेंगे और अल्प-सूचित तारांकित प्रश्नों में वह स्वीकृति होंगे नहीं। इसलिये अगर सूचना जल्दी मिल जाया करे तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--आप यह चीज मेरे कमरे में बतायें। यहां तो उनके विषय में मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता।

## आगरा में चावल व चीनी के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी ने दिया है, जो खाद्य समस्या के सम्बन्ध में है और जो तस्कर व्यापार राजस्थान के साथ आगरे से हो रहा है उस सम्बन्ध में है। तो खाद्य समस्या के ऊपर २८ तारीख को एक बहस होने वाली है, उसमें यह विषय उठाया जा सकता है और उस पर काफी बहस हो सकती है। इसलिए इसकी इजाजत देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

## साहू केमिकल्स फैक्टरी, वाराणसी के मजदूरों को निकाल देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**--एक श्री राजनारायण जी का कामरोको प्रस्ताव है, जो इस प्रकार है--

"साहू केमिकल्स फैक्टरी, दुलहीपुर, वाराणसी के ४ सौ मजदूरों को फैक्टरी के मैनेजर ने २३ तारीख तक निकाल दिया है। बिना मजदूरों को नोटिस दिये एकाएक जिस अन्याय-पूर्ण ढंग पर उन्हें निकाला गया है, उससे आम जनता तथा मजदूरों में घोर असन्तोष है और आम हड़ताल की विषम स्थिति पैदा हो गयी है।

अतः यह सदन उपर्युक्त आवश्यक तथा जन महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

अनिश्चितता के आधार पर और इसका सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने के कारण, क्योंकि यह असरकारी फैक्टरी मालूम होती है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। माननीय सदस्य पहले सरकार से जानकारी हासिल करें और निश्चितता जब हो जाय तब कोई प्रश्न उठाने का प्रयत्न करें।

## नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषयों की सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष**--श्री राजनारायण जी और कुछ सदस्यों द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने के सम्बन्ध में ये प्रश्न उठाये गये हैं, जिनमें से दो महत्वपूर्ण हैं। एक श्री राजनारायण जी का है और दूसरा श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी का है। इन दोनों में तात्कालिकता के खयाल से श्री दीपनारायणमणि जी का प्रश्न जल्दी लेने लायक है। इसलिये मैं उसको आज ले लेता हूं और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री जी के पास सूचना पहुंच ही गयी होगी। वे कृपया उत्तर दें अगर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ हो और सूचना प्राप्त हो गई हो। वे इस सम्बन्ध में आज वक्तव्य देंगे या किसी दूसरे रोज ?

**गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--मान्यवर, सूचना मांगी गयी है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि शायद परसों तक दे सकूंगा।

## क्वीन्स कालेज, वाराणसी में कक्षा ७ की पढ़ाई बन्द करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)†

**श्री अध्यक्ष**--अब एक सूचना आपको और देनी है। राजनारायण जी के प्रश्न के ऊपर आपने कहा था कि वह सूचना आप आज देंगे। वह तो आज की कार्य सूची में भी आ चुका है, तो कृपा करके उसकी सूचना दे दें।

**श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)**--श्रीमन्, बलिया के सम्बन्ध में मेरा भी एक प्रश्न था।

**श्री अध्यक्ष**--और अन्य प्रश्न नहीं लिया जा सकता है। एक तो लिया गया है।

---

† ४ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---श्रीमन्, श्री राजनारायण जी ने जो सूचना चाही है, उसमें यह लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने एकाएक ७ वीं कक्षा को क्वीन्स कालेज में बन्द कर दिया, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। इस समय वह क्षा बन्द जरूर हुई, लेकिन उसका प्रारम्भ २ साल पहले हुआ था जब कि इस सदन ने यह तय कर लिया कि संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में खोला जाय और उसी समय सरकार ने यह भी निश्चय किया कि सरकारी संस्कृत कालेज और क्वीन्स कालेज के भवन में यह संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। इसके बारे में पिछले साल . .

श्री अध्यक्ष---ऐसा तो वक्तव्य पहले हो चुका है। अब तो सामने आक्षेप सिर्फ यह है कि पहले क्वीन्स कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य ने नोटिस निकाला कि ७ वीं कक्षा में भर्ती होगी और भर्ती हुई भी और फिर उसके बाद उन्होंने आदेश निकाल दिया कि अब नहीं भर्ती होगी। क्या यह बात सत्य है?

श्री दीनदयालु शास्त्री---प्रधानाचार्य ने भर्ती नहीं किया बल्कि वह विद्यार्थी आये, तो जो सातवीं कक्षा के फेल हुये विद्यार्थियों में से २ विद्यार्थी फिर से भर्ती चाहते थे, उनको भूल से प्रवेश फार्म दे दिया गया। परन्तु जब यह भूल मालूम हुई तो कहा गया कि गलती से फार्म दे दिये गये थे इस वर्ष कोई सातवीं कक्षा नहीं लेगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि क्वीन्स कालेज के फाटक से अधिकारियों द्वारा लाउड स्पीकर लगा कर एलान किया गया था कि कक्षा ७ की भर्ती होगी और विद्यार्थी अपना नाम लिखावें?

श्री दीनदयालु शास्त्री---हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि जब यहां पर प्रश्न रखा गया ४ अगस्त को तो डिप्टी डायरेक्टर, प्रधानाचार्य और तत्कालीन वर्ग शिक्षक वहां इकट्ठे हुये और इस विषय में उन्होंने बहस की और जिन लड़कों को फार्म दिये गये थे उन के घरों पर जाकर के रात को फार्म वापस लिये गये?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इसकी भी कोई सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि जो वहां की कैशबुक है उस में अब भी कक्षा ७ में भर्ती होने वालों का रुपया जमा है और वह एन्ट्री हमारे सवाल उठाने के बाद काटी गई है?

श्री दीनदयालु शास्त्री---हमारी सूचना यह है कि जो विद्यार्थी वहां आये थे और जिन को रोका गया उन्हें डिप्टी डायरेक्टर ने दूसरे स्कूलों में भर्ती करा दिया है।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न दूसरा है। यह आसान बात है मंत्री महोदय के लिये कि वह कैशबुक मंगा लें। माननीय सदस्य का स्पष्ट निश्चित चार्ज है कि कैशबुक में एन्ट्री को काट दिया गया है। मन्त्री जी उसे देख कर जवाब दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---पूछा इतना ही गया था, इसलिये जो सूचना आई वह दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष---मैं उसके लिये नहीं कह रहा हूं, मैं तो इस पूरक प्रश्न में जो उनका चार्ज है उसके लिये कह रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह हमने नोट कर लिया है और श्री राजनारायण जी कृपा कर पूरी बात लिखकर भेज दें।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, लाउड स्पीकर से. . .

श्री अध्यक्ष--वह आप लिखकर भेज दें।

## मंत्री जी के पास सूचना न होने पर नियम ५२ के अन्तर्गत दूसरा प्रस्ताव लेने की प्रार्थना

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, आप दफा ५२ में एक सवाल रोज लेते हैं परन्तु यदि किसी दिन मन्त्री जी के पास वांछित सूचना न हो तो दूसरा लेने की कृपा किया करें।

श्री अध्यक्ष--मैं इस पर विचार करूंगा।

## तस्कर व्यापार संबंधी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में जानकारी

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--मैंने अध्यक्ष महोदय, कल भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था और आज भी दिया था, लेकिन मुझे कुछ देर हो गई . . . .

श्री अध्यक्ष--मैंने उसके विषय में कहा है कि २८ तारीख को पूरे दिन भर खाद्य समस्या पर बहस होगी और उससे सम्बन्धित यह प्रश्न है कि तस्कर व्यापार से भी गल्ले की कमी पड़ जाती है, इसलिये मैंने इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में बहस की इजाजत नहीं दी है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--जो व्यवस्था आप ने दी है वह तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रार्थना सुन ली जाय कि यह जो स्मगलिंग का मामला है इसमें ही हम लोगों को जेल देखना पड़ा था, आज वह चीज खुलकर हो रही है और अधिकारी स्मगलिंग करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--अब आप बैठें, यह चीज आप उस दिन कह लें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला उससे भिन्न है और एक रीसेन्ट अकरेन्स का है, जनता उस से बहुत क्षुब्ध है इस चीज को फौरन रोकने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपा कर बैठें।

## नियम ५२ के अन्तर्गत नगरपालिका देवरिया की अव्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग (क्रमागत)†

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, कल मंत्री जी ने देवरिया की भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा था कि वह उसे जल्दी मंगा लें। सूचना आ गई है क्या? यदि कोई सूचना आ गई हो तो दे दें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--थोड़ी सी आई है। पूरी सूचना जिलाधीश के पास से नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष--कब तक आएगी?

श्री जयराम वर्मा--आपने सोमवार तक के लिये मौका दिया था. . .

---

†२४ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष--२७ तारीख तक मंगा लीजिए, तब दे दीजियेगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं.....

श्री अध्यक्ष--आप रोज-रोज निवेदन करते हैं, कृपया बैठिए।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, हमको प्रस्ताव पर...

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठिए नहीं तो मुझे सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने...

श्री अध्यक्ष--माननीय पालीवाल जी जरा इन्हें सम्हालिए आप।

(हंसी)

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमान् जी, मेरी बात नहीं सुनी जाती...

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें। नहीं तो मैं आप को कहूंगा कि सदन का आपको त्याग करना पड़ेगा।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, इसलिये यह अमीरों का सदन है गरीबों का सदन नहीं है...

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर के बैठिए।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं एक घंटे के लिये सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री टीकाराम पुजारी ने सदन का परित्याग किया।)

## १९५९-६० का प्रथम पूरक अनुदान

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--मैं आप की आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९५९-६० का प्रथम पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-- मैं एक वैधानिक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। पूरक अनुदान के बारे में है। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब पूरक अनुदान आता है तो राज्यपाल महोदय की आज्ञा से आता है। हमने राज्यपाल महोदय को २२ तारीख को पत्र लिखा था और उस पत्र में राज्यपाल महोदय से निवेदन किया था कि जब जनता का प्रतिनिधित्व इस सरकार में नहीं है तो इसको नया बजट पेश करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष--वह संविधान की कौन-सी धारा है ?

श्री राजनारायण--२०५ धारा देखी जाय। मैं पढ़ देता हूं :--

"यदि--

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विवरण में अवेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा :--

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।"

तो श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि बिना राज्यपाल महोदय की आज्ञा के यह पूरक बजट पेश नहीं हो सकता, राज्यपाल ही सब कुछ कराएगा। हमने २२ तारीख को राज्यपाल महोदय को पत्र भेजा . . . .

**श्री अध्यक्ष**--मैं पत्र पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

**श्री राजनारायण**--मैंने उनको यह लिखा कि इस सरकार में अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है . . . . . .

**श्री अध्यक्ष**--उन्होंने क्या जवाब दिया है ?

**श्री राजनारायण**--उनका जवाब तो शाम को हमको मिला।

"Dear Sir,

I am desi ed to acknowledge the receipt of your lcttcr.

Yours faithfully.

M. C. Sharma"

अब यह देखा जाय कल शाम को यह पत्र आया। इसमें न तो नहीं कर रहे हैं और न हां कह रहे हैं। आज सुबह से राज्यपाल महोदय से सम्बन्ध स्थापित कर रहा हूं। मैंने कहा आपने यह नहीं बताया कि आप इस सरकार को यह अनुपूरक बजट पेश करने की आज्ञा दे चुके हैं या नहीं। और अगर दे चुके हैं तो वापस ले रहे हैं या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष**--मैं जानना चाहता हूं कि राज्यपाल की सिफारिश इसको उपस्थित करने की क्या सरकार के पास पहुंच गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**--जी हां, वह तो है ही हमारे पास। बगैर उसके तो कर ही नहीं सकते।

**श्री अध्यक्ष**--श्री राज्यपाल की सिफारिश के बाद इसको प्रस्तुत किया है। तो उनकी सिपारिश से जब प्रस्तुत किया है और आपके पास वह आ चुका है तो जब तक कि उसके विपरीत कोई राज्यपाल का आर्डर न हो कि आप पेश नहीं कर सकते, तब तक पूरक अनुदान उपस्थित करने का अधिकार है और राज्यपाल महोदय ने अगर माननीय राजनारायण जी को यह जवाब नहीं दिया कि उपस्थित करने का अधिकार नहीं है तो माना जायगा कि सरकार उपस्थित कर सकती है। इसलिये मैं माननीय राजनारायण द्वारा उठायी हुई वैधानिक आपत्ति को व्यर्थ समझता हूं।

**श्री राजनारायण**--आप कृपया राज्यपाल की आज्ञा मंगा कर देख लें, क्योंकि नियमावली में यह है कि जो दिन निश्चित करें उसी दिन यह बजट रखा जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष**--जी हां, नियत किया हुआ है।

## १९५५–५६ के अतिरिक्त अनुदान

**गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)**--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५५–५६ के अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

## कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी

**श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)**--मान्यवर, मुझे कार्य सूची के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि कुमाऊं जमींदारी विनाश विधेयक से साढ़े २२ लाख जनता का हित होने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सत्र में यह विधेयक अधिनियम का रूप लेगा या नहीं।

**न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)**--जितना जरूरी काम हो जायगा उसके बाद वह भी जरूरी काम है वह भी होगा। पहले कुछ बिल हैं जो आर्डिनेंस के कारण आये हैं, उसके बाद सीलिंग वाला विधेयक है। यह सब हो जाने के बाद होगा अगर समय मिलेगा।

**श्री प्रतापसिंह**--मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सन् १९५६ से यह कार्यसूची पर चला आता है। कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे सरकार इसको अधिनियम नहीं बना सकी ?

**श्री अध्यक्ष**--यह सवाल आप कर चुके हैं और इसके ऊपर उत्तर आ चुका है और आपके पड़ोसी नाराज भी हुए थे वही अड़चन डालते हैं। मैं समझता हूं यह बात पहले हो चुकी है।

## पूरक अनुदान प्रस्तुत करने पर आपत्ति

**श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)**--इस पार्लियामेंटरी पुस्तक में पृष्ठ २८७ पर कैबिनट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कि अगर किंग को यह संतोष हो जाता है कि इस समय सरकार जनता का प्रतिनिधि नहीं कर रही है और टेक्नीकल तरीके से वह वोट नहीं करती है तो भी उस सरकार को किंग के द्वारा हटाया जाना उचित है।

**श्री अध्यक्ष**--वह बात तो किंग को करना चाहिये, आप सुपर सोवरेन तो हैं नहीं।

**श्री राजनारायण**--अपनी इस राय का इजहार करने के लिये कि यह सरकार अजनतांत्रिक तरीके से इस बजट को पेश कर रही है इसके विरोध में हम १५ मिनट के लिये सदन का त्याग करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**--यह बात है।

(सोशलिस्ट पार्टी ने सदन का परित्याग किया।)

**श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)**--मान्यवर, मैं एक व्यवस्था के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यदि आपकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य बोले तो वह उसका बोला हुआ कार्यवाही में आयेगा या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष**--मेरी आज्ञा के बगैर अगर बोले हैं तो कथन कार्यवाही में नहीं आयेगा। लेकिन अगर मैं इजाजत दे देता हूं बीच में बोलने के लिये तो उनका दोष कंडोन हो जायेगा और कथन कायम रहेगा। मतलब यह है कि मैं बीच में इंकार कर दूं मत बोलो और फिर कह दूं कि अच्छी बात है जारी रखो तो उन का दोष कंडोन हो जाता है।

**राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)**--एक व्यवस्था चाहता हूं कि अगर अध्यक्ष की आज्ञा के बिना इस सदन में कोई सदस्य भाषण करे तो वह सदन का अवमान है या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष**--सदन का अवमान तो है ही, लेकिन सदन के हर अवमान के ऊपर एक सी कार्यवाही नहीं होती। कभी अवमान के ऊपर कार्यवाही यह हो जाती है कि मैं कह दूं कि "सदन को छोड़ दो", नहीं छोड़ते हैं तो उठा कर बाहर भी करा देता हूं। कभी विशेषाधिकार की जो कमेटी है उसके पास भी मामला जाता है, लेकिन उसमें आखिर में सोचने की बात होती है, क्योंकि उसकी कार्यवाही महीनों में खत्म होती है, इसलिये तात्कालिक कार्यवाही करने के लिये अध्यक्ष के हाथ में जो विशेष अधिकार दिये गये हैं उन्हें नियमों के अनुसार मैं कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता हूं। मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन के सदस्य स्वयं ही इस बात पर विचार करके अनुशासन कायम रखेंगे और मुझे मेरे कार्य में सहयोग देंगे।

## *उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—कल मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन विधेयक आया है उसका आधार क्या था। मैंने यह भी निवेदन किया था कि सन् १९५५ का जो अधिनियम बना उस अधिनियम की तुलना में १९५७ का जो विधेयक पेश किया गया वह बहुत प्रगतिशील था और वह प्रस्तुत किया गया था, इस विचार से कि विश्वविद्यालयों में हमारे अध्यापक आश्वस्त हो कर, प्रसन्नतापूर्वक और सम्मान पूर्वक काम कर सकें। अध्यापक संगठन का जो प्रस्ताव था उन प्रस्तावों पर बहुत विचार करने के बाद, उनके प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के बाद और विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों से मिलने के बाद और उन सबकी राय लेने के बाद वह विधेयक उपस्थित किया गया जिसका स्वागत इस आदरणीय सदन में प्रत्येक पक्ष की ओर से हुआ।

अब हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि जो कानून बना उसके नियमों के अनुसार, विश्वविद्यालयों की जो समितियाँ हैं उनका संगठन हो जाय और जो स्टेट्यूट्स उस कानून के मुताबिक हमने बनाये वे कार्यान्वित हो जांय, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। मान्यवर, प्रयाग विश्वद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय में जो कानून के अनुसार स्टेट्यूट्स बने और जो आदेश निकले उनका पालन करने और तदनुसार समितियों को संगठित करने की चेष्टा आरम्भ हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक गड़बड़ी पैदा हुई। जिस दिन यह आदेश निकला कि इस तारीख तक यूनिवर्सिटीज की बाडीज बन जांय उसके बाद ही हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुई और हाई कोर्ट ने यह फैसला किया, अगर बाडीज तथा अथारिटीज का टर्म डिटरमिन करना था तो उसके शब्द कुछ और स्पष्ट होने चाहिये थे। हाई कोर्ट की उस राय के मुताबिक कठिनाइयों को दूर करने का ज्योंही आदेश निकला त्योंही ३–४ रिट्स फिर दाखिल हो गयीं और नतीजा यह हुआ कि सारे चुनाव रुक गये और जो चुनाव शुरू हो गये थे, इंजक्शन आर्डर के जरिये उनका नतीजा प्रकाशित नहीं किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि न तो वहां एग्जिक्यूटिव कौंसिल रही, न वहां सेलेक्शन कमेटी रही और न वहां का काम आगे बढ़ सका। हाई कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक यह मुनासिब समझा गया कि हम अपने अधनियम में ही संशोधन करें क्योंकि कठिनाइयों को दूर करने का आदेश निकल चुका था, पर उससे काम नहीं चल सकता था, इसलिये कि फिर रिट्स दाखिल हो गयी थीं। तो यह आवश्यक समझा गया कि अगर यूनिवर्सिटी के काम को आगे बढ़ाना है, इनकी बाडीज को संगठित हो जाने देना है, यहां का जो कार्य रुका पड़ा है वहां की कार्यकारिणी समिति के न रहने की वजह से और प्रोफेसरों का चुनाव इत्यादि न होने की वजह से, वह कार्य अगर कराना है तो वह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक जो लेजिस्लेचर का मन्शा था उसे स्पष्ट करते हुये इस अधिनियम में संशोधन कर दिया जाय। यह पता लगा कि यूनिवर्सिटी जुलाई में खुलने वाली है और जुलाई के अन्त में विधान सभा का अधिवेशन होगा और इस बीच में यूनिवर्सिटी में जो अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, विशेषकर सत्रारम्भ में, उन प्रश्नों का सुलझाव करने के लिये कोई समिति या अधिकारी बाडी नहीं रह गयी और मालूम नहीं ये मुकदमे कब तक चलते रहेंगे, इसलिये यह आवश्यक हुआ कि हम अध्यादेश निकालें और इस विधेयक में मुख्य बात जिसके कारण इसको लाने की जरूरत पड़ी वह, जो कठिनाइयों को दूर करने वाला हमारा अध्यादेश निकला था उसको एक व्यापक स्वरूप देने के लिये ही वह अध्यादेश निकला और यह विधेयक भी लाया गया।

मान्यवर, यहां यूनिवर्सिटी आटोनामी की बड़ी चर्चा की जाती है। मेरी समझ में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका अर्थ बिला समझे हुये हम बहुधा उन शब्दों का प्रयोग करते

---

*२० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†२४ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हैं। हम से कहा गया कि जो यह विधेयक लाया गया है यह यूनिवर्सिटी की आटोनामी में हस्तक्षेप करता है। मैं समझ न सका। यह विधेयक इस वास्ते लाया गया कि विधान सभा ने जो निश्चय किया था और जिस कानून को बनाया था, जिसका इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य ने स्वागत किया था उस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद वह कार्यान्वित किया जा सके। यदि किसी ओर से भी उस अधिनियम के कार्यान्वित किये जाने में बाधा उपस्थित होती है तो इस सदन का सम्मान इस बात की मांग करता है कि उन कठिनाइयों को हम दूर करें और अगर उसके लिये विधेयक लाया जाय, क्योंकि कठिनाइयां स्पष्ट उत्पन्न हुईं, तो यह कहा जाय कि यूनिवर्सिटी आटोनामी में हस्तक्षेप है, यह हमारी समझ में किसी प्रकार नहीं आया। यह तो इस आदरणीय सदन की अत्यन्त अक्षुण्ण जो प्रभुता है उस पर कुछ लोगों ने आघात करने की चेष्टा की। भले ही यह कहा जाय कि आपने जो अधिनियम बनाया उसमें पहले से शब्दों को स्पष्ट क्यों नहीं रखा। तो यह भूल हो सकती है कानून बनाने वालों की और इस आदरणीय सदन के सम्मुख भी वह आया था। उसकी ओर कोई प्रयास न किया गया हो यह सोच कर कि इससे हमारा अर्थ निकलता है। तो अब हाई कोर्ट के मत के अनुसार साफ करने के लिये यह विधेयक आया है, कोई आज्ञा उन्होंने नहीं दी, इसलिये यह विधेयक प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है। मान्यवर, मैं उन लोगों में हूं जो यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता को पवित्र मानते हैं और ऐसा समझता हूं कि उच्च प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप जहां तक हो सके कम से कम हो, नहीं के बराबर हो और तभी हो जब बहुत ही आवश्यक हो। इस सिद्धांत में मेरा दृढ़ विश्वास है। हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां पर अनेक विश्वविद्यालय हैं। भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में इतने विश्वविद्यालय नहीं है जितने हमारे प्रदेश में हैं और उनका अपना एक ऊंचा स्थान है। उन्होंने देश में ख्याति प्राप्त की है और काफी पुराने भी हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी योग्य भारतीय संतानों को भी उत्पन्न किया है जिनसे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। ऐसे विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र में अकारण हस्तक्षेप करने की चेष्टा यदि कोई सरकार करे तो वह खराब बात और घातक है। इससे खराब और घातक बात दूसरी नहीं हो सकती है।

श्रीमन्, देखना यह है कि आटोनामी के माने क्या हैं, ? क्या इसका अर्थ यही है कि कोई भी वर्ग, समूह या व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस प्रकार उपयोग करे कि यह स्वच्छंदता हो जाय तो मैं नहीं समझता कि यह किस प्रकार की आटोनामी है ? इसका संबंध तो शिक्षा के प्रतिबन्धों से, कानून के स्वीकार करने से, कानून के मुताबिक चलने से ही स्वतंत्रता होती है चाहे नागरिक हों, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो। डैमोक्रेसी में तो खास बात है कि उसका आधार ही इस बात पर होता है कि कानून का प्रतिपालन स्वेच्छा से हो। सरकार को उसके पालन करने की आवश्यकता न पड़े बल्कि नागरिक जिन कानूनों को बनाते हैं उनको स्वीकार करें और उनके अनुसार अपना बरताव करें और जब कानून की मर्यादा बंध जाती है तो अधिकार और कर्त्तव्य के बीच में कानून बनते हैं। हमारा यह अधिकार है, हमारा यह कर्त्तव्य है, इसी आधार पर लोकतंत्र चलता है और स्वतंत्रता की भी सुरक्षा होती है। यह नहीं कि नाक की सीध में छड़ी चलाते चलें और यदि कोई बीच में आ जाय तो उससे हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। इसलिये कानूनों के कार्यान्वित करने में और उनके अनुसार चलने की चेष्टा करने में यदि आटोनामी में हस्तक्षेप हो जाय तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। हम जिन विधेयकों को स्वीकार करते हैं और अधिनियम बनाते हैं उनके प्रतिपालन में यह कहा जाय कि आटोनामी में हस्तक्षेप है, जैसा कि कल हमारे भाई पंडित देवीप्रसाद जी कह रहे थे कि रेलवे टाइम टेबुल की तरह से कानून छाप दिया करें। विश्वविद्यालय के कार्य में किसी ऐक्ट की जरूरत नहीं है, किसी स्टैट्यूट की जरूरत नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से कानून बनाये तो ऐसा हो सकता है। बहुत-सी सार्वजनिक संस्थायें अपने नियम आदि बनाती हैं और उनके अनुसार अपना काम करती हैं। कोई ऐसी हैं जो

रजिस्ट्री कराती हैं और कोई नहीं कराती हैं। यूनिवर्सिटीज को भी इसी स्थिति में छोड़ दिया जाय, उनके लिये किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। अपने नियमों के अनुसार वह चलती रहें, अगर यह नीति है और उसके अनुसार कार्य हो तब वह बात की जाय। लेकिन यह न हो और तरीका यह हो कि विधेयक बने और अधिनियम बनें और उनके प्रतिपालन में यदि हस्तक्षेप की कल्पना की जाय तो यह आटोनामी नहीं है और आटोनोमी के माने यह भी नहीं हैं कि उनको अपने ढंग से बिना कायदे कानून के जिस तरह से चाहे काम करते रहने दो।

हमारे मित्र जब आटोनामी का नाम लेते हैं तो उन्हें कुछ भ्रांति होती है कुछ उलझन होती है। एक तरफ तो वह कहते हैं कि हस्तक्षेप न हो दुसरी तरफ कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज के संबंध में कमीशन कायम हो, इंक्यावरी कराइये और इनके फायनेन्सेज पर कंट्रोल करिये तो श्रीमन्, हमारी समझ में यह बात नहीं आई। हमारे भाई रामायणराय जी ने कहा कि क्या आप केरल का रास्ता पकड़ना चाहते हैं? दूसरी तरफ उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की चिट्ठी पढ़कर सुनाई कि सारी अर्थ व्यवस्था को अपने हाथ में लीजिये और ट्रेजरार को वहां से हटाइये। दूसरी तरफ कहा कि यूनिवर्सिटीज की आटोनामी में हस्तक्षेप हो रहा है तो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर यह साधारण सा विधेयक आपकी मंशा को कार्यान्वित करने के लिये लाया गया है। जिस चीज को आप कर रहे थे, वह नहीं कर पाये, उसमें कुछ स्पष्टता की आवश्यकता थी, आप स्पष्ट करने के लिये ले आये तो यह हस्तक्षेप हो गया। जब आप यह प्रश्न उठायें तो कुछ सिद्धांतों की बार-बार आवृत्ति की जाय और स्वयं उन सिद्धांतों के तर्कों में फंस जाया जाय मैं समझता हूं कि कोई बड़े लाभ की बात नहीं होगी। मेरे सामने यह प्रश्न था और आज भी है कि यूनिवर्सिटीज के फाइनेंसेज को कंट्रोल करने का कौन सा तरीका है। वह ऐसी संस्थायें हैं जिनको एक बड़ी सीमा तक स्वतंत्रता होनी चाहिये अपने को चलाने की। पर साथ ही साथ वे ऐसी संस्थायें हैं जिनकी सहायता यदि सरकार द्वारा न होगी तो उनका चलना भी कठिन है। लंदन के विश्वविद्यालय की चर्चा करना बेकार की बात है। यहां तो अनुदान न हो तो यूनिवर्सिटियों का चलना कठिन हो जाय। पहले बाहर से जितना मिलता था अब उतना भी नहीं मिल पाता। इसलिये अनुदान भी उन्हें पूरा पूरा मिलना चाहिये अपना विकास करने के लिये। लेकिन अगर कहीं कोई सीमा न हो और सारा खर्चा आपके सर पर पड़ता रहे तो आज के लोकतंत्र के युग में भी पूरी स्वतंत्रता का सिद्धांत स्वीकार करते हुए भी आप कभी ग्राह्य नहीं समझेंगे कि किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप न किया जाय। कोई कमीशन कायम करके, सरकारी आदमी की नियुक्ति करके, पेड रजिस्ट्रार रख कर, एक-एक आइटम को जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट उसकी स्क्रुटिनी करते हैं उसी तरह से करके उनकी आटोनामी की रक्षा करें अथवा इस प्रकार का प्रबन्ध लगायें जिससे उन्हें अपने विकास करने का अधिकार भी हो, उचित सीमा तक, और साथ ही साथ यह भी प्रबन्ध हो कि सरकार के ऊपर इस तरह का बोझा न बढ़ता चला जाय जिसका उठाना हमारे लिये कठिन हो जाय।

कैलाशप्रकाश जी ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय ने अपनी इम्मूवेबिल प्रापर्टी बेची। हमने कहा भी नहीं। क्या हम चाहते हैं कि कोई अपनी इम्मूवेबिल प्रापर्टी बेचे तब इस प्रकार की चीज लायें? किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर लाखों रुपयों का कर्ज हो जाय, उन चार वर्षों में हो जाय जिन चार वर्षों में आपने पुराने कर्ज को अदा किया। १९५४ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निश्चय किया कि १८ लाख रुपया जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर था और १६ लाख के करीब लखनऊ विश्वविद्यालय पर था। इन दोनों कर्जों को उत्तर प्रदेश की सरकार वाइप आउट करे, यह हमने १९५४ में निश्चय किया। यह भी निश्चय किया कि भविष्य में यूनिवर्सिटियां इस प्रकार कर्ज न लेती रहें, जिससे वह संकलित हो जाय और सरकार को अदा करना पड़े। उस खर्च के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल रहे। लोकल बाडीज भी स्वीकार करवाती हैं तब कर्जा लेती हैं। यूनिवर्सिटियां खर्च करती चली जाती हैं, कर्ज लेती जाती हैं और अदा करने का काम सरकार के ऊपर आता है। हमारे लिये यह भी मुमकिन नहीं है कि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिन्होंने कर्ज दिया है वह यूनिवर्सिटियों की प्रापर्टी नीलाम करवाने लगें और सरकार तथा प्रदेश की जनता, बैठी रहे। हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कर्ज अदा करें। १९५४ में सरकार ने तय किया, ३४ लाख रुपया अदा कर दें। लेकिन एक तरफ १९५४–५८ के बीच किस्तों में रुपया अदा किया गया और दूसरी तरफ इसी बीच में लखनऊ यूनिवर्सिटी पर फिर कर्ज हो गया और मेडिकल कालेज का और विश्वविद्यालय का दोनों का मिलाकर के करीब ३९ लाख रुपया हुआ, पिछली बार का ढाई गुना।

अब सरकार के सामने यह प्रश्न आया। हमसे पूछा गया कि क्या कभी गवर्नमेन्ट ने यह लिखा कि इस तरह का कर्ज मत लो और कर्ज अपनी सीमा के अन्दर लो। अनेक बार लिखा गया है, एक दो बार नहीं। और वही समझकर के कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी में बहुत अधिक हस्तक्षेप न किया जाय क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की जमात है, हर वक्त उनके साथ एक इस तरह का वर्ताव न हो कि तुम लाओ अपना हिसाब-किताब रोज रोज पेश करो, सुबह से शाम तक वाइस चांसलर दौड़ता रहे। उनसे हमेशा इस बात की प्रार्थना की गई कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहियें, इसका भार सिर पर चढ़ेगा, आप खर्चा जो करते हो वह अनअथराइज्ड नहीं होना चाहिये।

सारे उत्तर प्रदेश में उसके सारे विभागों में साढ़े बारह परसेंट डी०ए० दिया जाता है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने यहां साढ़े सत्रह परसेंट डी०ए० देती है। सरकार ने बार-बार कहा लेकिन वह हमारी बात नहीं मान सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने यहां कम कर दिया और उस रेशियो पर ले आये जो कि सरकारी विभागों में था। लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं माना, उनका खर्च बढ़ता गया। यह कोई नहीं कहता है और न किसी ने यह आरोप लगाया यद्यपि ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जैसे आर्थिक गड़बड़ी, लेकिन उसका यह कोई मतलब नहीं है कि कोई रुपया वहां खा लिया गया या कोई रुपया वहां डूब गया या गबन हो गया। इस प्रकार का कोई चार्ज नहीं है न यह किसी ने शिकायत की और न यह बात है। बात जो है वह यह है कि खर्चा बढ़ता चला गया है, बिना किसी नियंत्रण के और कर्ज बढ़ता चला गया। अब उस कर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। अब यह ४० लाख रुपया फिर अदा करे और इस बात की गारन्टी फिर भी नहीं है कि आज हम यह तय करें कि चार पांच छः वर्ष के अन्दर हम उसको अदा करेंगे तो अगले चार पांच वर्षों के अन्दर ४० लाख की जगह फिर ५० या ६० लाख नहीं हो जायगा। आखिर क्या हो? आपका धन है। व्यवहार की बात है, शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से कहा भी कि हम अदा कर देना चाहते हैं तो जो विभाग रुपया अदा करता है वह भी यह कहता है कि पहले तो यह था कि अब कर्ज नहीं होगा लेकिन यह फिर हो गया। आज अगर फिर अदा करते हैं तो क्या गारन्टी है कि आगे चलकर फिर इसके लिये मांग पेश नहीं होगी।

अब हमने तो कम से कम हस्तक्षेप करने के विचार से उनकी मूवेबिल प्रापर्टी पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इम्मूवेबिल प्रापर्टी पर और कर्ज न लेने के लिये बिना सरकार की आज्ञा के अगर हमने प्रतिबन्ध लगाया तो उससे जो लोग कर्ज दे रहे हैं उन पर एक प्रतिबन्ध हो जाता है। यह बात कही जाती है कि एक लाख सवा लाख रुपया सालाना लखनऊ विश्वविद्यालय सूद देता है। अगर ऐसा हो जाय कि जिन असेट्स के ऊपर वह देने वाले हैं कर्ज उन असेट्स को न तो वह कुर्क कर सकेंगे न नीलाम कर सकेंगे तो कर्ज देने में भी रुकावट हो जायगी और लेने वाले के ऊपर भी प्रतिबन्ध हो जायगा कि जितनी उसकी पोजीशन है उतना ही कर्ज वह ले सकेगा। इस विचार से यह हमने रखने की चेष्टा की है। यह कहें कि यह हम समझते नहीं कि यूनिवर्सिटी की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ेगी ऐसी बात नहीं है। उनकी आवश्यकता बढ़ेगी तो उनकी सहायता भी होनी चाहिये। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी जुबिली के अवसर पर ७० लाख रुपया खर्च किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी जो २५ साला जुबिली मनाया था उसमें काफी पैसा उतारा। उन्हें चन्दे भी मिलते हैं।

यहां के सन् ४८ से लेकर ५८, ५९ तक के बजट को आप देखें तो आप पायेंगे कि इन आठ नौ वर्षों के अन्दर यूनिवर्सिटी पर होने वाला खर्च कितना बढ़ा है। पहले कितना देते थे और अब कितना दे रहे हैं। तो हमने हर तरह से उनकी सहायता की है और इस प्रकार से एक कर्जा अदा हुआ है। ४ वर्ष के बाद फिर ४० लाख हो जाय और वह कर्जा अदा करने की जिम्मेदारी नैतिक और वैसे भी आपके ऊपर आये और वह आयेगी क्योंकि वह तो अदा नहीं कर सकती, उनकी ताकत के बाहर की बात है तो फिर यह प्रतिबन्ध लगाये इसमें कौन सी चालबाजी है या उसमें कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश है या यह सोचा जा रहा है कि उनके विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया जाय और कुंठित किया जाय। यह कहां से उसमें से निकला। मैं तो ऐसा समझता हूं कि दो चीज इसमें विशेषरूप से रहीं। एक तो यह कि आपने एक अधिनियम बनाया वह कार्यान्वित नहीं हुआ। आपका जो आदेश हुआ उसमें बाधा हो तो उसको दूर किया जाय। एक भाई ने कहा कि रिमूवल आफ डिफिकल्टी आदेश ने डिफिकल्टी पैदा की। इसमें किस प्रकार से पैदा की और अगर पैदा की या पैदा हुई तो उनके परिहार के लिये सिवाय इसके और क्या मार्ग था कि आपके सामने आयें और आकर कहें कि यह कमी रह गई और उस कमी को दूर करने के लिये हमको यह अधिकार दें जिससे फिर से आपकी मंशा के अनुरूप कार्य हो सके।

पंडित देवी प्रसाद जी ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में ऐसे प्रश्न उठाये जो शिक्षा की दृष्टि से, जो उसकी महत्वपूर्ण समस्यायें हैं, उनका सीधे-सीधे इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु उन्होंने उन प्रश्नों को उठाया जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन के सम्बन्ध में थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक स्वरूप हम भी चाहते थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हों जहां पर अध्ययन हो और ऐसी भी हों जो सम्बद्धता प्रदान करें। क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रश्न हमारे सोचने का प्रश्न हो गया है। आगरा, गोरखपुर विश्वविद्यालयों की आप बात न करें कि इसके पास ३२ जिले हैं और उसके पास १०, १५ जिले हैं। अब आगरा विश्वविद्यालय का क्षेत्र भी घटता ही चला जाता है। आगरा विश्वविद्यालय पहले मध्य भारत के कालेजों को सम्बद्धता प्रदान करता था अब उन्होंने आपनी यूनिवर्सिटी कायम कर ली तो वह हट गये,। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करके आपने उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को उससे सम्बद्ध कर दिया। आपके सामने यहां पर यह प्रश्न रोज उपस्थित होता है कि मेरठ में यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाय और कानपुर में एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाय। हमारे प्रताप सिंह जी बराबर कहते रहते हैं कि एक रूहेलखंड में कुमायूं यूनिवर्सिटी कायम की जाय। नारायण-दत्त जी यहां पर नहीं हैं वे बराबर कहते रहते हैं कि वहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय और उस क्षेत्र के जो कालेज हैं उनको उससे सम्बद्ध किया जाय, और आज यह रिकमन्डेशन राधाकृष्णन कमीशन की भी है कि इस प्रकार के एफीलियेशन का चलना कठिन काम है और यूनिवर्सिटी बनाकर रखें क्योंकि छात्रों की संख्या बराबर बढ़ती चली जा रही है। अगर मेरठ की यूनिवर्सिटी बने और कानपुर की यूनिवर्सिटी बने और जितने क्षेत्रों में कुल २५ हजार लड़के हैं जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको देखा जाय तो इसका औचित्य सिद्ध हो जाता है कि यूनिवर्सिटी स्थापित करके सम्बद्धता प्रदान करें। जब ऐसी बात है तो कदाचित क्षेत्रीय विश्वविद्यालय आपके लिये आवश्यक हैं और उनकी स्थापना बिना काम नहीं चलेगा। तब फिर निसन्देह क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के कार्य-क्षेत्र और उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी सीमा को निर्धारित करना पड़ेगा।

विश्वविद्यालय हमारे स्वतंत्रतापूर्वक चलें और जो अधिनियम आपने बनाया और जो स्पष्ट रूप से, निश्चयरूप से सन् १९५५ के अधिनियम से कई कदम आगे गया है इसको स्वीकार करें। जो चीज आपने स्वीकार की थी पहले उसको ही कार्यान्वित करने के लिये यह चेष्टा कर रहे हैं। इसक विरुद्ध इसमें कोई कहीं गुंजायश दिखाई नहीं देती क्योंकि स्वयं यह सदन अपने ही निश्चय को कार्यान्वित करने के विरुद्ध हो जाय ऐसी बात सोचना भी इस सदन की शान के विरुद्ध होगा तो आज यह जो विधेयक आया है उसका मंशा केवल इतना ही है। यह कहा गया कि वाराणसी के जो कालेज थे जो हिन्द विश्वविद्यालय से संबद्ध

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

थे उनके प्रश्न को आपने इसमें रखा और अब वह दो साल के लिये टाल दिया गया। यह ठीक बात है कि वह टाल दिया गया और वह रिप्रेजेन्टेशन्स पर टाल दिया गया। मैं तो उन लोगों में से हूं व्यक्तिगत रूप से भी कि जो समझते हैं कि बनारस के जो कालेज हैं वह उस हिन्दू विश्वविद्यालय से ही संबद्ध रहने चाहिये। परन्तु यह भारत सरकार का विधान है, उनका विश्वविद्यालय है। उन्होंने निश्चय किया अपने कमीशन की सिफारिश के मुताबिक। कदाचित यह स्वीकार किया उसने कि बनारस विश्वविद्यालय से कोई दूसरे कालेज संबद्ध न हों। उन्होंने नोटिस दिया विश्वविद्यालय की ओर से और उनको सूचना दी गयी कि आप अपना प्रबन्ध कीजिये। आपको असंबद्ध कर दिया जायगा। जून से यह प्रश्न हमारे सामने हैं कि वह कालेज कहां जायंगे, कैसे उनकी गाड़ी चलेगी, कैसे विद्यार्थियों की भर्ती की जायगी। इसके लिये डेपुटेशन भी आये, पत्र भी आये, तार भी आये। मैंने कहा कि आप इस प्रश्न को लें विश्वविद्यालय से कि वह एबरप्टली ऐसा न करें, उसके लिये हमें समय दें। परन्तु इस अनिश्चित स्थिति में समय मिलेगा या नहीं, तब तक उनका कोई आदेश नहीं आया था कि वह अवधि १९६१ तक के लिये बढ़ा देंगे, इसलिये यह आवश्यकता थी कि हम उनकी व्यवस्था करते। यह तीन बातें इसमें हैं। इनमें न तो यूनिवर्सिटियों की आटोनामी पर आघात करने का प्रश्न है और न उनके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने का, कुंठित करने का है, न इस बात का है कि हमें कोई अध्यादेश जारी करने का शौक था यद्यपि वह वैधानिक है पर अत्यन्त ही विशेष परिस्थितियों में उसका प्रयोग करने की जरूरत है। आवश्यकतायें हमारे सामने थीं और इसलिये यह विधेयक हम सदन के सामने लाये।

मैं थोड़ा समय आप से और लूंगा और यह निवेदन करूंगा कि मुझे इस बात की आशा है कि अब हमारे विश्वविद्यालयों की जो बाडीज और अथारिटीज हैं उनका शीघ्रातिशीघ्र संगठन हो सके और यह संगठित होकर अपने कार्य को शीघ्रता के साथ आगे बढ़ावें। हमें यह भी आशा है कि विश्वविद्यालयों के विकास में इस प्रकार की एक धारा लगा देने से उनकी कोई हानि न होने पायेगी। परन्तु इस बात में अवश्य ही सहायता मिलेगी कि हम आश्वस्त होकर इस विषय को देखें कि उनके ऊपर लदे हुए भार को दूर किया जाय और साथ-साथ हम इस आश्वासन के साथ अग्रसर हो सकें कि इस प्रकार की परिस्थिति भविष्य में न उत्पन्न हो सकेगी। बार-बार हम से कहा गया कि हम कमीशन कायम करें, इंक्वायरी करायें। बार-बार यह मांग की गयी। जैसा मैंने निवेदन किया कि कमीशन और इंक्वायरी एक तरफ और आटोनामी दूसरी तरफ। यह दोनों कहीं साथ-साथ चलें, कहीं चूल बैठती हो, यह मुझे दिखाई नहीं पड़ता। प्रश्न सरकार के सामने रहा है।

हमसे बहुत बार मांग होती रही है, गौरीशंकर राय जी ने बहुत बार कहा कि सारी यूनिवर्सिटीज के लिये एक कंप्रिहेंसिव बिल ले आइये, ऐसा बिल कि जिसमें साधारण सिद्धांतों का समावेश हो, जिनके आधार पर सारी यूनिवर्सिटीज संचालित हों, जिसमें समकक्षता भी हो और समानता भी हो। और लोगों ने भी कहा, इस बात की मांग की। हमारे सामने भी प्रश्न रहा है कि क्या हम इस प्रकार के कमीशन की स्थापना करें कि जो इस बात को देखे कि क्या हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था जिसमें सभी विश्वविद्यालयों का समावेश हो सके, इस प्रकार का कोई विधेयक ला सकते हैं और वह इस विषय को भी देखे कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज में खर्च बढ़ता चला जा रहा है और उसके लिये उनको कर्ज करने की आवश्यकता पड़ती है उस पर सरकार का जितना आवश्यक हो अंकुश रह सके, यह किस प्रकार किया जाय कि उनकी स्वतंत्रता में भी बाधा न हो और विकास का मार्ग भी कुंठित न हो और जो आर्थिक सूत्र को नियंत्रित करने का सवाल है वह भी किसी सीमा तक पूरा हो सके और उनकी स्वतंत्रता पर ठेस न पहुंचे। इन तमाम प्रश्नों पर विचार करने के लिये सरकार के सामने विचार रहा है कि हम एक कमीशन की स्थापना करें। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस पर

बिचार ही करते रहे हैं, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे क्योंकि हम स्वयं समझते हैं कि हमारे यहां के विश्वविद्यालय और वहां के अधिकारी और वहां के उपकुलपति और हम सब इस प्रकार अपने कार्य का संचालन कर सकते हैं कि इस प्रकार के किसी कमीशन या कमेटी की आवश्यकता ही न पड़े और हम विचार विनिमय कर के ऐसा बिल भी ले आ सकें और ऐसे उपाय भी निकाल सकें कि जिससे उस लक्ष्य की सिद्धि हो सके जिसकी ओर संकेत करने की मैंने धृष्टता की है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसके लिये किसी कमीशन इत्यादि की स्थापना से आपके विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता में, उनकी सत्ता में और उनके स्थान पर आघात पहुंच सकता है, प्रश्न है सरकार के सामने, आवश्यकता के अनुसार उसका निर्णय भी होगा। सम्प्रति हमारा काम चल सके और आपका अधिनियम कार्यान्वित किया जाय, विश्वविद्यालय पर जो बोझ पड़ा हुआ है उसको हटाने में हम सहायक हो सकें और वहां की बाडीज संगठित हो सकें, उनमें जो हमारे अध्यापक आदि हैं उनको जैसा प्रतिनिधित्व आपने प्रदान किया है वह मिल सके, उनके ग्रेड्स लागू हो जायं, उनको वह तमाम सुविधायें मिल सकें जो आपने उनके लिये दी हैं और जिनसे बाज जगह आज वह वंचित हैं, जैसा किसी ने उल्लेख किया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ही दो ग्रेड्स चालू नहीं है, इलाहाबाद ने किया है, न एक्जीक्यूटिव कौन्सिल है और न कुछ और सब रुका पड़ा हुआ है। बहुत से लोग एफीशियेन्सी-बार पर रुके पड़े हैं, तो इस अधिनियम के मुताबिक कार्यवाही हो सके इसलिये यह विधेयक सहायक होगा।

इसी विचार से मेरी प्रार्थना थी कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव हमारे सभी मित्र वापस लें। यह छोटा सा विधेयक है। बहुत बड़ा विधेयक आपने प्रवर-समिति में भेजे बिना ही स्वीकार किया, यह तो उसका संशोधन विधेयक है दो, तीन क्लाज का, इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसको स्वीकार करने से अध्यादेश की जो वैधानिक अवधि है, उस नियम का भी परिपालन हो सकेगा और यह छोटा सा संशोधन मात्र है, इससे हमारे विश्वविद्यालयों के जीवन की गति अग्रसर हो सकेगी, इन समितियों और संगठनों की रचना हो सकेगी, निर्माण हो सकेगा, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से संचालित करने में समर्थ होंगे और हमारे वे अधिकार जिनको सम्मुख रख कर सन् ५७ का अधिनियम आपने बनाया और जिन्हें वह सब सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये जिनको प्रदान, करने के लिये उस अधिनियम में संशोधन किया गया था उस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी। मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से पुनः एक बार प्रार्थना करता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति में इसको भेजने के प्रस्ताव को हमारे मित्र वापस लें और इस विधेयक पर विचार करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूं। माननीय मंत्री जी ने जिन बातों को कहा उनको देखते हुए यह जल्दी पारित होना चाहिये ताकि बाडीज आदि बन सकें और प्रापर फंक्शन शीघ्र हो सके।

**श्री अध्यक्ष**—मैं भाषण देने की इजाजत नहीं दूंगा। आप संशोधन वापस लेते हैं या नहीं।

**श्री गोविन्द सिंहबिष्ट**—मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं और यह प्रार्थना अवश्य करता हूं कि इसकी इंक्वायरी जरूर करायें।

**श्री अध्यक्ष**—श्री प्रतापसिंह, आप वापस ले रहे हैं?

**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—मैं आपके द्वारा वापस इस शर्त पर लेता हूं कि अगर वहां के अप्वाइंटमेंट्स में गड़बड़ी हुई है और फाइनेंसेज की गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए फाइनेन्शियल कंट्रोलर अप्वाइंट कर दें।

**श्री अध्यक्ष**—यह तो शर्तिया बात है। मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है इसलिये मैं राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट ७ दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि श्री गोविन्दसिंह विष्ट का जो संशोधन है, उसको वापस होने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ [The U. P. Universities Bill, 1959] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है, तथा

(ख) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय से है।

**श्री अध्यक्ष**—अब खंड २ पर विचार होगा। खंड २ में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ३

विश्वविद्यालय की अचल संपति के हस्तांतरण पर निर्बंधन

३—किसी विश्वविद्यालय पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात होते हुए भी, राज्य सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी विश्वविद्यालय की कोई अचल सम्पत्ति—

(१) निबंधक, विक्रय विनिमय या दान द्वारा या अन्यथा हस्तांतरित की जायगी और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार ली जायगी या कोई अग्रिम धन लिया जायगा,

(२) किसी ऋणदाता के कहने पर किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा, विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गयी किसी मांग के निमित्त या उक्त न्यायालय की किसी आज्ञप्ति (डिक्री) या आज्ञा के निष्पादन के हेतु न अभिगृहीत या कुर्क की जा सकेगी और न पृथक की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित किसी बंधक या संविदा किये गये किसी ऋण पर प्रवृत्त नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये सामान्य क्रम में दिया गया पट्टा (lease) इस धारा के अर्थ में हस्तांतरण नहीं समझा जायगा।

**श्री गौरीशंकरराय** (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द "राज्य सरकार की लिखित" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की" रख दिये जायं, ऐसा संशोधन करता हूं। अभी अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन के विवाद में यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष के बोलने वालों ने सबसे ज्यादा बहस की विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के निबन्धन और उसके रोक-थाम के विषय पर। मंत्री जी के भाषण से मालूम हुआ कि बड़ा आवश्यक था लखनऊ विश्वविद्यालय की गड़बड़ियों को देखते हुए कि वह विशेषकर इस पर प्रतिबन्ध लगावें वरना खतरा हो गया था कि इसकी अचल संपत्ति भी बिक जायगी। तो मैं चाहता यह हूं कि सरकार के जिम्मे यह न छोड़ा जाय। क्योंकि यह पोशीदगी की बात नहीं है कि जिन लोगों के अधिकार में लखनऊ विश्वविद्यालय रहा वह और जिनके हाथ में रहेगा वह सरकार में थे या कल हो जायंगे। अब विश्वविद्यालय के लोग ही उसको बेच लेना चाहेंगे और बड़ा आसान है वहां की पार्टीबाजी को देखते हुए और सरकार का जहां तक संबंध है उसको देखते हुए कि विश्वविद्यालयों के कतिपय दल चाहेंगे तो बड़ी आसानी से इस सरकार को तैयार करा सकते हैं बेंचने के लिए। तो जब मंत्री जी को यह संदेह है कि वह अपनी कुर्सी और मेज बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं तो मैं नम्रता-पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा विश्वास है कि यह सरकार भी अपनी स्वीकृति देने के लिए तैयार हो जायगी। ऐसी स्थिति में यह बड़ा निदोष संशोधन है कि इसकी स्वीकृति का अधिकार सरकार को न दिया जाय बल्कि हाई कोर्ट के जिम्मे यह काम छोड़ दिया जाय ताकि वहां से कोई जज लोग आवें और देख कर कि ऐसी स्थिति है विक्रय की, अपना निर्णय दें और सरकार के हाथ में स्वीकृति रही तो वह बन्दर के हाथ में जलने वाली लकड़ी देने की तरह होगा जो घूम-घूम करके घर फूंके जायगा। सरकार के लोग कोई बड़े ऊंचे नहीं हैं, उनकी भी दलबन्दी कोई ऊंची नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे इस संशोधन को विश्वविद्यालय के हक में और शिक्षा के हक में स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

**गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)**---अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार नहीं है। श्रीमन्, जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है उनको अनुदान देने का संबंध सरकार से रहा करता है, हाईकोर्ट को बीच में लाया जायगा तो जिस प्रकार से सरकार की खिलाफत की जाती है उस प्रकार से हाईकोर्ट भी बीच में आ सकता है। हाईकोर्ट का संबंध ऐसे मुकदमों में निर्णय देने का होता है जो जुडीशियरी में आते हैं। इसलिये जुडीशियरी को एग्जिक्यूटिव के कामों से सम्बद्ध करना किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। और जो यह सुझाव दिया गया है कि कि विश्वविद्यालयों को कर्जा लेने की स्वीकृति हाईकोर्ट दे, यह जहां तक मैं समझता हूं संविधान के अनुसार उनकी परिधि के बाहर होगा कि कोई हाईकोर्ट किसी विश्वविद्यालय को यह अनुमति दे कि वह कर्जा ले या न ले। ऐसी स्थिति में मुझे खेद है कि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न पूछना है। यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं और वह गृह मंत्री भी हैं। हमें ऐसी खबर मिली है कि श्री दीनदयालु जी उप-शिक्षा मंत्री हो गये हैं तो क्या माननीय गृह उप मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री की जगह पर बोल सकते हैं जब कि स्वयं शिक्षा मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं।

**श्री अध्यक्ष**---अगर वह आपको ही अधिकार दें तो आप भी उनकी ओर से बोल सकते हैं।

**श्री गौरीशंकर राय**---अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इसमें जुडीशियरी का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह कोई मुकदमा नहीं है जिस पर हाईकोर्ट को फैसला देना पड़े। मैं इसमें हाईकोर्ट के जज की अनुमति की आवश्यकता इस लिये समझता हूं कि वह उन संपूर्ण बातों को सुनकर और विश्वविद्यालय की सारी स्थिति को जानकर अपना विचार प्रकट करें कि विश्वविद्यालय की स्थिति कर्जा लेने की है या नहीं। इसमें सिर्फ यह है कि उस

[श्री गौरीशंकर राय]

समय जो विश्वविद्यालय की परिस्थिति हो उस पर वह न्यायपूर्ण विचार प्रकट करे। मैं समझता हूं कि यह सफाई हो जाने के बाद मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द "राज्य सरकार की लिखित" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति १ व २ के शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित किसी बन्धक या संविदा किये गये किसी ऋण पर प्रवृत्त नहीं होंगे" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस धारा से यह स्पष्ट है कि सरकार की नीयत यह है कि कोई भी विश्वविद्यालय अपनी अचल संपत्ति को न तो बन्धक रख सके और न उसकी बिक्री कर सके। यह लक्ष्य जो सरकार की तरफ से रखा गया उसके सिलसिले में माननीय शिक्षा मंत्री ने तमाम स्पष्टीकरण दिये और बहुत सी बातों का रहस्य उद्घाटित किया कि आज हमारे विश्वविद्यालयों में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अन्त में उसका असर सरकार के ऊपर पड़ता है और इस सदन के ऊपर पड़ता है। और इस ऋण की गति को भी उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से बराबर व्यय हुए और ऋणों की सरकार की तरफ से पूर्ति कर दिये जाने के बाद भी उनकी वृद्धि बढ़ती जाती है।

इस प्रवृत्ति को इस पक्ष के लोगों ने भी पसंद नहीं किया है। विश्वविद्यालय इतने खर्चीले नहीं होने चाहिए। हमारा देश एक निर्धन देश है, इसमें कृषकों का बाहुल्य है, कृषकों के ऊपर इस प्रकार का बोझा खर्चीले विश्वविद्यालयों को रख कर नहीं बढ़ा सकते। इस आधार पर हम इस नीति को मानते हैं कि विश्वविद्यालयों को असीमित ऋण लेने के अधिकार नहीं देने चाहिये। सरकार को उसके ऋणों की पूरी-पूरी जानकारी रहनी चाहिये। इस संबंध में हमने एक आपत्ति भी उठायी थी। विश्वविद्यालय की कमेटियों में सरकार के अधिकार रहते हैं और अगर सरकार ने अपने उन अधिकारों को ठीक प्रकार से उपयोग किया होता तो सचमुच ही विश्वविद्यालयों पर इतना ऋण न हो पाता। विश्वविद्यालय में सरकार के इतने अधिकार रहते हुए भी इतना ऋण हो जाना स्तब्ध करने वाला है। अवश्य ही सरकार की नीति कहीं न कहीं ढीली अवश्य है।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

मेरे इस संशोधन को रखने का मतलब यह है कि जो सरकार ने ऋणों को न बढ़ने देने की नीति अख्तियार की है, उसमें यह जो प्रतिबन्ध जोड़ा गया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह प्रतिबन्ध इस प्रकार से है कि यह कानून इसके पूर्व निष्पादित किसी बन्धक या संविदा किये गये किसी ऋण पर प्रवृत्त नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि २२ जून, सन् १९५९ ई० से प्रवृत्त हुए समझे जायें और २२ जून से पहले प्रत्येक यूनिवर्सिटी को खुली छूट होगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी को यह मालूम हो गया होगा कि इस प्रकार यह कानून आने वाला है तो उसने अपना सब काम कर लिया होगा, ऋणों में बाहुल्य कर लिया हो और वह ऋण हमें देय होगा। अगर हम ऋण की वृत्ति को रोकना चाहते हैं तो हाल ही में जो कर्ज लिये गये हों उन पर भी यह चीज लागू होनी चाहिये। इसलिये मेरा संशोधन इस नीति में परिवर्तन करने के लिये है। एक तरफ तो आप प्रतिबन्ध लगाते हैं और दूसरी तरफ बचाव का रास्ता निकाल देते हैं। इसलिये यह प्रतिबन्ध उचित नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें आगे जो कठिनाइयों के निवारण का अधिकार रखा गया है, उसमें कुछ ऐसे शब्द आये हैं जिनसे यह मालूम होता है कि इस विधेयक को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है। वह आपके बहुत मजबूत शब्द हैं। खंड ४ का उपबन्ध इस प्रकार से है--

"राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस संबंध में जारी की गयी या जारी की गयी प्रकट होने वाली आज्ञाओं.....।"

यह प्रतिबन्ध रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की बात जाहिर करता है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके संबंध में सरकार ने यह कहा, जैसा कि एक जगह शब्द आये हैं "राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस संबंध में जारी की गयी या जारी की गयी प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी और समाप्त हुई समझी जायगी, मानों उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो।"

इससे जाहिर है कि सरकार की मंशा यह है कि वह इसे रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देना चाहती है और २२ जून से यूनिवर्सिटीज द्वारा लिये हुए ऋण को कायम रखना चाहती हैं। अगर वास्तव में सरकार विश्व विद्यालयों के द्वारा ऋण लेने पर रोकथाम करने के लिये कटिबद्ध है तो उसे चाहिए कि इस कानून को वह २२ जून से पहले लिये हुए ऋण पर भी लागू करे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे ताकि उसे सुन लेने के बाद ही मैं प्रत्युत्तर दूं।

**श्री रामस्वरूप यादव**--अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। जैसा कि यह संशोधन पेश किया गया है, यदि इसे स्वीकार कर लिया जायगा तो फिर यह स्थिति हो जायगी कि जो २२ जून के पहले यानी अध्यादेश जारी होने के पहले ऐसे जो ऋण लिये गये हैं वे गैरकानूनी हो जायंगे। श्रीमन्, किसी कानून को बनाते वक्त यह देखना आवश्यक होता है कि जो हक किसी को उसके बनने से पहले मिल चुका हो वह हक उसे मिले। उसका मंशा यह हरगिज नहीं होता है कि जो हक किसी को पहले से मिला हुआ हो उसे छीन लिया जाय। कानून के बनने के पहले जो कर्जा लोगों ने यूनिवर्सिटीज को दिया तो देने वालों के सामने यह प्रश्न नहीं था कि कोई ऐसा कानून बनने वाला है जिससे कर्जा देने पर इस तरह की रोक लगा दी जायगी और कर्जा देना गैरकानूनी हो जायगा। श्रीमन्, ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने यूनिवर्सिटीज को कर्जा दिया है, चाहे वे बैंक्स हों या व्यक्ति हों, उस कर्जे को गैरकानूनी करार देना हरगिज न्यायप्रिय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में इस संशोधन को स्वीकार करना भी न्याय के विपरीत होगा। अध्यादेश जारी होने से पहले किसी को मालूम नहीं था कि विश्वविद्यालयों को कर्जा नहीं लेने चाहिये और यदि वे कर्जा देंगे बिना सरकार की अनुमति के तो उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। ऐसी स्थिति में यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

**श्री रामलक्षण तिवारी** (जिला बलिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जरा कृपा करके हमारी ओर से और मेम्बरों की ओर से माननीय अवस्थी जी से निवेदन कर दें कि जब वे बोलें तो आपकी ओर या सदन की तरफ रुख करके बोलें। और वह किताब जो वे हाथ में लिये रहते हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि वे उसे पढ़ रहे हैं और बात समझ में नहीं आती और इम्प्रेस नहीं कर पाते वे हम लोगों को। हम लोग उनकी बात की बहुत कद्र करते हैं और उसे समझना चाहते हैं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--श्रीमन्, अभी जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी है उस आपत्ति को मैंने पहले भी सुना है और मैं बराबर यह कोशिश करता हूं कि मेरे बोलने में कोई त्रुटि न हो लेकिन सरकार की बनायी हुई मशीन में ही कोई त्रुटि हो तो मैं निरासक्त हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री अधिष्ठाता**--अवस्थी जी मशीन में तो कोई त्रुटि नहीं मालूम होती है क्योंकि मुझ तक तो आवाज आती है।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--तो भी श्रीमन्, उस पक्ष से बराबर मुझे यह शिकायत सुनने को मिलती है कि वे नहीं समझ सके, अब कहां त्रुटि है, मैं क्या बतलाऊं? ऐसे यथा शक्ति मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी बात वहां तक पहुंचा पाऊं।

श्रीमन् माननीय उप मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह तो एक नकारात्मक रूप में ही रहा और मेरी विशेष दिक्कत की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उनसे यह प्रार्थना की थी कि इसमें वे कानूनी अड़चन की आड़ लेकर यह न कहें कि अब तक जो कर्जा यूनिवर्सिटीज द्वारा लिया गया है और उन पर चढ़ गया है वह चढ़ जाने दिया जाय। खैर, अब से ही सही क्लीन स्लेट पर आप अपनी नीति लागू करने की कोशिश करें तो भी अच्छा ही होगा। सरकार की यह स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटियों के लिये कर्जा लेना अमान्य, अहितकर और अनुचित है। उसे हम रोकेंगे और रोकने के लिये प्रयत्नशील हैं। दूसरी नीति यह होती है कि चोर से कहें चोरी कर और शाह से कहें देखते रहो। हम कानून बनाने जा रहे हैं इस बीच में अपना बुन चुन लो और मंत्री जी के कथनानुसार इसी दूसरी नीति का समर्थन उधर से होता है। कभी कभी हमें यह सन्देह मालूम होता है कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ७० लाख रुपया घट गया और सरकार ने ४ साल में उसे अदा करने की कोशिश की और फिर अदा करने के पहले नया कर्जा और हो गया, इससे मालूम होता है कि कर्जा लेने वाले और देने वाले सभी बड़े सचेत हैं और बराबर अपनी कारगुजारी जारी रखे हैं और फिर उसी पर कायम रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? जब मालूम है कि एक काम खराब हो रहा है पहले से तो उसे रोकने की जरूरत है।

सरकार के हाथ में तो अधिकार रहे हैं। जहां सरकार चाहती है वहां रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से काम कराती है। कठिनाई निवारण करने के लिये वह चाहती है तो रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से काम करती है। जब छोटी चीजों में वह पिछली तारीख से प्रभाव डाल सकते हैं तो इस कर्जे के मामले में क्यों नहीं पहले से लागू किया जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह के कर्जे के दरवाजे को बन्द कर दिया जाय। कर्जे को रोकने के लिये एक कड़ी नीति को अपनाने की जरूरत है। हर चीज में आर्थिक कंट्रोल करने के लिये सरकार के पास अधिकार है, पूरे अधिकार फाइनेन्स कमेटी में हैं। जब यह सब है तो क्यों कर्जा बढ़ रहा है? सरकार क्यों नहीं उसको रोकती? मैं जानना चाहता हूं कि इतने से संशोधन से क्या हो सकता है। इस आर्थिक कंट्रोल में कोताही की गई है और क्यों लापरवाही बरती जाती है। मुझे तो आज भी सन्देह है कि इन विश्वविद्यालयों के कर्जे इस तरह से आगे नहीं रुक पावेंगे, अचल संपत्ति पर तो रुकेंगे लेकिन और दूसरे तरीके से ऋण बढ़ सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कमेटी में भेजने के समय भी कहा था कि मैं इस तरह के तड़क-भड़क वाले विश्वविद्यालयों का विरोधी हूं और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेम्बर होने की हैसियत से जानता हूं और मेरा आरोप है कि वहां बड़ा अपव्यय है। वहां का सारा अधार और ट्रैन्ड विदेशी हैं। भारतीय आदर्श के अनुसार कोई अधारभूत परिवर्तन आजतक नहीं किया गया और न सोचा गया है कि नये आदर्शों को लेकर नये ढंग पर चला सकें। और उनके खर्चे को कम कर सकें, सादगी ला सकें, वह व्यवहारिकता ला सकें जो अपने देश के लिये आवश्यक है। इन बातों की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया।

मुझे आश्चर्य है कि सरकार यह कहती है कि हम इनके खर्च को रोक नहीं पाते। एक तरफ सरकार कहती है कि यूनिवर्सिटीज ऋण बढ़ा रही है और दूसरी तरफ कहती है कि विश्वविद्यालय की समस्या ऐसी गोल-मोल है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आज शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यह जानते हुए भी कि विश्वविद्यालयों में बहुत ही गड़बड़ी है, हाई कमीशन

बनाने के पक्ष में होते हुए भी, हम यह नहीं कर सकते। अन्त में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं यही उचित व्यवस्था है कि धीरे-धीरे संशोधनों के द्वारा उनको दुरुस्त करें और यह संशोधन आए दिन हर छठे महीने ले आयें।

जिस तरह से भीतरी मर्ज के ऊपर जो फुड़ियां निकलती हैं और उन पर मलहम लगाई जाती है, उसी प्रकार से सरकार मलहम लगाना चाहती है। लेकिन यह फुड़ियां निकलती रहेंगी और सरकार की मलहम खत्म हो जाएगी। सरकार उस आधारभूत नुक्स को क्यों नहीं दूर करती है? हाई कमीशन मुकर्रर करने में सरकार शरमाती है। हाई कमीशन बहुत हाई हुआ करते हैं। और इस सरकार की आयु बहुत कम रह गई है। कमीशनों का क्या हश्र होता है यह भी हमको मालूम है। इसलिये उससे ज्यादा आशा हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिये कोई ठोस कदम उठाया जाता तो ठीक था। मुझे जो कुछ अनुभव हुआ इस सदन में आने पर और विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के बारे में, वह यह कि कोई भी आमूल परिवर्तन अपने देश और प्रदेश की स्थिति सम्हालने का सरकार द्वारा नहीं हुआ।....

**श्री अधिष्ठाता**--आप संशोधन पर आ जाइए।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--जी हां, मैं उसी पर आता हूं। लेकिन यही मौका मिलता है जब कि विश्वविद्यालयों से संबंधित नीति में हम परिवर्तन करने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कभी दृढ़तापूर्वक कदम नहीं उठाया और यह कहने का साहस नहीं किया कि शिक्षा की नीति में ऐसे आमूल परिवर्तन हम करना चाहते हैं जो इस कृषक और निर्धन देश के लिये हितकारी होगा। जो पाश्चात्य तरीका उनका है उसमें वह कोई आमूल परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं।

आज यूनिवर्सिटीज की वे कठपुतली हो गये हैं और उसके कारण वह कोई नई बात नहीं सोच पाते। उसके लिये शक्ति चाहिए। वह शक्ति तो ईश्वर किसी महान् व्यक्ति को देगा। वह उनके पास नहीं है जैसा कि उन्होंने भी कहा है। ईश्वर उनको शक्ति दे। मेरा कहना है कि ऋण रोकने के लिये रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के आधार पर इसको लागू किया जाय। २० जून की अवधि लागू न हो। इसके पहले के भी कम से कम वह ऋण जो पिछले अधिनियम के पास होने के बाद से अब तक हुए हैं उनको भी रोक दिया जाय। मैं अपने संशोधन पर कायम हूं।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--मान्यवर, मुझे खेद है कि माननीय अवस्थी जी की बात को स्वीकार करना सरकार के लिये संभव नहीं होगा। अभी कल पंडित देवीप्रसाद जी भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कर्ज लेने के ऊपर जो हम रुकावट लगा रहे हैं इससे यूनिवर्सिटियों के विकास में बाधा होगी और इस प्रस्ताव के ही विरुद्ध थे कि इस प्रकार की कोई रुकावट वहां लगायी जाय। माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह यह कहते हैं कि भविष्य के लिये तो हो ही पुराने वर्षों में भी यूनीवर्सिटीज जो कुछ कर्जा लिये हों वह सब खत्म कर दिया जाय तो यह एक ऐसी बात हो जायगी कि यूनिवर्सिटीज को अधिकार था कर्ज लेने का, उन्होंने लिया। और अब अगर कोई कानून इस सदन से ऐसा बनायें कि विश्वविद्यालयों ने जो कुछ कर्जा लिया वह सब कर्ज खत्म कर दिया जाय, एक पैसा भी वापस न हो उस कर्ज का तो मैं समझता हूं यह बड़ी अनुचित बात हो जायगी। ऐसी स्थिति में मैं माननीय अवस्थी जी से कहूंगा कि इस संशोधन को वापस लें। यह अच्छा नहीं मालूम होता।

**श्री अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबंध की पंक्ति १ व २ के शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित किसी बन्धक या संविदा किये गये किसी ऋण पर प्रवृत्त नहीं होंगे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री गौरीशंकर राय**--अधिष्ठाता महोदय, जब आम बहस हुई थी तो इसके बारे में जो कहा जा चुका है उसके आधार पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह खंड ३ इसमें से निकाल दिया जाय, इसलिये कि कोई भी कानून कल्पनाओं पर नहीं बना करते हैं। एजम्पशन और प्रीजम्पशन पर नहीं बना करते हैं कि किसी को यह आभास हो जाय कि बिकने वाली है। मैं एक बात फिर भी कहना चाहता हूं कि कोई भी विश्वविद्यालय यह जान लेने के बाद कि मंत्री जी कर्ज लेने के खिलाफ हैं बिना प्रतिबन्धों के ही कर्जा नहीं लेंगे। कर्ज वही ले सकते हैं जिन विश्वविद्यालयों का मंत्री जी के ऊपर प्रभाव है या कभी हो सकता है उनसे कान पकड़ कर अपनी बात मनवा सकते हैं। वही विश्वविद्यालय ऐसा कर सकते हैं। साधारणतयः किसी विश्वविद्यालय से ऐसी आशा नहीं की जाती है कि वे अपनी कुर्सी मेज बेंचेंगे। इसलिये मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केवल उनकी भ्रान्ति और भय, कल्पना और उनके भीतर की भावनाओं पर आधारित है यह खंड। इसलिये इसको निकाल दिया जाय।

**श्री प्रतापसिंह**--माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो सेक्शन ३ को निकालने के लिये प्रस्ताव रखा है मैं उसका मैं समर्थन करता हूं। इससे पहले कि मैं यह कहूं कि इसको क्यों निकालना चाहिये यह आवश्यक है कि मैं धारा ३ को पढ़ दूं :

"नो इम्मूवएबिल . . . . ।"

**श्री अधिष्ठाता**--आप हिन्दी में पढ़िये।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वह तो सामने है।

**श्री अधिष्ठाता**--रोकना जरा अनुचित समझता हूं उनको पढ़ने दीजिये।

**श्री प्रतापसिंह**--मान्यवर, क्लाजवाइज डिस्कशन के समय संबंधित धारा पर प्रकाश डालना आवश्यक है :

"३--किसी विश्वविद्यालय पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात होते हुए भी, राज्य सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी विश्वविद्यालय की कोई अचल सम्पत्ति--

(१) न बंधक, विक्रय, विनिमय या दान द्वारा या अन्यथा हस्तांतरित की जायगी और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार ली जायगी या कोई अग्रिम धन लिया जायेगा,

(२) किसी ऋणदाता के कहने पर किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा, विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गयी किसी मांग के निमित्त या उक्त न्यायालय की किसी आज्ञप्ति (डिक्री) या आज्ञा के निष्पादन के हेतु न अभिगृहीत या कुर्क की जा सकेगी और न पृथक् की जा सकेगी।"

मान्यवर, इसमें दो-तीन चीजों की ओर इशारा किया गया है। पहला यह है कि विश्वविद्यालय अपनी अचल सम्पत्ति को नहीं बेच सकते हैं, न उसे रहन कर सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि वे विश्वविद्यालयों को भविष्य में कर्जा लेने से रोक लगाना चाहते हैं लेकिन दफा ३ में यह मांग की गयी है कि वे अचल सम्पत्ति को न रहन कर सकते हैं, न उसे बेच सकते हैं और विश्वविद्यालय ने कर्ज किसी से लिया हो और वह हाईकोर्ट से डिग्री ले आता है तो वह इनवैलिड होगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। कोई भी विधेयक आता है तो उसमें कांक्रीट चीजें होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं मैं जानना चाहूंगा किस विश्वविद्यालय ने कितनी इमारतें रेहन की हैं या बेची हैं। विश्वविद्यालय में ऐसे लोग तो आ सकते हैं जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। साइंस की लेबोरेटरी बेच सकते हैं या पुस्तकालय बेच सकते हैं। तो इसमें मूवेबिल प्रापर्टी का जिक्र होता लेकिन इसमें इम्मूवेबिल प्रापर्टी का जिक्र है, जो वेग है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, आप ही बतायें कि आपके सामने कोई ऐसा दृष्टांत आया कि अमुक कालेज या यूनिवर्सिटी ने अपनी अचल सम्पत्ति बेची हो। लखनऊ में जमींदारी उन्मूलन हो गया। यूनिवर्सिटी के पास कोई जमींदारी नहीं है जो वह खेत बेच दे। एक जमाना था कि

उसके पास काफी जमीन थी लेकिन आज तो वह भी नहीं है। इस धारा की आवश्यकता तब होती जब जमींदारी होती, यूनिवर्सिटी के पास जमीन होती और वह उसे बेच सकती। मंत्री जी की ओर से जो संशोधन आया वह जरा सोच समझ कर आना चाहिये था। ऐसा न हो कहीं फिर हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो। लिहाजा इस विधेयक पर दोबारा सोचा जाय और मंत्री जी इस धारा को ड्राप करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अगर इस धारा को ड्राप नहीं किया जाता है तो एक तरीके से विश्वविद्यालय की आटोनामी पर हमला करना है तुम चाहे जितनी आटोनामी की बात करो, माननीय राधाकृष्णन् जी देश के नहीं दुनिया के दार्शनिकों में जिनका ऊंचा स्थान है वह चाहे कितनी ही आटोनामी की बात करें, बार-बार चाहे ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में यह कहा गया हो कि जिस तरह से अपर प्राइमरी, माध्यमिक तथा हाई स्कूल की शिक्षा के लिये अनुदान सरकार को देना चाहिये उसी प्रकार से विश्वविद्यालय के खर्चे को सरकार को वहन करना चाहिये, चाहे कितनी ही ऐसी बातें कही गयी हों लेकिन हमारे मंत्री जी उसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। तो मंत्री जी कन्विन्स करें कि किन वजूहात से यह धारा यहां लायी गयी। उनकी तरह विशाल हृदय तो हम नहीं रखते लेकिन छोटे विचार रखते हुए भी मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी ने अपनी कोई इमारत गिरवीं रख दी या बेच दी, उस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बतलाया। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, खंड ३ को निकालने का मैंने जो प्रस्ताव रखा उससे मेरी मंशा यह थी कि इसके स्थान पर कुछ ऐसी व्यवस्था की गयी होती जिससे जिस कठिनाई की ओर मंत्री जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया उसका ठीक समाधान हो पाता। मैंने अपने भाषण में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि इस प्राविजन के होने से विश्वविद्यालय में एक अजीब कठिनायी पैदा हो गयी। मैं आज ११ बजे लखनऊ विश्वविद्यालय में गया था। श्रीमन्, वहां से ५ लड़कियां इसलिये पढ़ाई छोड़ कर चली गयीं---एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझे बतलाया---क्योंकि उनके लिये होस्टल की व्यवस्था नहीं हो सकी। जो होस्टल वहां अब तक चलाया जाता रहा है उस पर होने वाली आमदनी से दो हजार रुपये अधिक खर्च होते हैं। आज जब मैं वहां प्रातःकाल गया तो उस समय भी एक लड़की वहां के एक बहुत बड़े अधिकारी से इस तरह का निवेदन कर रही थी, कुलपति से भी वह मिली, कि मैंने जो एलाटमेंट की फीस दी थी उसको वापस किया जाय और मैं चली जाऊंगी। वह पंजाब के सूबे की रहने वाली थी। तो देखने में यह बात बहुत छोटी मालूम होती है लेकिन इस खंड से एक भय की स्थिति पैदा हुई है जिसके कारण आज यूनिवर्सिटी का साधारण काम भी चलना कठिन हो गया है।

मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि जुलाई में अध्यापकों की तनख्वाह नहीं मिल रही थी और आज भी जब मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि जो ऋण पहले लिये गये उसके बाद नये ऋण न लिये जायं, उसके लिये हमसे आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता हो इसलिये उन्होंने यह व्यवस्था की है। लेकिन मैंने उस दिन निवेदन किया था कि अगर आपकी मंशा है कि ऋण न लिया जाय तो सब से पहले आप यह करें कि जो कुछ भी ऋण अब तक लिया जा चुका है उसकी अदायगी की घोषणा करें। वह घोषणा आपने नहीं की। उल्टे इस खंड के अन्त में एक प्रतिबन्ध रखा है जिसमें यह है कि इस कानून के बनने के पहले जो कुछ भी ऋण लिया गया था, जो कुछ भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण या कोई संविदा हुई हो उस पर यह लागू नहीं होगा। तो क्या हम यह समझ लें कि इसके पहले भी अगर किसी यूनिवर्सिटी को किसी जायज काम के लिये भी कोई ऋण दिया गया हो तो वह वापस नहीं मिल पायेगा। दो प्रतिबन्ध हैं। दोनों प्रतिबन्धों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

ऋणों के संबंध में अगर कोई डिक्री हुई हो या कोई संविदा हुई हो तो इस नियम के बनने के बाद उसके संबंध की जितनी भी शर्तें हैं वे अपनी जगह पर वैसी ही बनी रहेंगी ।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—उसके माने तो यह होते हैं कि सरकार पर उसकी अदायगी की नैतिक जिम्मेदारी है । हां, भविष्य के लिये वह प्रतिबन्ध है ।

**श्री रामायणराय**—मान्यवर, मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी ने इस धारा का यह अर्थ लगाया । या उनका मंशा यह है कि इस धारा को रखने से पहले जो यूनिवर्सिटी ने ऋण लिया है उसकी अदायगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है ....

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—जितना मैं कहता हूं उतना ही कहें । जो ऋण लिया गया है उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर है । यूनिवर्सिटी अदा कर सकती हो तो करे और सरकार अदा कर सकती है, करे । आगे के लिये यह प्रतिबन्ध लगाते हैं । इस समय यह प्रतिबन्ध नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी के ऊपर कर्जा हो गया है उसको अदा नहीं करेंगे बल्कि उसका भोजन कर जायेंगे । वह तो अदा होना ही है ।

**श्री रामायण राय**—मान्यवर, जब मैंने इस संशोधन को रखा तो मेरी एक दृष्टि और थी और वह यह थी और मेरा यह दृढ़ विश्वास है और जो मुझे सूचना मिली हैं उनके आधार पर मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जहां तक सवाल है उसके फायनेन्सेज में गड़बड़ी होने से मेरा मंशा यह है कि उन गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और उनको यथावत् दंड दिया जाय । हमने इस बात की मांग की थी और आज भी मैं उसको दोहरा रहा हूं । वह कोई साधारण नहीं है बल्कि एक-एक लाख रुपया बैंक को सूद की शकल में दिया जाता था और उस बैंक के मैनेजर को एक्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर बनाया गया था ।

श्रीमन्, एक तरफ ट्रेजरार की हैसियत से कर्ज लिया जाता था, जो मिनिस्टर हैं और यह भी आग्रह नहीं करते थे कि सरकार इतना रुपया दे दे । मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मंशा यह थी कि बैंक निरन्तर एक खासी रकम का लाभ उठाता रहे । मैंने इस दृष्टि से भी यह संशोधन रखा था । मेरा आज भी आग्रह है कि खाली लीपा पोती से काम नहीं चलेगा । यह स्पष्ट बात है और सब लोग जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के फायनेन्सेज के साथ जान बूझकर गड़बड़ी की गई है और उसकी जांच होनी चाहिये । लेकिन हमारे पर्व जब मंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है । मैं नहीं समझ पाया कि इस धारा को रखने का और प्रयोजन क्या है ? जब आप कहते हैं कि गड़बड़ी को दूर करने में हम समर्थ हैं और सब ठीक हो जायगा फिर इसकी व्यवस्था क्यों की गई ? इससे तो अच्छा यही हुआ होता जैसा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में तथा अन्य यूनिवर्सिटीज में जिनसे आपका संबंध है उनमें कोई फायनेन्स का अधिकारी रखिये ताकि वह ठीक ढंग से वहां की अर्थ व्यवस्था को देखे । लेकिन यह भी आप करने नहीं जा रहे हैं और यथावत् स्थिति बनी हुई है । मैं समझता हूं कि यदि मंत्री जी मेरे मनोभावों को समझ गये होंगे तो वह इसको केवल कोरा विरोध नहीं समझेंगे ।

हमारे इस संशोधन के दो आशय हैं । पहला यह कि इस परिस्थिति का परिहार्य हो जाय और दूसरा यह है कि जिन लोगों ने भी विद्या मंदिरों के पैसे से खिलवाड़ किया है उनको ठीक-ठीक दंड मिल सके । इसके अतिरिक्त अधिकारियों को यह विश्वास भी दिला सकें कि यदि तुम आवश्यकता होने पर थोड़ा बहुत जायज खर्च कर दोगे तो सरकार उसे देने की कृपा करेगी । इन तीन प्रश्नों को सामने रखकर मैंने यह संशोधन रखा था । देश के तमाम लोगों की ओर से जो यूनिवर्सिटीज में से कुव्यवस्था को दूर करना चाहते हैं, परिहार्य आया है उसे मानने में मंत्री जी को क्यों कष्ट हो रहा है ? उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि

एक तरफ तो मैंने यह कहा था कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर हमला हो रहा है और दूसरी तरफ मैं फायनेन्सेज के कंट्रोल की बात करता हूं । मैंने उस दिन भी साफ कर दिया था कि जिस अर्थ में आप नियंत्रण करना चाहते हैं वह तो सुविधापूर्वक करते चले जा रहे हैं और जहां नहीं चाहते हैं वहां जाने से घबराते हैं और आटोनामी की बात करते हैं । सिद्धान्त के रूप में आप मानते हैं कि यूनिवर्सिटी की स्वाधीनता पर हमला करना नहीं चाहते हैं । लेकिन जो चीजें हमारे सामने आती हैं उनको देख कर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके सामने कोई साफ नक्शा नहीं है । किन्हीं मामलों का कंट्रोल और किन्हीं मामलों में स्वतंत्रता । हम जब कुछ निवेदन करते हैं तब आप कहते हैं कि तुम उच्छृंखलता की ओर संकेत करते हो । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि उन्हें यह मान लेना चाहिए कि हमें भी स्वतंत्रता और उच्छृंखलता की सीमाओं का कुछ ज्ञान होगा । जहां तक फाइनेंसेन्ज का सवाल है सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था को ठीक चलाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

पाठ्यक्रम क्या हो, कौन सी किताबें पढ़ायी जायं, किन विषयों के लिए कौन विशेषज्ञ हो सकते हैं यह सब बातें हैं जिनमें शिक्षा विशेषज्ञों का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए । इन सीमाओं को समझ कर ही मैंने कहा था कि आपकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि कहीं पर पूरा नियंत्रण दिखायी पड़ता है और कहीं पर आपके ही शब्दों में पूरी-पूरी उच्छृंखलता दिखायी देती है । मैं मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इस धारा को निकाल कर इसके स्थान पर यदि कमीशन की सिपारिश के अनुसार फाइनेन्शियल कंट्रोलर रखने की व्यवस्था करें तो जिस प्रेरणा से वह इस बिल को लाये हैं वह पूरी हो सकेगी ।

***श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आर्थिक साधन उपलब्ध हों तो विश्वविद्यालय के संचालन के लिए सरकार जितना भी धन दे उसको देना चाहिए और उससे विश्वविद्यालयों की जो कठिनाइयां हैं वह दूर होनी चाहिए । इस संबंध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । लेकिन यह भी निश्चित है कि आर्थिक साधन किसी भी सरकार के सीमित होते हैं । फिर उसको यह निर्णय करना पड़ता है कि हम शिक्षा में कितना धन विश्वविद्यालय की शिक्षा पर व्यय करें, कितना धन हम सेकेन्डरी एजूकेशन पर व्यय करें और कितना धन हम प्राइमरी और प्रि-प्राइमरी एजूकेशन पर व्यय करें । यह एक निश्चित सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए । अब सरकार जहां तक हो सकता है विश्वविद्यालय को सहायता देने का प्रयत्न करती है । परन्तु यदि किसी भी विश्वविद्यालय की यह धारणा हो जाय कि हम जो भी धन व्यय करेंगे या जो भी हमारे ऊपर ऋण हो जायगा उसको किसी न किसी रूप में सरकार आकर अदा कर ही देगी, यदि यह धारणा हो जाय और इस तरह की अगर परम्परा कायम हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी तरह से उपयुक्त न होगा । अब कोई भी विश्वविद्यालय इस आधार पर अधिक से अधिक ऋण ले ले और यदि सरकार सहायता न दे तो उसका परिणाम क्या होगा ? उसका परिणाम यही होगा कि उस विश्वविद्यालय के विरुद्ध डिग्रियां होंगी और उसके बाद उसकी अचल सम्पत्ति कुर्क भी हो सकती है, उसका स्थानान्तरण भी कराया जा सकता है और इस तरह से हमारे विश्वविद्यालयों के मान और प्रतिष्ठा पर भी एक बड़ा आघात हो सकता है । तो इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये , इसमें कोई सन्देह नहीं ।

यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात कही गई । अभी मेरे एक माननीय मित्र विरोधी दल के सदस्य कह रहे थे कि फाइनेंशल कंट्रोलर नियुक्त हो तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं । यह सरकार ने जो विधान रखा है वह तो केवल एक विशेष परिस्थिति में रखा है जो परिस्थिति कि नाशकारी हो सकती है । किसी भी जनता द्वारा संचालित सरकार को ऐसी व्यवस्था कभी स्वीकार नहीं हो सकती है कि कोई भी विश्वविद्यालय बिना सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

की स्वीकृति के इस तरह से लोन लेता रहे और सरकार को मजबूर होकर उसको अदा करना पड़े। जहां तक फाइनेंशल कंट्रोल की बात है उसका तो परिणाम एक ही हो सकता है कि विश्वविद्यालय के सारे आन्तरिक प्रबन्धों में, सारी व्यवस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप बहुत दूर तक पहुंच सकता है और उससे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विश्वविद्यालय की आटोनामी में नाजायज और अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। यह जो व्यवस्था रखी गई है यह तो एक विशेष परिस्थिति में रखी गयी है। कोई यूनिवर्सिटी से हम यह नहीं कह रहे हैं कि आय-व्यय तुम्हारा इस तरह से होना चाहिए और खर्च इस तरह होना चाहिए। सिर्फ जो सरकार की जिम्मेदारी आखिर में आ पड़े उसको रोकने के लिए विधान रखा गया है कि कोई भी ऋण इस आशा से कोई भी व्यक्ति न दे कि वह या तो उसकी अचल सम्पत्ति कुर्क करके वसूल कर लेगा या सरकार से उसको वसूल किया जा सकता है। तो मेरा खयाल यह है कि अगर माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटी आटोनामी और फाईनेन्शल कंट्रोल दोनों को ध्यान में रखा होता तथा उससे होने वाले हस्तक्षेप पर गौर किया होता तो वह इसे उचित न समझते। यह जो है यह कोई हस्तक्षेप उसके कार्य में या आयव्यय में नहीं है। विशेष परिस्थिति में कोई विश्वविद्यालय कोई ऐसा कार्य न कर सके जो उसके लिए हानिकर हो उसको रोकने के लिए यह एक तरकीब मात्र है। तो मैं समझता हूं कि इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विश्वविद्यालयों में मैं यह चाहता हूं, कि प्रबन्धकों को यह बात मालूम होनी चाहिये कि वह जो बजट बनायें उसमें उनकी मांग ज्यादा से ज्यादा हो और सरकार जितना ज्यादा धन दे सके, दे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न मुझे इससे विरोध है किन्तु साथ ही यदि सरकार के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी परोक्षरूप से आ जाय जिसको ठीक न समझते हुए भी उसको विशेष परिस्थिति में निराकरण करना पड़े तो मैं समझता हूं यह किसी के लिये उचित न होगा।

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**--अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े गौर से दोनों तरफ के मित्रों की बात सुनी। मैं बहुत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने अपने नुक्तेनजर से बहुत अच्छा प्रकाश डाला लेकिन एक बात जिसको मैंने शुरू में भी कहा था कि क्या बात है कि जो यह शिक्षा का बिल शिक्षा मंत्री के द्वारा पारित होना चाहिये वह गृह उपमंत्री द्वारा पारित हो रहा है। मेरा खयाल है कि देवीप्रसाद जी ने इसकी शिकायत की थी। जब यहां पर शिक्षा मंत्री भी उपस्थित हैं तो उनके द्वारा ही यह पारित होना चाहिए। शिक्षा मंत्री के कई उपमंत्री हैं लेकिन जो गृह विभाग का काम देखते हैं वही आज जवाब दे रहे हैं। जिन उप मंत्री जी का शिक्षा विभाग से संबंध है वह आज जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि यह मंत्री जी की स्वीकृति से होता है.....

**श्री अधिष्ठाता**--इसके बारे में अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं। अब उस विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**--इस विषय में जैसा भी आपकी तरफ से कहा जाता है हमको वह शिरोधार्य होता है लेकिन मैं इस बात को सोच रहा था कि सरकारी पक्ष गृह मंत्री द्वारा बिल पारित होने का कारण बतायेगा। इसलिये मैंने सोचा था कि शायद कुछ प्रकाश और पड़े।

अभी जो ऐक्ट तजवीज किया गया उसके संबंध में मुझे याद आया कि हमारे शिक्षालयों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार होने लगा है जिसके लिये मंत्री जी को पुलिस का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया। मैं इस संबंध में आपकी आज्ञा से एक उदाहरण देना चाहता हूं। "मानव भारती" नाम की देहरादून में एक शिक्षा संस्था है। वहां पर १९, २० साल की एक खूबसूरत लड़की ८ बजे १५ मई को गायब हो जाती है और १४ तारीख को उसके प्रिन्सिपल गायब हो जाते हैं। उसकी रिपोर्ट की जाती है। तो ऐसे सीरियस चार्जेज इस शिक्षालय के विरुद्ध

है कि जो बहुत ही विचारणीय है। तो मैं आपकी आज्ञा से उनको पढ़ना चाहता हूं : यह उसकी मां की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है--

"Now that the police has been able to bring to-day to light some of the horrible black deeds of this sixty years old guardian of the institution who in disguise of a custodian and guardian of the honour of his pupils has been not only flirting with his young girl students but in one or more cases has played with their chastity and modesty. Very recently, he has been found lying naked in a compromising mood and pose with a young lady teacher of his organization at Modinagar who paid the price of her employment to this sixty year old father for her weakness that she had not the requisite qualifications to be a teacher."

आज जब शिक्षा की संस्थाओं में ऐसा हो रहा है। उसके लिये अगर पुलिस की ताकत ऐसे मामले में सरकार को दी जाय तो यह ताईद करने की बात है। उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। यह लड़की गायब हुई और पुलिस तीन महीने तक इसकी तलाश करती रही लेकिन पता नहीं लगा। डाक्टर श्रीमाली और पंत जी के पास इस मामले को भेजा गया और अखबारों में भी यह शाया हो चुका है। सरकार को "मानव भारती" के विरुद्ध कदम उठाने की आवश्यकता है। यह जिला देहरादून की संस्था है और दिल्ली में भी है। इसके विरुद्ध सीरियस चार्जेज हैं जो इस प्रकार से लड़कियों के चरित्र भ्रष्ट करने के काम करते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी की तवज्जह दिलाने के लिये यह बात कही। शायद ऐसी बातें देखकर उन्होंने पुलिस की ताकत को लिया है।

श्रीमन्, अब रुपयों की जहां तक बात है, पुराने कर्ज को चुकाने की, तो उसके बारे में इतना अर्ज करूं, कि हमारी तरफ से इधर से जो संशोधन आया है उसमें इतना कहना तो गलत होगा कि यूनिवर्सिटी से कहा जाय कि तुम्हारे पुराने कर्ज नाजायज हो गये। जिसने कर्ज दिया, यह जानकर नहीं दिया कि ऐसा विधेयक आयगा जिससे वह रुपया सब डूब जायगा।

**श्री रामस्वरूप यादव**--यह तो खत्म हो चुका।

**श्री अधिष्ठाता**--विष्ट जी, आप जारी रखें।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--माननीय गृह मंत्री जी यह भूल गये कि मोतीलाल अवस्थी वाला संशोधन खत्म हुआ है, सारे खंड का विरोध करने वाला संशोधन अभी नहीं हुआ है। वह शायद वूल गैदरिंग में लगे हुए हैं, आजकल उनके सामने समस्यायें भी हैं कुछ बाहर की, तो ऐसा हो भी जाता है, आजकल सदन में मन कम लगता है। तो मैं अर्ज कर रहा था रुपये वाले मामले की बात। जहां तक पुराने कर्ज का ताल्लुक है, कि उसे यूनिवर्सिटी दे या गवर्नमेंट न दे, इस बारे में मुझे कहना है कि जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि हमने आश्वासन दिया है कि हम यूनिवर्सिटी के पुराने कर्जे को चुकायेंगे। यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है। यह तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि कर्जा चुका दे, क्योंकि इसकी तो यूनिवर्सिटी की प्राइमरी ड्यूटी है। हां, जिस यूनिवर्सिटी को तकलीफ हो गयी हो तो उसका उद्धार करने के लिये गवर्नमेंट यह लायबिलिटी ले सकती है। लेकिन यह कहना कि यह कर्ज गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, यह तो इमेजिनेशन को बहुत दूर स्ट्रेच करना होगा। अगर इस संशोधन को हम वापस ले लेते हैं तो यूनिवर्सिटी पर वह बात आयद नहीं रहती है।

यह फरमाया गया कि १६ लाख का कर्ज १९५४ में चुकता कर दिया, अब फिर उनसे हिसाब मांगा गया तो ट्रेजरार की तरफ से कहा गया कि ३८ लाख कर्ज हो गया। जब सरकार की तरफ से कोषाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछला अकाउन्ट जो दिया था उसमें भूल हो गयी, वह कर्ज १६ लाख नहीं था बल्कि २३ लाख हो गया था। तब सरकार की तरफ से कहा गया कि आपको ३ रिमाइंडर्स भेजे गये और हमेशा आपने इस बात पर इसरार किया कि

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

१६ लाख ही कर्जा है, वह १६ लाख से २३ लाख कैसे जम्प कर गया। ७ लाख बाकी दिखलाते हैं, ३१ लाख फिर ले लिया, ३८ लाख कुल कर्जा हो गया ४ साल में। तो लाजिमी है इसमें बड़ी गड़बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं यहां कहा जाता है कि जब हिसाब मांगा गया तो उन्होंने छुट्टी ले ली। किस प्रावीजन में दिया गया है कि जब कोषाध्यक्ष से जवाब मांगा जाय तो वे हिसाब न दें कागज छुपा दें और छुट्टी ले लें। हमें शक होता है कि एक तरफ जब सरकारी पक्ष से यह कहा जाता है कि वहां धांधलबाजी है, एकाउन्ट्स ठीक नहीं है और कुछ इशारा ऐसा भी किया जाता है कि रुपये का सदुपयोग नहीं हुआ यानी दूसरे माने में गबन हुआ तो जब ऐसे भयंकर आरोप हैं तो सरकार को कौन रोकता है उचित कदम उठाने से ? जब कि इतने बड़े ताजीरात हिन्द, जाब्ता फौजदारी और दूसरे पीनल लाज हैं क्यों न उनको काम में लाया जाय और इसमें सी०आई०डी० की इंक्वायरी बैठायी जाय ? क्या वजह है कि तीन बार हिसाब भेजा जाय और ७ लाख बट्टे खाते में जाय, इस तरह से प्रदेश का रुपया बहाया जाय और सरकार जिम्मा ले कि हम पुराना कर्जा चुकायेंगे जिसमें वह ७ लाख भी शामिल है, सरकार उसको कैसे कहती है कि वह सब कर्ज जायज है। एक तरफ तो सरकार कहे कि ७ लाख के अलावा कर्ज बताया ही नहीं और खुद १६ लाख कर्ज होना बताती है और न मालूम २३ लाख खजांची जी उसे कहां से बताते हैं और दूसरी तरफ मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम चुकाने का जिम्मा लेते हैं। तो यह शाह खरची हमारी समझ में नहीं आई। हम पहले कहें कि गबन है और फिर कहें कि चुकाने की जिम्मेदारी हमारी। यह सब क्या है ? जब इस प्रकार की कंट्राडिक्टरी पोजीशन होने लगे तो फिर शक होने लगता है। किसी को एक ठेका ८४ हजार या उसके करीब का दिया गया लेकिन जब बाद में फाइनल एस्टीमेट बना तो वह बढ़कर ६–७ लाख का हो गया। तो जब इस प्रकार से गलत ढंग पर बातें की जाती हैं उस पर भी सरकार जांच न करवाये उनको कानूनी शिकन्जे में न कसे तो फिर सिवाय इसके और कोई कारण नहीं कि सरकार जुर्म करने वालों को बचाना चाहती है। मैं अर्ज करूंगा कि सरकार इसको माने या न माने लेकिन विश्वविद्यालय को बचाने के लिये और एक आदर्श रखने के लिये सरकार के लिये लाजिमी हो जाता है कि वह शीघ्र से शीघ्र इस मामले में हाई पुलिस आफिसर्स छोटे आफिसर्स नहीं होने चाहिये, कम से कम आई०जी० और डी० आई० जी० हों, जिसमें सी० आई० डी० वाले भी हों और यदि यहां न हों तो बाहर से बुलाये जायं और उनको यह जांच सौंपी जाय और जांच के बाद दंड दिया जाय।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर, इस संबंध में, मेरा जो मंतव्य था वह मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया था और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई नयी बात नहीं कही गई है सिवाय इसके कि हमारे भाई रामायणराय जी ने जो बात कही, उनके भावों का मैं आदर करता हूं। लेकिन उनकी बात मेरी समझ में कम आई क्योंकि उन्होंने समर्थन किया कि सारे क्लाज को डिलीट कर देना चाहिये और कोई सब्सटीट्यूट ले नहीं आये। इरादा उनका यह है कि फाइनेंसेज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिये लेकिन जो धारा हम ले आये हैं उससे उनका मन्तव्य हल नहीं होता और साथ ही साथ उन्होंने जिस संशोधन का समर्थन किया वह यह है कि जो कुछ थोड़ा बहुत है वह भी हटा दिया जाय यानी जितनी दूर तक भी वह जाता है उतनी दूर भी न जाय। तो या तो चलिये न करें या मेड़ें उदारें, यानी या तो पूरा ले आवो नहीं तो एक कदम भी न बढ़ो।

यह भी कहा उन्होंने कि होस्टल नहीं ठीक हो सका। मैं नहीं समझ सका कि इस धारा से होस्टल का क्या ताल्लुक है। हर होस्टल, हर चपरासी, हर नौकर जो कुछ यूनिवर्सिटीज रखती हैं वह क्या कर्ज लेकर ही रखती हैं या जब तक उनको कर्ज न मिले तब तक वह ५ या १० लड़कियों को टिकाने की जगह भी वह नहीं कर सकते। आप युनिवर्सिटीज के मामलों से ताल्लुक रखने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़े लिखे लोग हैं, यह सोचने की बात है कि क्या यूनिवर्सिटीज की यह हालत है कि अगर कोई लड़कियों के होस्टल का

इन्तजाम करना है जिसमें १०—५ लड़कियां रह सकें तो वह कर्जा ले लेते हैं तब करते हैं या इस धारा के रख देने से वह इन्तजाम नहीं हो सका। यह कहा गया कि जुलाई के महीने में टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली तो क्या कर्ज लेकर तनख्वाह बंटती है, उससे आखिर इसका क्या सम्बन्ध है। यह माना हमने कि ऐक्ट में मौजूद है कि नया खर्चा जो करना हो यूनिवर्सिटी को उसके लिये सैंक्शन सरकार से ले, प्रायर एप्रूवल होना चाहिये। न मंजूरी लेने का नतीजा यह रहा है कि ये कर्ज पाइल अप होते गये। अनअथाराइज्ड पोस्ट्स बनाई गई, जो डिसएप्रूव हुई मगर चलती रहीं। डी० ए० ऐसा बना दिया जिसे सरकार ने नहीं माना। यह मुमकिन है कि इन सब खर्चों की जरूरत रही हो लेकिन इसकी मंजूरी भी लेनी चाहिये थी। कभी सेक्शन खोलने की जरूरत हुई, उन्होंने खोल दिया, हम से एप्रूवल मांगा, हमने दिया। किसी पोस्ट को क्रियेट करने की जरूरत पड़ी हमने एप्रूवल दिया और उन्होंने आदमी एप्वाइंट किया। तो यह होता रहता है और होता रहेगा। कुछ पोस्ट्स को हमने डिसएप्रूव किया लेकिन उन्होंने कायम रखा। कुछ ऐसी जिनको ५, ५ और ६, ६ वर्ष हो गये, अब बतलाइये कि अध्यापकों का क्या कसूर है? कोऊ करे अपराध और कोऊ पाव फल भोग! अपराध यूनिवर्सिटी ने किया हो और दन्ड भोगें अध्यापक। अब विश्वविद्यालय ६ वर्ष बाद उनसे कह दे कि लीजिये नारियल और सुपारी और अपने घर चलिये। तो वे कहां जावेंगे। होना यह चाहिये कि जिस खर्चे को डिसएप्रूव किया जाता है उसे यूनिवर्सिटी न करे। अगर यूनिवर्सिटी किसी खर्चे को जायज सिद्ध करती है तो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन उसे मानते हैं। अगर वे अनाप-सनाप खर्चा करते हैं तो डेफिसिट बढ़ता है जिसे कर्ज लेकर वे पूरा करती हैं। इस तरह से गाड़ी चलती है। अभी कुछ दिन हुये, शायद १०, १२ दिन से ज्यादा नहीं हुये, उन्होंने लिखा कि होस्टल के लिये हमारा इन्तजाम कर दीजिये। हमने उनसे विवरण मांगा जो ३, ४ दिन हुये हमारे पास आया। अगर कोई होस्टल की जरूरत थी तो पहले से इन्तजाम होना चाहिये था। लाखों रुपये का यूनिवर्सिटी का बजट होता है और लाखों रुपया इतने दिनों में नाजायज खर्च हो गये होंगे, यानी बिना हमारी मंजूरी के। हम चाहते हैं कि काम में रुकावट न लगे। सरकार या जनता यह बर्दाश्त थोड़े ही करेगी कि अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर ४० लाख रुपया कर्ज हो गया तो उसमें यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति नीलाम हो। वह देना ही होगा चाहे यूनिवर्सिटी सरकार से ले या जनता से चन्दा जमा करे। विरोधी दल का कहना है कि हमारी इस रोकथाम का नतीजा यह है कि आज कोई यूनिवर्सिटी को कर्ज भी नहीं दे रहा है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—आप डगमगाते हुये कदम क्यों उठाते हैं?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—ये डगमगाते हुये कदम नहीं हैं। ये अंगद के कदम हैं।

एक तरफ तो आप यह कहें कि ५ लड़कियों के होस्टल का इन्तजाम नहीं कर सकते और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह चीज निकाल दो। आपने कोई संशोधन भी नहीं दिया कि क्या किया जाय। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने कोई सिपारिश नहीं की। वह मामला विचाराधीन है। उन्होंने तमाम देश की यूनिवर्सिटीज को अपनी सिपारिश यह लिखी है कि अगर ट्रेजरर की पोस्ट गायब कर दी जाय और फाइनेन्शल कन्ट्रोलर एप्वाइंट कर दिये जावें तो आपकी क्या राय है? सरकारों से भी पूछा है और शिक्षा के विशारदों से भी पूछा होगा। मैं समझता हूं कि २, ४ महीने में इसका वह फैसला भी कर लेंगे। हम यह नहीं कहते कि हम उसे मान ही लेंगे और न यही कहते हैं कि नहीं मानेंगे। वह देखने की बात है। अगर आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसे करेंगे, इस तरह से नहीं कि यूनिवर्सिटीज के काम में हस्तक्षेप कर सकें बल्कि इसलिये कि कार्य सुचारुरूप से चले।

आप ने कहा कि यूनिवर्सिटीज के काम की इनक्वायरी कराओ। हम इस पर विचार कर रहे हैं। कहीं मुमकिन है कि यूनिवर्सिटीज ने ग़लत काम किये हों, ग़लत खर्च किये हों और कहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मुमकिन है कि सचमुच उन्हें पैसा मिलना चाहिये और न मिलता हो। तो हम सोच रहे हैं कि कोई कमीशन बने जो इन सब बातों की छानबीन करे।

आज तो केवल एक प्रश्न ऐसा है जिस पर अधिक बहस की जरूरत नहीं थी। आचार्य दीपंकर जी ने सुझाव दिया---और यह कुछ कहा कि इस धारा के रखने पर यूनिवर्सिटीज जायज क़र्ज ले सकती हैं या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी मुवेबिल प्रपर्टी छूटी हुई है। रुकावट तो केवल यह है कि जो कर्जा दे वह यह समझ कर दे कि अगर उसे यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति नीलाम करने की जरूरत होगी तो वह बिना सरकार के प्रायर एप्रूवल के नहीं हो सकता। यह है इस धारा का मतलब। इससे यूनिवर्सिटीज के काम में थोड़ा प्रतिबन्ध लगता है लेकिन कोई बाधा नहीं पहुंचती। व्यापक प्रश्न तो हमारे सामने है ही। फाइनेंसेज को कंट्रोल करने के लिये कौन सी व्यवस्था होनी चाहिये इस पर तो विचार हो ही रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने देश के शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और सरकारों से पूछा है, इस पर वह विचार कर रहे हैं और उनकी जो भी राय होगी सरकार उस पर विचार करेगी। अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उस बारे में कुछ कह सकें। किसी को बचाने या छोड़ने का सवाल नहीं है। सवाल तो व्यवस्था का है जिसके द्वारा हम यूनिवर्सिटीज को अच्छी प्रकार से चला सकें। जो भी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की राय आयेगी उसको हम लागू करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जिस प्रश्न की ओर आपने संकेत किया है, वह एक सजीव प्रश्न है, उस पर शीघ्र ही फैसला किया जायगा।

संप्रति इस प्रतिबन्ध को लगा देने से एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। इस क्लाज को लगा देने से सरकार के ऊपर यूनिवर्सिटी के कर्ज की जिम्मेदारी आती है। आप संपत्ति और जायदाद को बेंचने नहीं देंगे, कर्जा लेने नहीं देंगे, कर्जा अदा भी नहीं करने देंगे तो गतिरोध थोड़े ही पैदा होगा? इससे सरकार पर और प्रदेश की जनता पर जिम्मेदारी आती है। इसलिये मैं गौरीशंकर राय जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इसके डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, जहां है वहीं इसको रहने दीजिये।

**श्री अधिष्ठाता**-- (श्री सुरथ बहादुर शाह के खड़े होने पर) अब आप को समय नहीं मिल सकता। मंत्री जी का अंतिम भाषण था।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री सुरथबहादुरशाह** (जिला खीरी)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी तो बीच में ही बोले थे मुझको समय मिलना चाहिये था।

**श्री अधिष्ठाता**---आप पहले तो खड़े हुए नहीं। इधर-उधर फिरते रहे। मंत्री जी के अन्तिम भषण के बाद समय कैसे मिल सकता है।

**श्री सुरथबहादुरशाह**---क्या यह उचित था कि मंत्री जी के भाषण के बीच में ही मैं खड़ा हो जाता। जैसे ही माननीय मंत्री जी ने अपना स्थान ग्रहण किया, मैं खड़ा हो गया। क्या मेरे लिये चीख कर अपने को आपके ऊपर नाजिल करने की कोशिश करना उचित होता?

**श्री अधिष्ठाता**---माननीय सुरथबहादुरशाह जी, मैं इस बात का बराबर प्रयत्न करता रहा और आप एक दफा खड़े हुए थे तो मैं चाहता था कि आप इस पर बोलें। जब मौक़ा मिला आपको तो आप शायद सदन के बाहर चले गये थे, आप हमको दिखलायी नहीं पड़े। इसके बाद मैंने माननीय शिक्षा मंत्री को बोलने का मौक़ा दिया। जब किसी सज्जन का कोई संशोधन होता तो मैं उनको जवाब देने का मौक़ा देता। लेकिन इस समय तो केवल खंड का विरोध हो रहा है। अगर संशोधन स्वीकार करने की कोई बात होती और अगर ऐसी कोई

बात होती जैसा कि आपने इन्टरवीन किया, तो मैं उसको इन्टरवीन मान कर आपको मौक़ा देता और जिन सज्जन ने संशोधन पेश किया होता उनको मौक़ा देता और आख़िरी स्पीच माननीय शिक्षा मंत्री की होती। इसलिये आप को बोलने का कोई मौक़ा नहीं था।

खंड ४

४—लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५८ का संशोधन।

(१) धारा ११ की उपधारा (२) में शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "तीस" रख दिया जाय,

(२) धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ११-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:

पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९५८।

"११-क-(१) यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी (authority) या निकाय (body) के किसी ऐसे सदस्य की पदावधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के अथवा उक्त दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन निर्मित परिनियमों (statutes) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो, या

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी (officer) तथा ऐसे सदस्य की पदावधि, जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी और समाप्त हुई समझी जायगी, मानों उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो।" और

(३) धारा १२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार

"(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारी (authorities) के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों

का प्रयोग या निर्वहन , जैसी भी दशा हो, किसके द्वारा तथा किस रीति से उस समय तक किया जायगा जब तक कि धारा ११ के अधीन निर्मित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन न कर दिया जाय, अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।"

**श्री अधिष्ठाता**--अब खंड ४ में श्री गौरीशंकर राय जी का संशोधन है।

**श्री गौरीशंकर राय**--अधिष्ठाता महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय। श्रीमन्, यह उपखंड (२) इस प्रकार है:

"यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी तथा ऐसे सदस्य की पदावधि , जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी और समाप्त हुई समझी जायगी, मानों उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो।"

अधिष्ठाता महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इतना अधिकार सरकार क्यों लेना चाहती है? क्या संकट उसके सामने है और किन कारणों से यह अधिकार वह लेना चाहती है? इस अधिकार का वहां दुरुपयोग हो सकता है और उस दुरुपयोग से बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। मैं इस पर कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि क्यों इतना बड़ा अधिकार वे लेना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसी संकट कालीन कौन सी परिस्थिति आयी है जिससे ऐसा अधिकार उनको दिया जाय कि जब वे जैसा चाहें उलट फेर कर लें।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो यह संशोधन रखा है कि खंड ४ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय, मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक यूनिवर्सिटी शिक्षा के सिद्धान्त का प्रश्न है यह तो आदि और अनादि काल से ही उसके सम्बन्ध में सिद्धान्त बना हुआ है कि उनकी जो स्वतंत्र इकाई है उसे अक्षुण बनाये रखने का प्रयत्न किया जाय और उसमें किसी प्रकार की भी दस्तन्दाजी न की जाय। हमारे यहां श्रीमन्, वेदों के जमाने में जब कि ब्राह्मण लोगों के यहां विद्वत् परिषद् में लोग शिक्षा लेने जाते थे तो उनके यहां कानून बना हुआ था...

**श्री अधिष्ठाता**--उग्रसेन जी, सोशलिज्म में वेदों का भी स्थान है?

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--वेदों में समस्त मानव मस्तिष्क और विज्ञान का समुच्चय है।

श्री उग्रसेन---तो वहां पर शिक्षा के लिये ब्राह्मणों के विद्वत् परिषद् में लोग जाते थे जो भी व्यवस्था वहां रही हो उसमें किसी की दस्तन्दाजी या कोई दखल नहीं हो सकता था। श्रीमन्, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो ६ठीं शताब्दी में कायम था, उसके सम्बन्ध में जातक में लिखा है कि बनारस के राजा का १६ वर्षीय नवयुवक लड़का कुछ हजार स्वर्ण मुद्रायें लेकर पढ़ने के लिये वहां गया था। वहां पर तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में भी हर प्रकार की उच्च शिक्षा अबाध गति से चलती थी और कोई परम्परा किसी तरह की दखलन्दाजी की नहीं थी और उसके बाद १२वीं शताब्दी में भी नालंदा जैसी संस्थाओं में अबाध गति से उच्च प्रकार की वेदों और उसके अंग, उपंगों की शिक्षा दी जाती थी और सारगर्भित शिक्षा-दीक्षा होती थी लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई दस्तन्दाजी राज्य की तरफ से नहीं थी, यह हमारी अनन्त काल से परम्परा है उच्च शिक्षा की, जनपदों की व्यवस्था का कोई अंकुश नहीं था तब। अब यह अंकुश क्यों लगाया जा रहा है कि धारा ११ के बाद एक और धारा ११--क जोड़ी जा रही है कि जिससे पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार लिया जा रहा है, इस की चाहे जब अवधि समाप्त करने का यह अधिकार क्यों लिया जा रहा है? उनके लिये तो व्यवस्था पहले से है, उनके चांसलर हैं, उनकी चुनी हुई कमेटियां हैं, जब चुनी हुई कमेटियों के मेम्बर हैं और यह छोटी संस्थायें हैं तो आवश्यकता पड़ने पर चांसलर दस्तन्दाजी कर सकते हैं लेकिन अगर गवर्नमेंट सीधे अपने हाथ में अधिकार ले रही है तब तो मैं कहूंगा कि यह तो विश्वविद्यालयों का एक तरह का सरकारीकरण या रेजीमेन्टेशन हुआ।

अभी केरल में कुछ दिन पहले जब श्री नम्बूद्रीपाद ने वहां एक शिक्षा बिल पेश किया था उस के बाद माननीय मंत्री जी की ही पार्टी के लोगों ने वहां संघर्ष किया जब कि वह केवल प्राइमरी शिक्षा का ही मामला था लेकिन यह तो केवल छोटे स्कूलों का नहीं बल्कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं का मामला है और उनका सरकारीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहां सत्याग्रह करें जैसा कि केरल में मंत्री जी की पार्टी ने किया तो उचित होगा उसमें कोई अनौचित्य न होगा। हमारे सामने राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें से मैं एक, दो लाइन पढ़ना चाहूंगा। अंग्रेजों ने सन् १८८२ में एक एजूकेशन कमीशन बिठाया था यह देखने के लिये कि भारत में उच्च शिक्षा क्यों जरूरी है और उसकी व्यवस्था कैसे की जाय ताकि योरोपीय ज्ञान दूसरे लोगों में अंग्रेजी के द्वारा प्रस्फुटित हो सके। तो १८८२ की एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट है जो अंग्रेजी में मैं पढ़े देता हूं, बाद में उसकी हिन्दी में कर दूंगा:

"While advocating the gradual withdrawal of the State from the direct support and management of institutions of higher education it felt that this withdrawal could only be by slow and cautious steps."

उनकी भी सिफारिश यह है कि जो सरकारी नियंत्रण इन संस्थाओं पर है उसे धीरे-धीरे कम किया जाय और हटाया जाय, उसके बाद जब १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐक्ट बना तो उसी के अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई और उस समय इस बात की सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में कम से कम सरकारी नियंत्रण होना चाहिये और जो ऐक्ट बना उस में भी एक व्याख्या में जो १८९७ से १९०२ की है लिखा है कि---

"The Act imposes no limitation on the scope and activity of the University."

यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कानून उसकी कार्यविधि और अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता और उसकी मन्शा है कि कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय। यह अंग्रेजों के जमाने की बातें हैं। उस के बाद यूनिवर्सिटी कमीशन बैठा और रिपोर्ट तैयार हुई लार्ड मैकाले की भी मंशा यह थी कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी के जरिये से हो और सारा योरोपियन ज्ञान हमारे देशवासियों के समक्ष खुल जाय। सब कुछ देखते हुये भी उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में जो विधेयक आया है, मैं नहीं समझ सका कि माननीय मंत्री जी ने किस प्रकार से यह प्रतिबन्ध लगा दिया। यदि

[श्री उग्रसेन]

यह प्रतिबन्ध हमारे हक में हो जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि यह इसलिये सोचा है कि यूनिवर्सिटी में बहुत गड़बड़ी है--माना गड़बड़ी है, मुझे स्वयं मालूम है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कितनी गड़बड़ी हैं, वहां के वाइस-चांसलर हिटलर से कम नहीं हैं--तो भी उन गड़बड़ियों के नाम पर जनरेलाइज करके यह विधेयक लाने और एक डंडे से सबको हांकने की जरूरत नहीं है। वहां का इंतजाम वहां की जो निर्वाचित परिषद् है उसके जरिये किया जाय तो अच्छा है। यदि वह न हो सके तो यूनिवर्सिटी को म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जैसे आप सप्रेस करते हैं। सरकार आज ऐथर्टन मिल को अपने हाथ में नहीं ले सकती तो यूनिवर्सिटी को कैसे ले सकती है।

कांस्टीट्यूशन में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कई बातें हैं। हम कोई संस्था बनावें और जब हम चुन गये तो जब तक हम ट्रिब्युनल में न जायं, जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हमारे खिलाफ फैसला न हो तब तक सरकार को क्या अधिकार है कि हमको अवैध करार कर दे? मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि सिद्धांतों की हत्या न करें। माननीय गौरीशंकर राय का संशोधन बहुत मासूम है, सिद्धांत के अनुरूप है उसको मान लें। यूनिवर्सिटी की आटोनामी और उसकी प्रबंधकारिणी समिति के अधिकारों पर कुठाराघात न हो। यह हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध है अनादिकाल से यूनिवर्सिटीज में जो प्रथा रही है उसके विरुद्ध है और अंग्रेजों के बनाये हुये कानून के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अधिष्ठाता महोदय, इस तरमीम को और माननीय सदस्यों के भाषण को बड़े ध्यान से मैंने सुना। मेरी नाचीज राय में अकेले यह तरमीम पढ़ना और इसको कंसीडर करना ना काफी होता है इस क्लाज के लिये क्योंकि इसको समझने के लिये सारे उस अमेंडिंग क्लाज को पढ़ने की जरूरत होती है जिसका यह (part and parcel) है। मैं समझता हूं कि गौरीशंकर राय जी का जो दूसरा संशोधन है वह भी अगर साथ ही मूव कर दिया जाता तो अच्छा होता। श्रीमन्, मैं मूल ऐक्ट की धारा ११ पढ़ देना चाहता हूं। मुझे श्रीमन् माफ करेंगे यह अंग्रेजी में है इसमें खंड ११ निम्न प्रकार है--

"At any time after this Act has come into force it shall be lawful for the State Government to do anything necessary generally for giving effect to the provisions of the Lucknow University Act, 1920 (U. P. Act V of 1920), as amended by this Act, including the making of any statute or the amending of any statute and fixing of dates for the coming into force of such statutes or amendments."

श्रीमन्, सारांश में अर्थ यह हुआ कि इस धारा के मुताबिक सरकार ने वह ताकत ली थी स्टेट्यूट्स बनाने की या उन्हें संशोधन करने की। उस समय इस ताकत को १२ महीने के लिये सरकार ने युनिवर्सिटी के हाथ से लेकर के वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिये उस अधिकार को अपने हाथ में लिया जिसको मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य हटाना चाहते हैं वह इसकी उपधारा (२) में है।

"(2) The power conferred by sub-section (1) may be exercised by the State Government as often as occasion requires but not later than twelve months from the date of the commencement of this Act."

इस ऐक्ट के प्रयोग में आने के बाद जितनी बार चाहे प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में वह ताकत ले सकती है कि वह स्टेट्यूट खुद बनाये। स्टेट्यूट बनाने का जो काम है वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के ओरिजनल ऐक्ट में दिया हुआ है:

"18. *Powers and duties of the Court*-- Subject to the provisions of this Act, the Court shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:

(*a*) of making statutes, and of amending or repealing the same,
(*b*) of considering and cancelling ordinances"

यानी आर्डिनेंस बनाने की ताकत, और इसके अतिरिक्त उनमें संशोधन करने की ताकत सरकार के हाथ में रहेगी। वक्तन फवक्तन तो वह चीज़ धारा (२८) में इस तरह से क्लीयर होती है कि स्टेट्यूट कैसे बनायेंगे। एक चीज़ और कह दूं यह जो झगड़ा चला है वह सारा इस पर चला है कि स्टेट्यूट गलत है स्टेट्यूट को ताकत थी कि नहीं कि किसी डीन की पदावधि, वह रहे या न रहे, वह आज्ञा निकलते ही डिटरमिन हो जाय। तो हमारी सरकार का यह कंटेंशन था कोई डाक्टर लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन हुये और कोई डाक्टर दास गुप्ता, ऐसा हुआ कि यह रिमूवल आफ डिफिकल्टीज़ आर्डर ले आये तो शर्मा जी की डीनशिप खत्म कर दी गई जैसा कैलाश प्रकाश जी ने बताया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कोई आदमी डीन हुआ और ७ दिन बाद डीनशिप उसकी खत्म कर दी गई, अब उसकी सीनियारिटी खत्म हो जायगी क्योंकि अब डीनशिप रोटेशन में चलेगी, सीनियारिटी का सवाल नहीं रहेगा, ऐसा आर्डर नहीं निकाला जाना चाहिये, कुछ उनकी ऐसी तकरीर थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि सरकार का तो यह कंटेंशन था कि जो वे संशोधन लाये हैं, अमेंडिंग ऐक्ट १९५८ उसके खंड (११) के अनुसार स्टेट्यूट बनाने की सारी ताकत सरकार ने ले ली है और स्टेट्यूट में प्रोवाइड फार किया गया उस बात को और रिमूवल आफ डिफिकल्टीज़ आर्डर जो निकला, आखिर एक दम पहले स्टेट्यूट में ही था, स्टेट्यूट बनाने की जो ताकत यूनिवर्सिटी को थी १२ महीने के लिये उसे सरकार ने ले लिया और सरकार ने यह प्रोवाइडेड फार किया कि यह डीनशिप खत्म हो जायगी जब हम चाहेंगे। तो उस पर जब मामला ठीक नहीं हुआ तो सरकार ने उसको और ऐक्सप्लेन किया कि नहीं हमको ताकत है और हम डीनशिप को खत्म करते हैं जिस दिन से हम चाहते हैं। तो इस बात को शर्मा साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि, डीनशिप इज़ दी क्रीएशन आफ दी ऐक्ट इटसेल्फ' स्टेट्यूट के मुताबिक बना नहीं। तो जहां पर दोनों में कनफ्लिक्ट हो उनकी कुछ ऐसी मंशा है वह जहां पर स्पष्ट रूप से नहीं दी गई वहां उसे और साफ हो जानी चाहिये, तो वहां पर हाई कोर्ट ने यह कहा कि "दी ऐक्ट शैल प्रीवेल"। डीन बनाना ऐक्ट में साफ तौर से दिया ह मगर पद की समाप्ति आर्डर द्वारा की गई है। तो ओरिजनल लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जहां कहीं विरोधाभास हो, चूंकि असेम्बली सुप्रीम बाडी है और जहां उसने अपनी इच्छा जाहिर की है तो वहां पर असेम्बली की वायस प्रीवेल करेगी। तो श्रीमन्, उसके मुताबिक "स्टेट्यूट्स हाऊस के बनाये ऐक्ट" में रखा गया ह ?

"(1) The first statutes shall be those set out in the Schedule."

जब ऐक्ट बना तब काम चलाने के लिये शेड्यूल बनाया गया। अब सारा काम ठप्प हो गया तो बीच में फिर स्टेट्यूट्स बनाने पड़ रहे हैं।

"(2) The statutes may be amended, repealed or added to by statutes made by the Court in the manner hereinafter appearing."

तो मंशा यह थी विधान सभा की ऐक्ट बनाते वक्त कि आइंदा जो स्टेट्यूट्स बनेंगे उन्हें कोर्ट बनायेगी।

"(3) The Executive Council may propose to the Court the draft of any statute to be passed by the Court. Such draft shall be considered by the Court at its next meeting. The Court may approve such draft and pass the Statute, or may reject it or return it to the Executive Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which the Court may suggest."

एक्जिक्यूटिव कौंसिल अपनी तरफ से प्रस्ताव करेगी ड्राफ्ट्स बना कर कोर्ट को पेश करेगी, कोर्ट उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे या संशोधित रूप में स्वीकार करे, यह अधिकार कोर्ट को होगा।

"(4) Where any statute has been passed or a draft of a statute has been rejected by the Court, it shall be submitted to the Chancellor, who may refer

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

the Statute or draft back to the Court for further consideration or, in the case of a statute passed by the Court, assent thereto or withhold his assent. A statute passed by the Court shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor."

इसके बाद चांसलर महोदय के पास जायेंगे और वे स्वीकृति दे दें या न दें, लौटा दें यह सब उनको अख्तियार है। ऐक्ट में आखिर में यह कहा गया है।

"(5) The Executive Council shall not propose the draft of any statute affecting the statutes, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion upon the proposal. Any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Court, and shall be submitted to the Chancellor."

श्रीमन्, यह जो आखिरी परन्तुक है यह बड़ी अहमियत रखता है। इस क्लाज में आप देखेंगे कि normal course में क्या होता है। जब यूनिवर्सिटी भी नार्मल कोर्स में स्टेट्यूट्स बनाती है तो उसकी भी एक्जिक्यूटिव कौंसिल को यह अख्तियार नहीं है कि कोई ऐसा ड्राफ्ट स्टेट्यूट्स का वह बना कर दे जिसमें वह किसी यूनिवर्सिटी की अथारिटी को अफेक्ट करता हो और उस Authority की राय न ली जाती हो। उसको इस बात का मौका दिया है कि वह उसकी सफाई पेश करे, विरोध करे या तरमीमात पेश करे या जो भी उचित हो करे। उन्होंने इस बात को भी मेनडेटरी रखा कि किसी शख्स को मौका नहीं मिला तो आन रिकार्ड रहे हर चीज और उनका जो उज्र होगा जिस पर असर पड़ेगा उसको भी इस बात का मौका मिले कि बिना उनकी राय के या पूछताछ के नहीं किया गया। इसमें आगे जो अमेंडमेंट आता है वह इस प्रकार है ११(१) में:

धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ११-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

**पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार**

"११-क(१)—यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी ऐसे सदस्य की पदा-वधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के अथवा उक्त दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन निर्मित परिनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो, या और दूसरा है—

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी तथा ऐसे सदस्य की पदावधि, जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी और समाप्त हुई समझी जायगी, मानों उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो।"

इसका जहां तक मौजूदा बिल की मंशा से ताल्लुक है, मेरा खयाल है कि किसी की डीनशिप या कोई पोस्ट या कोई संस्था जो वहां की कांस्टीट्यूट होती है अगर सरकार यह आर्डर निकालती है या स्टेट्यूट बनाती है तो वह उसी दिन से खत्म हो जायगी चाहे ऐक्ट में अन्यत्र कोई बात उसके खिलाफ हो। यानी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं "Notwithstanding anything to the contrary....."

**श्री अधिष्ठाता**—आपने फिर अंग्रेजी में कहा।

**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—श्रीमन्, कोट करने की इजाजत तो मिलनी ही चाहिये। और फिर हम लोग अभी उसी वातारण में हैं हालांकि मैं चेंज करने की बहुत कोशिश करता हूं।

**श्री अधिष्ठाता**—परन्तु राजनारायण जी इसके खिलाफ हैं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—लेकिन श्रीमन्, आपने उस दिन सुना होगा, उन्होंने भी कहा था कि जब वे गुस्से में होते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं। वैसे मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं लेकिन

"मजा कहने का जब है कि जब कुछ लोग दूसरे समझें,
अगर अपनी कही को खुद ही समझे तो क्या समझे।"

**श्री अधिष्ठाता**—लेकिन आपकी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—यह सौभाग्य उधर भी प्राप्त है।

**श्री अधिष्ठाता**—अच्छा, अब बिल पर आ जाइये।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इसमें सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार ले लिया कि नियमों के अनुसार चाहे कोई भी बात रही हो लेकिन सरकार के हुक्म से एक ऐसा आदेश जारी होगा कि यूनिवर्सिटी के किसी भी पद या अथारिटी को खत्म किया जा सकेगा और आज से ही नहीं खत्म किया जा सकेगा बल्कि रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से खत्म किया जा सकेगा। मैं मानता कि सरकार को यह दिक्कत है कि नवम्बर में उन्होंने रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर निकाला और हाई कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया, तो उस दिन से आजतक के गैप को किस तरह फिल इन करें। लेकिन श्रीमन्, इसका दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि आजकल तो राजनैतिक समुद्र में एक ज्वार भाटा सा आ रहा है, बड़ी-बड़ी नावें हिल रही हैं, पता नहीं कब टक्कर खा जायं।

(इस समय ३ बजे उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

किसी को पता नहीं कि शाम को उस बंगले में जायेंगे या नहीं जिसमें से सुबह कार में बैठकर आये थे। मैं सेंट्रल गवर्नमेन्ट की बात कह रहा हूं। वहां बड़े-बड़े फूड मिनिस्टर खेत रह गये...

**श्री उपाध्यक्ष**—आप बिल पर आजाइये।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—जी हां, कल कौन जाने ऊंट किस करवट बैठे। हम यह भी सोचते हैं कि हमें कौन निकाल सकता है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह भी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है कि सत्ता किस के हाथ में रहेगी। मगर फिर भी ऐसा किया गया है कि जिससे ऐसी भी आज्ञा निकाली जा सकेगी कि आचार्य नरेन्द्र देव के जमाने में वाइस-चांसलर का पद रिक्त समझा जाय और वह वैध होगा इसमें एक वर्ष, दो वर्ष की कोई लिमिट नहीं है। यह अनलिमिटेड है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस लूपहोल को ठंढे दिमाग से सोचकर ठीक कर लिया जाय। जो गलती रह गई है उसके लिये कानूनी सलाहकार से मश्विरा ले लीजिये। जब बिल बनता है तो बड़ी-बड़ी अथारिटीज बैठती हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तथा मंत्री जी को बड़ी दिक्कत होती हैं क्योंकि वह लोग कहते हैं कि इस तरह से रखने से हाई कोर्ट से यह नल एन्ड वायड हो जायगा। मैं इशारा कर देना चाहता हूं इसको ठीक कर दिया जाय।

दूसरी चीज यह है कि इसकी प्रैक्टीकेबिलिटी को देखना चाहिये कि क्या यह ठीक होगा? किसी ने विश्वविद्यालय में खराब काम किया है, पहले तो चुप थे देखते रहे, रुपया गबन होने दिया, सीनियारिटी को खत्म होने दिया, गुट्टबाजी को होने दिया, वहां पोलिटिकल एरिया बनने दिया यानी उस समय आपकी भावना यह रही कि हमारा क्या बिगड़ता है? लेकिन आज खटपट होने पर यह पसन्द नहीं आया तो सोचा कि इसको ठीक किया जाय। श्रीमन्, पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के १६ लाख के कर्जे को चुकता करने में देर नहीं लगी। सन १९५१-५२

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

तक सारे पदों को स्वीकार किया गया और वहां पर गुट विशेष का एकच्छत्र अधिकार छाया रहा। जब चाहा किसी को ऊपर उछाल दिया जब चाहा किसी को नीचे गिरा दिया। न जाने कौन कहां चला गया ?

डिग्री दिये जाने के बारे में भी बहुत से लोग कहते हैं कि थीसिस किसी और की लिखी थी। उस समय चुप बैठे रहे। यह बातें किसी देहात में या कम्यूनिस्टों के इलाके में नहीं हुई बल्कि सरकार की नाक के नीचे हुई जहां सरकारी स्टाफ बैठता है और जहां हर तरह के साधन मुहइया हैं वहां यह ऐसी चीजें होने दी जाती हैं। सरकार अबेटमेंट करती है पहले उस क्लाज को डिलीट करने की बात कही गयी थी। उसमें दिक्कत यह होती कि उन गरीब टीचर्स की क्या हालत होती ? उन्हें सही या गलत टीचर बना दिया गया। लेकिन बेचारों ने सात आठ साल लेबर पुट इन की है, और फिर हमने बराबर ( acquiesce ) किया, तो आज एकदम जहां पर पदों का सवाल है—रुपये के सवाल में आप जरूर जांच कीजिये, जेल में डालिये, सी०आई०डी० नियुक्त कीजिये, जो कुछ कर रहे हैं वह कम है लेकिन जहां पर किसी की रोटी का सवाल है, उसके घर में भी बीबी बच्चे होंगे, उनके लड़कों की शिक्षा भी होगी, एक स्ट्रोक आफ पेन से उनकी नौकरी खत्म कर देंगे और रिट्रा स्पेक्टिव इफेक्ट से खत्म कर देंगे यह ठीक नहीं है। १९५९ में आपने यह आर्डर निकाला कि १९५८ से फलां पद समाप्त किया गया। उस समय वह व्यक्ति १,२०० रु० तनख्वाह पा रहा था। तो ४,४०० रु० तनख्वाह हुई। उसको अब इसका एक, तिहाई वापस करना पड़ेगा। या आपको उस पर मुकदमा चलाना पड़ेगा। सरकार इसके जितने परिणाम हैं उन सब को देखने की कोशिश करें। To give restrospective effect is very dangerous thing क्योंकि यहां पर जो हम आर्डर्स ईश्यू करेंगे वे हमेशा के लिये प्रभावी हो जायेंगे। उसमें हमारे लिये किसी विश्वविद्यालय से संबंधित लोगों को कंसल्ट करना लाजमी नहीं होगा। हम बाहर के लोग यहां पर यह नहीं समझ सकते कि यूनिवर्सिटी की क्या दिक्कत है, उनकी व्यवस्था ठीक चलने के लिये क्या जरूरतें हैं। जो आदमी उस काम को करता है वही सबसे अच्छा समझ सकता है। कहा है कि जिसका काम उसी को छाजै और करे तो डंडा बाजै।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जब संशोधनों पर बोलें तो संक्षिप्त भाषण होना चाहिये।

**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई प्रस्ताव या विधेयक सदन के सामने आता है तो उसमें कायदा रखा है कि एक घंटा बोलें, आध घंटा बोलें, दो घंटा बोलें लेकिन पीछे बैठने वाले सदस्य भी तो कुछ कह सकते हैं इसलिये मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि समय निर्धारित कर दिया जाय दस मिनट से ज्यादा सदस्य और १५ मिनट से ज्यादा नेता नहीं बोलेंगे। हम भी अपने क्षेत्रों से चुन कर आये हैं। इसका ध्यान रखा जाय। यह मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष**—आपकी अपील मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य पहली बेंचों में बैठते हैं उन तक पहुंच गई और वह इसका ध्यान रखेंगे।

**श्री टीकाराम पुजारी**—मैं सिर्फ दस मिनट बोलूंगा श्रीमन्, ज्यादा नहीं। इतनी देर बोलने में तो श्रीमन्, मुझे बुखार आ जायगा। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—तो श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि यह स्टेट्यूट्स जो हैं जो खंड ४ के अनुसार हैं जिनको डिलीट करने की बात की जा रही है उसमें इतना जरूर है कि सरकार ने इतनी अधिक ताकत अपने हाथ में ले रखी है जो कि उसे नहीं लेनी चाहिये क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कंसर्न्ड एथारिटीज को यूनिवर्सिटी की, जिनको वहां का अनुभव है, उनको अपनी डे-टु-डे डिफिकल्टी को दूर करने में कठिनाई पड़ेगी क्योंकि उसके लिये

वह आर्डिनेन्सेज या स्टेट्यूट्स लाते हैं। तो उसमें उनको अपनी बात करने का, डिस्कशन करने का, या अपनी राय देने का अधिकार नहीं दिया गया है। सरकार चाहे उनसे मशविरा ले, चाहे न ले, वह इससे बाध्य नहीं हैं। श्रीमन्, पिछली बार जो स्टेट्यूट्स बनाये गये थे कहा यह जाता है कि वह इसी आदरणीय सदन के सामने आये। लेकिन हम लोग तो Layman हैं। हम अपनी भूल मानते हैं कि हमने पास किया लेकिन हम इतनी बात समझते नहीं जितनी कि वह समझ सकते हैं। तो यह कहीं प्राविधान इसमें नहीं है कि उनकी भी राय स्टेट्यूट्स बनाने में ली जायगी। पिछली मर्त्तबा पता नहीं उनकी तरफ से क्या-क्या एतराजात आये थे, हमें तो कुछ उपलब्ध है नहीं। पता नहीं उनके क्या-क्या एतराजात लिखित आये या नहीं आये या आये तो उनके ऊपर मंत्री जी या उनके अधिकारीगणों ने क्या फैसला दिया, यह सब हम कुछ नहीं कह सकते। फिर मेरी राय में सरकार का इतनी ताकत लेना कुछ उचित नहीं है पहले सरकार ने यह यथेष्ट समझा था कि यह ताकत वह १२ महीने तक इस्तेमाल करे। अ। वह ३० महीने तक चाहती है क्योंकि यह सारी गड़बड़ी वगैरह जो हुई जो किसी बाडी कब फार्मेशन नहीं हो सका और जैसा मंत्री जी ने फरमाया कि जो शिक्षकों के लिये Two Grade provision रखा गया था जिसकी सराहना इधर से भी और उधर से भी की गई, वह भी पूरा नहीं होने दिया गया है। इन सारी बातों को देखते हुए वह शायद ३० महीने की अवधि रखना चाहते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस चीज का दुरुपयोग हो सकता है और यह बहुत ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रिट्रास्पेक्टिव जो वह दें उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिये नहीं तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। इन सब बातों को कहते हुए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपनी ताकत को लिमिट कर लें, थोड़ा-सा।

**श्री टीकाराम पुजारी**---श्रीमन्, बहुत दिनों में समय आया है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर दो-तीन दिन से बात चल रही है लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आयी। और सब बात उलटी चल रही है। हम सीधी करेंगे। यह सब उलटे हैं, यह सरकार ही उलटी है। अभी एक भाई कह रहे थे कि इसमें तो गृह मंत्री लिखा हुआ है। गृह मंत्री घर के मंत्री को कहते हैं। हमें क्या पता था कि गृह मंत्री विदेश के मंत्री बन जायेंगे। जो घर का मंत्री हो उसे गृह मंत्री कहते हैं जिसे घर का पूरा पता हो, बच्चे-बच्चे का पता हो, हर एक का पता हो, उसका नाम गृह मंत्री। जिसको घर का पता न हो, जिसको मुहल्ले का पता न हो और जिसको देश का पता न हो, न वह गृह मंत्री, न वह शिक्षा मंत्री और न वह कोई और मंत्री।

मैं शिक्षा के ऊपर यह बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा जो होती है वह अपने देश की होती है। यह विश्वविद्यालय देश के नहीं हैं यह तो शहरी विश्वविद्यालय हैं। आपके आगरा विश्वविद्यालय है और गोरखपुर विश्वविद्यालय है लेकिन कोई देहात विश्वविद्यालय भी है। मैं बतलाऊं कि देहात का विश्वविद्यालय प्रेम महाविद्यालय, वृन्दाबन में था जिसके प्रोफेसर और विद्यार्थियों ने जंगे आजादी में भाग लिया था। वह शिक्षा मिली थी जिसने आजादी की जंग में भाग लेने के लिये मार्ग दिखाया। आज के विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं कि जहां पर बाल रखे जाते हैं और मूंछें सफाचट की जाती हैं :

"अंग में पहनने को चाहिये कमीज हाफ़
एड़ी से रहत हाफ़ जूते भी मंगाते हैं।
बड़े-बड़े बाल नित हाफ़ कराये जाते
सिर के बाल कैंची द्वारा हाफ़ कटवाते हैं।
बड़ी-बड़ी मूंछ नित हाफ़ कराई जात
पूरी मूंछ रखने में बाबू शरमाते हैं।
बाप और दादे की कमाई सब हाफ़ कीनी
कहे हाफ़ के पुजारी देश को हाफ किये जाते हैं।"

[श्री टीकाराम पुजारी]

क्या यह शिक्षा है जो हमारे विश्वविद्यालयों में दी जा रही है? एक चीज और है, कहा जाता था कि जरा अपनी मूंछों की शर्म करना और फिर कहा जाता था कि आंखों की शर्म करना, लेकिन आंखों पर तो चशमा लगा लिया और मूंछों को साफ कर लिया तो फिर बस सफाचट हो गये और देश को खत्म कर दिया। मैं इस विषय पर बोलता हुआ प्रमाण देना चाहता हूं कि किस प्रकार की शिक्षा होती थी। जो शिक्षा के केन्द्र होते थे उनमें हमारे नौजवान पढ़कर निकलते थे तो वे राजनीति के मैदान में रहते थे। सन् १९०५ में जवाहरलाल नेहरू इंगलैंड पढ़ने के लिये गये थे। वहां जाकर उन्होंने राजनीति को सीखा और फिर वहां से वापस आने पर हिन्दुस्तान में राजनीति में भाग लिया। वह भी वहां पर विद्यार्थी थे, लेकिन आज विद्यार्थी के ऊपर बन्धन लगाया जाता है कि १५ साल से ऊपर का विद्यार्थी राजनीति में भाग नहीं ले सकता। ५ से १० साल तक का विद्यार्थी चाचा नेहरू की जय बोल सकता है लेकिन १५ साल से ऊपर का विद्यार्थी न ताऊ की जय बोल सकता है और न चाचा की जय बोल सकता है। यह पाबन्दी लगा दी गई है। क्या यह विश्वविद्यालय हैं और क्या यही शिक्षा है? इस शिक्षा का सुधार करना होगा और शिक्षा को बदलना होगा। आज श्रीमन्, क्या है? सब उलटा हो गया है और वह उलटा क्यों हुआ उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं। गांव में एक बड़ी कहावत है और वह कहा करते हैं कि:

"रंड़ुए की छोरी क्या सार जाने, जनता के गीत गवाय रहे हो,
करी वकालत कलेक्टरी पर, निर्माण मंत्री बनाय रहे हो।

गेहूं चना की पौध न जान जिसको सहाकारिता में लाय रहे हो,
जिसे कब्ज उसे रबड़ी दे और भूखे को जुलाब दिलाय रहे हो।

जहां त्रिदोष करें आपरेशन और फोड़े का मलहम लगाय रहे हो,
जो कुछ गांधी ने सिखलाया था उन बातों को भुलाय रहे हो।

जनता को गुमराह करने को नये-नये स्वांग बनाय रहे हो,
कहे पुजारी सन् बासठ में जान के मौत बुलाय रहे हो।"

सारे काम उल्टे! शिक्षा उल्टी, चाल-चलन उल्टा। एक बात होती है कि जो मरीज बीमारी में कसा हुआ होता है उस सन्निपात के रोगी को जब काढ़ा दिया जाता है तब दांती मिचती है। कहता है कि मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि वह तो मौत के घर में जा रहा है। हम कहते हैं कि देश के हितैषी हैं और कांग्रेसी हैं तो हम हैं, गांधी जी के सेवक हैं तो हम हैं, अंग्रेज को निकालने वाले हैं तो हम हैं और हम से कहते हो कि हम सोशलिस्ट हैं? आजादी मिलते ही कांग्रेस, जब टाटा बिरला के नाती की हो गई तो हम क्या करें? इस पार्टी में देखो तो नवाब हैं, रायबहादुर हैं, खानबहादुर हैं, यह क्या हालत है?

"काजी हे वह पाजी हो गये, पाजी हो गये काजी,
जिन घर ना ही सूप चालनी तिन घर नौबत बाजी।"

मैं तो श्रीमन्, उसी विद्यालय बिल पर बोल रहा हूं। विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसी होनी चाहिये? गरीबी शिक्षा। हमें अमीरी शिक्षा को खत्म कर देना है। अमीरी शिक्षा जो होती है इसमें दो सौ, ढाई सौ रुपया माहवारी का खर्चा पड़ता है और गरीबी शिक्षा वह होती है जिसमें बच्चे पढ़ाये जाते हैं। मेरा सुझाव है श्रीमन्, आपके द्वारा, कि आकाश को झुका दो और पाताल को उठा दो, बीच में। क्या होगा इन दोनों का? एक बीच कर दो। जहां टाटा और बिरला के लड़के पढ़ें वहां जाकर एक मेहतर और छोटे, गरीब के लड़के पढ़ें, तब समझिये कि देश के अन्दर कुछ समानता आयेगी।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक चीज और याद आ गयी। यह तो बड़ी खुशी है श्रीमन्, सब लोग सोच रहे हैं कि सन् १९६२ में कांग्रेस हारेगी। सोचने की चीज है, बड़ी गहरी चीज है, एक पक्ष की चीज नहीं है।

"सभी विरोधी कहें चार उप-चुनाव हारे
सत्ताधारी सत्ता पाये अब न विचारेंगो,
जनता के रुख बदले कर्त्तव्य-विहीन देख
नीचे को निहार के न ऊपर को निहारेंगो।
करते अनुमान सब जनता को रुख देख
सत्तारूढ़ दल सन् ६२ में हारेंगो,
कहत हैं पुजारी माया प्रभु की निराली हरेति
यह तो बताओ फिर शासन को सम्हारेंगो ?'

यह बहुत सोचने की बात है, बड़ी गम्भीर बात है, मामूली प्रश्न नहीं है। यह वह चीज नहीं है कि आंकड़े जोड़ लिये, सेठन वारौ हिसाब कर लियौ। कोई गुजारिश करता है, कोई निवेदन करता है, कभी किसान का खयाल भी नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि तब शासन कौन सम्भालेगा ? एक चीज होगी उसके अन्दर,

"जितेन्द्रिय [मनोबुद्धि मुनिमोक्ष परायणम्,
विगतेच्छा भय क्रोधे सदा मुक्त एवस"।

जिसने मन और बुद्धि को बस में कर लिया होगा, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया होगा।

दुश्मन और दोस्त में कोई भेद नहीं करेगा वह शासन को सम्हालेगा। ऐसे नहीं कि "हेलो, कौन से नम्बर से बोल रहे हो", "फलाने नम्बर से बोल रहा हूं"। वह क्या सम्हालेंगे जो यह कहें कि तुम परेशान न हो, कलेक्टर के लिये टेलीफोन कर दिया, उसको फंसवा दो, उसको छोड़ दो। आपके द्वारा, श्रीमन्, मैं कहता हूं कि प्रजातन्त्र में, चाहे ऐसा मिनिस्टर हो, चाहे एम० एल० ए० हो जो ऐसा काम करता हो उसको एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये ...

**श्री उपाध्यक्ष**—पुजारी जी, अब काफी हो गया, शान्त रहें।

**श्री टीकाराम पुजारी**—श्रीमन्, विश्वविद्यालय पर कह रहा था, उसी पर आ गया हूं। एक चीज रह गई श्रीमन्, वह खास चीज है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को नोट करें कि जो विश्वविद्यालय में शिक्षक हों, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हों उनके नाम के आगे और पीछे जो नाम की कड़ी होती है उस कड़ी को निकाल दिया जावे जैसे शर्मा, वर्मा, त्रिपाठी, चौपाठी, छःपाठी, पंडितजी, ठाकुर साहब, चौधरी साहब। यह देश के अन्दर जातिवाद है और जबतक यह नाम की कड़ी, आगे और पीछे की निकाल कर नहीं फेंकी जायगी तब तक न देश में समानता आयेगी और न वर्गविहीन समाज बनेगा और न आपके विश्वविद्यालयों की उन्नति होगी। श्रीमन्, मेरी इन बातों का खयाल रखा जाय अच्छी तरह से और आपसे निवेदन करूंगा कि कभी-कभी मुझे बोलने का मौका दे दिया जाया करे।

**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, इतने अनुभव के साथ बोला गया जो व्याख्यान हो उसके बाद कुछ अधिक कहने को तो नहीं है लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक इस बिल में रखी गई है जिसके हटाने के लिये भी मंत्री जी से प्रार्थना की गई है वह यह है कि किसी भी अधिनियम या परिनियम के द्वारा चुने हुए या नाम निर्दिष्ट किये हुए व्यक्ति या पदाधिकारी को सरकार जब चाहे तब हटा दे। यह अधिकार इतना व्यापक है कि जैसा अभी कहा गया कि चाहे इसका सदुपयोग न हो लेकिन दुरुपयोग तो बहुत जल्दी हो जायगा। सदुपयोग, मैं समझता हूं कि इसलिये नहीं होगा क्योंकि यह अधिकार सरकार ने लिया है

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

और वह शायद इसीलिये लिया है कि कुछ बड़े महत्वशाली या बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तियों ने यूनिवर्सिटियों पर प्रभाव जमा रखा है वहां से वह किसी अधिनियम या परिनियम के द्वारा नहीं हटाये जा रहे हैं। अधिनियम और परिनियम के होने के बावजूद भी वह अपने आसन पर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे, ऐसी सम्भावना है। सम्भवतः उन्हीं के हटाने के लिये सरकार यह सबसे बड़ा अधिकार लेना चाहती है। इस विषय में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि यह अधिकार कहीं भी स्कूलों में नहीं ले रखा है। जो इंटरमीडिएट बिल था उसमें भी सरकार ने यह इंटरफियरेन्स नहीं की। छोटे-छोटे स्कूलों से भी कम अधिकार आप विश्वविद्यालयों को देने जा रहे हैं। इस विषय में एक पौराणिक कथा की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुराणों में एक विचित्र कथा आयी हुई है। राज्य का कर्त्ता ब्रह्मा था, उसने सुन्दर सरस्वती का निर्माण किया। लेकिन सरस्वती बहुत सुन्दर निकली जिस पर अधिकार करने का प्रलोभन वह वहन न कर सका। पौराणिक लिखता है कि उसका नतीजा यह हुआ कि न तो सरस्वती का विवाह हुआ और न ब्रह्मा को देवत्व की प्राप्ति हुई। दोनों ही नष्ट हो गये। अतः यह चीज याद रखनी चाहिये कि जब कभी राजा की ओर से सरस्वती के मंदिर पर अधिकार करने का प्रयत्न होगा तो सरस्वती तो सरस्वती रहेगी नहीं, लेकिन इसके साथ ही साथ राजा को जो देवत्व जनता के द्वारा प्राप्त हुआ है, वह भी न रह जायगा। इसलिये मैंने यह पुराण की कथा केवल इस दृष्टि से कही कि इस अधिनियम के द्वारा जो चीज ब्रह्मा ने हजारों वर्ष पहले की थी वह आज के ब्रह्मा राजा को नहीं करना चाहिये। मंत्री जी को कौन सी कठिनाई हो जायगी यदि वह इस अधिकार को नहीं लेंगे। हमारी समझ में नहीं आता कि २-४ उदाहरणों के कारण वे इस विधेयक को क्यों ले आये? वह तो अपवाद स्वरूप हो सकते हैं और अपवादों के लिये इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं लाया जाता। इसलिये मैं इस अंश को निकाल देने के पक्ष में हूं।

श्री कमला पति त्रिपाठी—मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय गौरीशंकर राय जी ने उपस्थित किया कि ये धारायें निकाल दी जायं, अगर उसको स्वीकार कर लिया जाय तो इस बिल को ले आने की कोई आवश्यकता ही न थी। इसी के लिये और उसी के कारण इस विधेयक को प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ी।

मैं पंडित देवी प्रसाद जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने को भी राज्य का एक अंग समझें। जिस लोकतंत्र की स्थापना उन्होंने की है वह एकमुखी राजा नहीं है, केवल ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही मिलाकर वह बना है। इसकी स्थापना त्रिदेव को मिलाकर होती है। इस त्रिमूर्ति की स्थापना सामंजस्य की स्थापना के लिये ही हुई है। पुराणकार और ऋषियों ने उसकी कल्पना की है। आज जब कि यहां त्रिमूर्ति उपस्थित है, केवल ब्रह्मा को अधिकार नहीं हो सकता कि वह अथवा कोई किसी प्रकार भी सरस्वती के मंदिर पर अधिकार स्थापित कर ले। हमारा लेजिस्लेचर है, हमारी सरकार है, और उसके बाद न्याय है और यह तीनों मिल कर ही इस लोकतंत्र में शासन चक्र कहें या इसको शासन देव कहें, उसका स्वरूप बनता है।

ऐसे ही आप पुराणों की उस कथा का स्मरण करें कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला और विष को पीने की आवश्यकता पड़ ही जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की इच्छा या उत्सुकता नहीं थी कि इस तरह का अधिकार हम लें। पर आप देखें कि इसमें कोई अधिकार नये रूप से लेने का प्रयास नहीं किया गया है। यह तो वैलिडेटिंग क्लाज है। वैलिडेट करना है अपनी उन आज्ञाओं को जिन्हें हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह तभी जायज हो सकता है जब कि स्पष्ट रूप से ऐक्ट में इसका समावेश किया जाय। प्रश्न यह नहीं है कि हम कोई नया अधिकार लेने जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि जो अधिनियम हमने बनाया उस अधिनियम को हमें कार्यान्वित करना है या नहीं। और उनको कार्यान्वित करने के लिये आपने अधिकार दिया था। उन अधिकारों को पूरा करने के लिये हमने आगे निकाला जि

आप कहें कि वह कठिनाइयों को दूर करने वाला आर्डर था, यानी "रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर" था लेकिन कुछ लोगों ने इसे न्यायालय के सम्मुख रखा कि क्या हमको यह अधिकार है ? आपने यह निश्चय किया था कि ऐक्ट बन जाने के बाद यूनिवर्सिटीज की अथारिटीज और बाडीज नयी बनायी जायं। एक हुक्म निकला कि १५ जनवरी, १९५९ तक ये बाडीज बन जायं। उसके बाद एक हुक्म निकला कि जब तक ये बाडीज न बन जांय तब तक जो पुरानी बाडीज हैं वे काम करती रहेंगी।

विश्वविद्यालयों में से कुछ ने उसे कार्यान्वित करना आरम्भ किया और उनकी बाडीज बनने का काम शुरू हो गया। विश्वविद्यालय में से कुछ लोगों ने आपके इस आदेश को ही कि जो पुरानी बाडीज हैं वे १५ जनवरी तक खतम हों और नयी बाडीज बनें, इसको ही उन्होंने न्यायालय के सम्मुख रखा कि अधिकार है या नहीं है, यह ऐक्ट में स्पष्ट नहीं है कि हम बाडीज के टर्म को डिटरमिन करें। मान सकता हूं कि जिस समय ऐक्ट हमने स्वीकार किया उसी समय यह स्पष्ट होना चाहिये था और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५४ के ऐक्ट को आप देखें तो उसमें ये सारी धारायें मौजूद हैं, कोई नया अधिकार हम नहीं ले रहे हैं। सन् १९५४ का ऐक्ट, जिसे सन् १९५७ में आपने संशोधित किया, उस समय ये सारी धारायें सन् १९५७ के ऐक्ट में हमने नहीं रखी और वह इसी वजह से नहीं रखीं जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि हमको इतनी वाइड पावर लेने की जरूरत नहीं थी।

यूनिवर्सिटी ऐक्ट में जो संशोधन किया गया तो विश्वास यह था और मंशा यह थी कि नये ऐक्ट के मुताबिक स्टेट्यूट्स बनें और उन स्टेट्यूट्स के मुताबिक बाडीज बनायी जायं और लेजिस्लेशन का मंशा यह है कि यूनिवर्सिटीज उनको कार्यान्वित करेंगी और जैसा कि मैंने प्रातःकाल निवेदन किया था कि यह सारा ऐक्ट विश्व विद्यालयों के बड़े-बड़े अध्यापक, अध्यापक-संघ, उनके प्रतिनिधि मंडल, उनके उप कुलपति, उनके रजिस्ट्रार इन लोगों से दर्जनों बार विचार विमर्श करने के बाद मैंने प्रस्तुत करने की धृष्टता की थी और उनका बहुत कुछ सहयोग हमें प्राप्त था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के स्टेट्यूट्स को हमने देखा और एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों से मैं मिला तथा उनसे इस संबंध में काफी बातें हुई और सब की राय से उसे बनाया गया। यह कोई जबरदस्ती नहीं हुई, बल्कि उन्हीं की मांग पर इसे प्राथमिकता दी गयी। उनके टीचर्स एसोसिएशन की मांग थी, फिर मैं समझता हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हमने यह क्लाज इसलिये नहीं रखा कि इसको रख कर हम क्यों उनके मन में किसी तरह का संदेह पैदा करें कि गवर्नमेंट कोई बड़ी भारी पावर ले रही है। स्टेच्यूट्स हमने साल भर के लिये बनाया इसे मैं कबूल करता हूं, क्योंकि नये ऐक्ट के मुताबिक स्टेट्यूट्स तो बनाना ही पड़ता। यानी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया लेकिन टीचर्स असोसियेशन ने और कुलपतियों ने हम से कहा कि हम को ही बनाना होगा, हमारे बनाये वह नहीं बनेंगे आप ही स्टेट्यूट्स बना दें। वह पावर हमने १९५७ के ऐक्ट में ली थी खैर वह हम ने बनाकर दिये और यह भी आदेश हुआ कि उनको कार्यान्वित किया जाय। हमें आशा थी कि वह कार्यान्वित किये जायेंगे लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में वह आशा फलवती नहीं हुई। वह चीज वहां चैलेंज कर दी गई और कहा गया कि बाडीज का टर्मिनेशन आप नहीं कर सकते। उस पर हाईकोर्ट का फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप का ऐसा मंशा है कि बाडीज का टर्म डिटरमिन हो तो आप ऐक्ट के शब्दों को जरा स्पष्ट करें। यद्यपि हम सन् १९५४ के ऐक्ट की धाराओं को इस विचार से छोड़ चुके थे कि इतनी वाइड पावर की जरूरत नहीं है, यह विश्वविद्यालय हैं, वे स्वयं ही काम ठीक कर लेंगे इतने अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने उसके लिये रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर निकाला, उनके आदेश पर सेक्शन १२ में हम ने यह किया। फिर हमारे उस आर्डर को भी चैलेंज किया गया कि यह कैसे निकाला जा सकता है। यह मैंने बाडीज के संबंध में बताया।

अब डीनशिप की बात--डीनशिप के लिये भी चैलेंज हुआ और कहा जाता है कि एक सप्ताह बाद ही कोई साहब हटा दिये गये। यह बात मालूम थी कि ७ मई को स्टेट्यूट आने वाला है,

[श्री कललापति त्रिपाठी]

जानते हुये कि स्टेट्यूट आ रहे हैं, १ मई को डीन बना दिया। यह रिट भी हाईकोर्ट में अभी अन्डर कंसीडरेशन है। जहां तक बाडीज की बात है हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन डीनशिप का मामला अभी सबजडिस है। अभी उस विषय में हाईकोर्ट का फैसला नहीं हुआ है।

अब आप देखें कि सन् १९५८ की मई में आदेश होते हैं, सितम्बर में आदेश निकलते हैं, १९५९ में १५ जून तक बाडीज बन जाना चाहिये थी लेकिन रिट की वजह से नहीं बन सकीं, हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि भाषा को स्पष्ट किया जाय। फल यह हुआ कि सन् १९५४ के ऐक्ट की जिन धाराओं को हम छोड़ चुके थे उन्हीं को फिर ले आया गया। डीनशिप रातोंरात खत्म हुई, नई बाडीज बनीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई। अगर आप कहें कि ऐक्ट में अधिकार न लेने से कोई लेकुना रह गया था क्योंकि एक उदारता बरती गई कि सन् १९५४ के ऐक्ट की चीज को ड्राप किया तो उन्होंने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया। उसका विरोध हुआ, हमारी गाड़ी रुकी। जब एक संशोधन पहले मूव हुआ था तो कितनी बहस इस बात पर हुई थी कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बरों पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय। मूल धारा में यह था कि जो एक बार एग्जिक्यूटिव का मेम्बर रह चुका है वह दूसरी बार नहीं खड़ा होगा, उस पर संशोधन आया कि एग्जिक्यूटिव के मेम्बर पर कोई प्रतिबन्ध ऐसा न हो। दूसरा संशोधन हुआ कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर कम से कम २ कांसिक्यूटिव इयर्स तक हो सकता है। दोनों का विरोध उधर से हुआ और जब कि हम स्वीकार कर रहे थे कि कोई बीच का रास्ता पकड़ लिया जाय कि न तो यह प्रतिबन्ध लगाया जाय कि जो आज बाडी खत्म हो गई उसके बाद कोई अधिकार नहीं होगा और न यह लगावें कि कोई रुकावट रहेगी नहीं चाहे बीस-बीस वर्ष तक मेम्बर होते जायं। इसके माने क्या हैं? छः वर्ष वह और दो-ढाई वर्ष वह जो बाकी हैं, तो क्या साढ़े-आठ वर्ष चलेगा। तो उत्तर दिया गया कि नहीं। जब वह संशोधन था तो उसमें था "आफ्टर दि एक्सपायरी आफ दि टर्म" यानी एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर के टर्म की एक्सपायरी के बाद दो कांसिक्यूटिव टर्म तक। उसमें संशोधन हुआ कि "ऐक्सपायरी" शब्द निकाल दिया जाय। तो उसमें "आफ्टर दि टर्मीनेशन आफ दि टर्म" लिखा गया।

उस अधिनियम के अनुसार यह आदेश हुआ कि १५ जनवरी तक बाडीज फिर से इलेक्ट हो जायं नये स्टेट्यूट्स के मुताबिक क्योंकि उसमें प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा अधिकार दिया था। वह चैलेंज हो गया। हाईकोर्ट ने यह व्यू लिया कि अगर यह मंशा था इस ऐक्ट का तो यह और स्पष्ट होना चाहिये। कोई मंशा ऐक्ट में न हो और स्टेट्यूट्स में उसे ले आयें तो यह ठीक नहीं है। उस मंशा को स्पष्ट कर देना चाहिये। उस दिक्कत को दूर करने के लिये हमने रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स निकाला। उसको फिर चैलेंज कर दिया। इलेक्शन रुक गया। रिजल्ट आउट नहीं हुआ। बैलट बाक्सेज बन्द पड़े रहे। अब हाईकोर्ट की जो ओपीनियन थी उसके अनुसार यह प्रतीत हुआ कि वह संशोधन कर दें ताकि गाड़ी आगे बढ़े। अब जो धारायें हैं वह सन् १९५४ वाली ही हैं। इस अध्यादेश के निकलते ही फिर हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ठीक है यह टर्म डेटरमिन्ड हो गया। डीनशिप वाले मामले में अभी फैसला नहीं हुआ है। अब इन आर्डर्स को वैलीडेट कराने की बात है। यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो यह था कि आपके ऐक्ट को नलीफाई करें उसके लिये जो आदेश निकलें उन्हें वैधानिक रूप देने के लिये यह अधिकार रखा गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ३० महीने का अधिकार है, १८-१९ महीने बीत चुके हैं। लमेन्समेंट आफ दि ऐक्ट से १८-१९ महीने बीत चुके हैं। १०-११ महीने वह अधिकार आपको रहेगा। मैं आपकी आज्ञा से यह स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं

कि कोई इरादा इस बात का नहीं है कि इस अधिकार का दुरुपयोग तो क्या, उपयोग भी किया जाय। उपयोग उसी हालत में किया जाए जब इस प्रकार की कठिनाई पैदा हो जाय कि आपका रथ ही रुक जाय। तभी उसका उपयोग किया जाय वरना नहीं। हमारा इरादा है कि यह बाडी तुरन्त ही फार्म होंगी अब दो-तीन महीने के अन्दर। ज्यों ही इनकी एक्जीक्यूटिव काउन्सिल वगैरह हो तो ऐक्ट में अधिकार है कि अपने स्टेट्यूट्स वगैरह बनावें। कोई सिर दर्द मोल लेने का शौक सरकार को नहीं है। कोई सरस्वती के मंदिर में न अधिकार करने की ही इच्छा है। हां, आपका काम न रुके उसके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी और यह व्यवस्था उसमें रखी गई।

अब इसके पीछे जो सारी भूमिका रही है वह मैंने बता दी और मेरी गौरी शंकर राय जी से प्रार्थना है कि इस आश्वासन के बाद जो मैंने दिया कि इस अधिकार का दुरुपयोग करना तो स्वप्न की बात रही उपयोग भी नहीं करेंगे जब तक कि अन्यथा परिस्थिति पैदा न हो जाय वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। माननीय गोविन्द सिंह विष्ट जी कह रहे थे यह तो अब इसके द्वारा यह निकाल सकते हैं कि आचार्य नरेन्द्र देव वाइसचांसलर ही नहीं थे। वे कहां गये। कोई गवर्नमेंट चलाने वाला पागल हो जो यह आदेश निकाले, वह स्थान शून्य हैं। तो फिर अगर ऐसे लोग सूत्र का संचालन करते हों जो विक्षिप्त हों तब तो दूसरी बात है, लेकिन जहां त्रिमूर्तियां मौजूद हैं कोई अधिकार का दुरुपयोग हो सके और उन्मुक्त विक्षिप्त की तरह से विद्या मंदिरों पर कब्जा करना शुरू कर दे यह भय निर्मूल है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे गौरी शंकर राय जी, उनके साथ गौरी और शंकर दोनों ही लगे हैं.....

**श्री गौरीशंकर राय**--मैं एक सफाई चाहता हूं कि डीन, प्रोफेसर्स का जो मामला है इन पर इसका क्या असर पड़ेगा?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--मैं कहना चाहता हूं वह मामला सब-जुडिस है, हाईकोर्ट ने अभी उस पर फैसला नहीं दिया। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि डीनशिप या कुछ हो, जो स्टेट्यूट हैं उसके मुताबिक डिटरमिन होगी क्योंकि आपने उसमें सीनियारिटी और रोटेशन के नियम सब बनाये हैं। अब ७ तारीख को स्टेट्यूट लागू होने वाला हो और पहली को कोई डीन हो गया हो, १९५४-५५ में जब इस तरह का ऐक्ट बना तो आप देखें कितनी जल्दी डिटरमिन हुई उनकी सीनियरिटी। तो अब सीनियारिटी, रोटेशन के तरीके मौजूद हैं उसके हिसाब से होती। लेकिन अदालत में रिट कर चुके हैं उसका फैसला होगा, जैसा फैसला हुजूर का होगा उसके सामने हम सर झुकावेंगे। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि सब-जुडिस है। अभी हाल में दो रिटों का फैसला उन्होंने किया है जिसके मुताबिक यह टर्म डिटरमिनेशन की बात मानों और उसकी कोई और तारीख है जब फैसला होगा। इस दृष्टि से यह चीज रखी गई। १९५४ के ऐक्ट में यह और था। १९५४ के ऐक्ट से बहुत सी चीजों को हमने निकाला, इसे भी छोड़ रखा था और ले आने की आवश्यकता इस कारण पड़ी कि वह परिस्थिति उत्पन्न हुई और हाईकोर्ट ने कहा कि इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है वह किया जाना चाहिये। इसको कोई रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देने की बात नहीं है यह वेलीडेट करता है। इसी आधार पर इस विधेयक के लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई और कारण वही थे और साथ ही अध्यादेश निकला था उसके लिये भी विधेयक लाना था। तो इस उपखंड को डिलीट करने की अपेक्षा यह अच्छा है यदि आप कहें कि इस विधेयक को ही वापस ले लें।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

**श्री गौरीशंकर राय**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उप-खंड (३) के भाग (१) की पंक्ति १ में शब्द "कठिनाई के" तथा शब्द "विशेषतः" के बीच में शब्द "जो उसे विश्वविद्यालय द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट की गई हो" रख दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कठिनाइयों के निवारण करने का अधिकार है उसमें लिखा हुआ है "राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस

[श्री गौरीशंकर राय]

अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके" प्रश्न यह है कि उन कठिनाइयों की अनुभूति सबसे पहले किसको होगी ? जैसा कि शुरू से बहस में स्पष्ट हो चुका है १९५४ का जो ऐक्ट था, जिसकी पृष्ठ-भूमि में ये सारी बातें हुई हैं, सन् १९५७ में जिसके सुधार की पृष्ठ भूमि में संशोधन विधेयक लाना पड़ा और जिन कठिनाइयों की पृष्ठ भूमि में यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया जाता है कि यह कठिनाई कब आई, कैसे आई और कहां आई तो बड़ी गड़बड़ी होगी। जैसा कि मंत्री जी ने कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विश्वविद्यालयों ने उनकी बात मान ली, लखनऊ विश्वविद्यालय ने नहीं मानी तो वे किसी एक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नये नियम नहीं बनायेंगे, सैद्धान्तिक रूप से वे नियम सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे और अगर कोई ऐक्सेप्शन होगा भी तो उसे जमाना और प्रजातांत्रिक विधि अपने रास्ते पर कर देगी और जो लोग इस तरह से चले हैं वे रगड़े भी गये हैं, तो इसमें कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालयों को सारा अधिकार देना चाहिये। विश्वविद्यालय के लोग लिखित रूप में सरकार को यह दें कि उन्हें यह कठिनाई है इसके लिये सरकार क्यों व्यग्र हो। यह बिलकुल स्पष्ट बात है। लेकिन कुछ ऐसा मालूम होता है कि जिसको कष्ट होना है, उससे पहले हमारे मंत्री जी को उसकी अनुभूति हो जायगी, कैसे हो जायगी ? तो मेरा संशोधन बड़ा साधु संशोधन है, आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--अब इसमें एक बात और निवेदन कर दूं। कष्ट का अनुभव करने वाला कोई हो तब कष्ट की अनुभूति हो, जिस दिन कष्ट का अनुभव करने वाला पैदा हो जायगा उस दिन हमें रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर भी निकालना नहीं है। जब एग्जीक्यूटिव कौंसिल नहीं, कोई बाडी नहीं तो किससे पूंछ लें ? एक वाइस-चांसलर हैं जो बेचारे परेशान इस वास्ते हैं कि किसी तरह से एक आध बाडीज बनें तब यह गाड़ी कहीं चले। एग्जीक्यूटिव कौंसिल बनते ही फिर स्टेट्यूट्स का सारा अधिकार एग्जीक्यूटिव कौंसिल को हो जाता है। जिस दिन भी बन जाय उस दिन के बाद हमारा कतई इरादा नहीं है कि उसके बाद भी रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर हम बिना उनकी राय के, बिना उनके कहे हुए निकालें। हमारे उस अधिकार की अवधि ही ९-१० महीने की है और उससे पहले वह समाप्त हो जाय, जितनी जल्दी एक्जिक्यूटिव कौंसिल बन जाय उतनी जल्दी अपने काम को संभाल लें, बस इतना ही मतलब है।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप-खंड (३) के भाग (१) की पंक्ति १ में शब्द 'कठिनाई के" तथा शब्द "विशेषतः" के बीच में शब्द "जो उसे विश्वविद्यालय द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट की गई हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री रामस्वरूप यादव**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक आपत्ति है। इसमें खंड ४ में जो संशोधन माननीय सदस्य का है.....

**श्री उपाध्यक्ष**--जो अभी वे लाने वाले हैं आगे।

**श्री रामस्वरूप यादव**--जी हां।

**श्री उपाध्यक्ष**--पहले उन्हें संशोधन पेश कर लेने दें तब आप आपत्ति उठायें।

**श्री गौरीशंकर राय**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) के भाग (१) के अंश (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंश (घ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(घ) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिनियम उस समय तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं संबंधित बोर्ड को प्रस्तावों पर राय प्रगट करने का अवसर न दिया गया हो और विधान मंडल परिनियमों को स्वीकार न कर ले।"

**श्री रामस्वरूप यादव**---उपाध्यक्ष महोदय, खंड ४ के उपखंड (३) का सम्बन्ध परिनियमों से नहीं है। डिफीकल्टीज आफ रिमूवल आर्डर से सम्बन्ध है। लिहाजा आपने जो संशोधन दिया है वह आउट आफ आर्डर है और इस विषय से संबंधित यह धारा नहीं है।

**श्री गौरीशंकर राय**---उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है, जरा मंत्री जी उसको देख लें। इसका 'सी' इस प्रकार है कि "मेक सच. . . .

**श्री उपाध्यक्ष**---आप हिन्दी भाषा की किताब ले लें।

**श्री गौरीशंकर राय**---इसमें लिखा हुआ है कि "ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे"।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब उपबंध से है लेकिन वह परिनियम हो गया है। मैंने अंग्रेजी के से ट्रांस्लेशन कर के दिया था। मैं समझता हूं कि यह शाब्दिक है इसमें मंत्री जी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा यदि मैं "परिनियम" के बजाय "उपबन्ध" कर दूं।

**श्री उपाध्यक्ष**---मैं समझता हूं कि आपका संशोधन नियमानुकूल नहीं है। इसलिये उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।

**श्री गौरीशंकर राय**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

अब श्रीमन्, कठिनाई निवारण के सम्बन्ध में कल से ही बहुत लम्बा सम्भाषण हो चुका है। अभी मंत्री जी ने भी हमें विश्वास दिलाया कि उनकी इच्छा नहीं है कि कभी भी विश्वविद्यालय के अधिकारों पर वह आघात करें। उनकी इच्छा बहुत ऊंची है, आदरणीय है, स्तुतीय है, लेकिन कोई भी कानून किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बनता है। कानून आज के लिये नहीं बन रहा है बल्कि उस समय के लिये भी है जब वह शिक्षा मंत्री न हों या उनके सोचने में आगे चलकर परिवर्तन हो सकते हैं। इस समय तूफान आया हुआ है, न जाने कौन कहां जायगा, कहां बैठेगा, कहां उठेगा। ऐसी दशा में यह कह देना कि अधिकारों का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं केवल अधिकारों को लेना चाहते हैं, ऐसी बात मैं नहीं मानता।

यह कहा गया कि यहां पर हाईकोर्ट है, जुडीशियरी है, सरकार उन्मत्त नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐक्ट में प्राविजन हो जायगा और अधिकार मिल जायेंगे तब क्या होगा? अभी तो जुडीशियरी ने आपको रोक दिया। लेकिन जब आप अधिकार ले लेंगे और ऐक्ट में पास करा लेंगे तो फिर जुडीशियरी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं रह जायगा। उस समय सरकार उन्मत्त हो जायगी। जुडीशियरी यह देखेगी कि आपका जो ऐक्ट है उसके मुताबिक आपने काम किया है या नहीं? यह तो लेजिस्लेचर के देखने का काम है कि जो कानून बन रहा है उसमें अधिक अधिकार तो सरकार नहीं ले रही है। मैं समझता हूं कि तीन दिन के लिये यह कानून नहीं बन रहा है, बराबर लखनऊ यूनिवर्सिटी का कानून रहेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आज अधिकारारूढ़ हैं कल हट सकते हैं, कल दूसरे तीसरे लोग अधिकारारूढ़ हो सकते हैं। इसलिये विशिष्ट लोगों के लिये, विशिष्ट समय के लिये कानून नहीं बनना चाहिये बल्कि हर समय और हर परिस्थिति के लिये और औचित्य के लिये कानून बनना चाहिये। यह सारा ऐक्ट देश के सामने जायगा, कचेहरी के सामने जायगा। मंत्री जी की पवित्र नीयत सब के सामने नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं कि इतना तूफान है। यही तूफान नहीं सम्हाले सम्हल रहा है तो और कहां झंझट मोल लेने जायं, मैं यह मानता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह तो घर की बात हो सकती है। व्यक्तिगत बात हो सकती है। एक सज्जन व्यक्ति की बात हो सकती है। सरकार के एक मंत्री की बात की बात नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार के मंत्री की बात पर इस सदन की मुहर लग जाने के बाद वह कानून की शक्ल धारण कर लेगी। उसके बाद आप को इसका अधिकार हो जायगा। मंत्री जी अपनी साफ नीयत अपने उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ जायेंगे कि जब कानून बन रहा था तो मैंने सदन में वायदा किया था कि मेरी यही इच्छा है कि इंटरफियरेंस न करें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून किसी एक समस्या को ले कर, चाहे वह मुकदमे की समस्या हो या चाहे वह

[श्री गौरीशंकर राय]

एक ग्रुप की समस्या हो, किसी विशिष्ट बात को रख कर कानून नहीं बनना चाहिये। कानून हर समय, हर परिस्थिति, और विश्वविद्यालय की मर्यादा के अनुकूल होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मेरा यह प्रस्ताव है कि खंड ४ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले एक संशोधन माननीय गौरी शंकर राय जी रखना चाहते थे उसको माननीय शिक्षा मंत्री की प्रार्थना पर अनियमित करार दे दिया गया। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने उस संशोधन को स्वीकार किया होता तो माननीय गौरी शंकर राय जी को इस उपधारा को निकाल देने का आग्रह नहीं करना पड़ता। निश्चय ही उनका वह संशोधन सुधार का था। इस खंड में बहुत जरूरी चीजें, जिन्हें गौरी शंकर राय जी भी रखना चाहते थे, रह जातीं और बाकी जो बंधन सरकार के ऊपर डालना चाहते थे वह बंधन लग जाते। अगर उस संशोधन पर विचार होता तो सदन को यह मौका मिल जाता कि इस खंड को सुधार कर उसको स्वीकार कर लेता। परन्तु दुर्भाग्यवश वह संशोधन अब नहीं है। चूंकि वह संशोधन नहीं है इसलिये इस पूरे उपखंड को निकालने के लिये मजबूर होना पड़ा। मैं भी बैठा-बैठा सुन रहा था। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं हूं लेकिन जितनी भी गौरी जानकारी हो सकी है मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि इस प्रकार का अधिकार सरकार के हाथ में बिना लगाम के दे दिया जाय।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस खंड के आखिरी हिस्से की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछता हूं कि पहले ऐक्ट में क्या था? उसमें सम्भवतः यह था कि १२ महीने के बाद ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी। तो १२ महीने के बाद सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि वह कोई इस तरह का प्रबंध करती। इसमें १२ महीने के बजाय ३० महीने क्यों सरकार रख रही है? यह १८ महीने क्यों बढ़ाये जा रहे हैं? मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे इस सिलसिले में एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा। कुछ प्रतिबन्ध जिनका अभी हमने जिक्र किया हम लगाना चाहते थे कि जो कोई भी इसके मुताबिक उपबन्ध बनाये जायं वह विधान मंडल के सामने आने चाहिये और उन पर विधान मंडल की स्वीकृति मिल जाने पर ही कार्यवाही हो या यह भी था कि यूनिवर्सिटी की कोर्ट या बोर्ड जो भी वहां की भीतरी संस्थायें हैं उनकी स्वीकृति लेने के बाद उन कठिनाइयों पर कार्यवाही करेगी। दो शर्तें रखी गई थीं। दोनों ही शर्तों में इस बात की गुंजायश तो है, इसको माना मैंने, यह मैं सोच सकता हूं कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा पहले कि यह सारी कठिनाई तो वहीं से पैदा हुई जिसके लिये कि हम इलाज करने जा रहे हैं, अब अगर इतना प्रतिबन्ध लगा देते हो उस इलाज करने पर तो हमारी दिक्कत बढ़ जायगी। यह बात मैं मान सकता हूं। कुछ समझ में बात आती है। लेकिन यह विधान मंडल के सामने क्यों न लाया जाय और विधान मंडल क्यों न जब इसको उचित समझ लें तब यह लागू किया जाय? जो विधान मंडल गवर्नमेन्ट को यह अधिकार दे रहा है इस तरह की कार्यवाही करने का तो अगर कोई इस तरह की जरूरत समझती है सरकार गैरमामूली काम करने की और वह उपबन्ध बनाती है तो वह उपबंध आयेगा तो जरूर ही विधान मंडल के सामने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आग्रह केवल गौरीशंकर राय जी का यह था कि उपबन्ध जो बनाये जायं वह विधान मंडल के सामने आकर के तब उन पर काम हो, अमल उन पर तब हो जब उसको विधान मंडल की स्वीकृति मिल जाय।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की एक समिति आपने बनायी। बहुत दिन तक सरकार रेजिस्ट करती रही कि बननी ही नहीं चाहिये सीधे कहे या न कहे। लेकिन आपका काम था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी आपने बनाई। सरकार जो कुछ भी रूल्स बनाती है, जो लेजिस्लेचर कहता

है उसके मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक उसे बनाना चाहिये। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्टें एक नहीं अनेक हमारे सामने हैं और उन सारी रिपोर्टों में इस बात का प्रमाण मौजूद है हमारे सामने कि सरकार ने अनेक अवसरों पर बड़ी मोटी-मोटी गलतियां की हैं। जो कि लेजिस्लेचर का कभी मंशा नहीं था, कराने का सरकार से या एग्जीक्यूटिव से वह भी काम उन्होंने किया। मैं आपका वक्त उदाहरण देकर खराब नहीं करना चाहता। लेकिन वह सारी रिपोर्ट मौजूद हैं। तो इसलिये अगर गौरीशंकर राय जी यह कहते हैं कि जो भी सरकार करना चाहती है उसके लिये वह विधान मंडल से उसकी मंजूरी ले ले तो यह कोई न तो सरकार के लिये अपमान की बात है न कोई तौहीन की बात है और न इससे कोई सरकार की कठिनाई बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि अगर आज इस तरह के अधिकार विधान मंडल आंख मूंदकर दे देता है तो यह कुछ बहुत मुनासिब नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के मामले में हम भी कुछ सतर्क रहना चाहते हैं। हम यह समझते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई अपर प्राइमरी का स्कूल तो है नहीं। वह तो आखिर उन लोगों की संस्था है जो आज नहीं कल एक दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और दूसरे दिन उनके हाथ में सारे देश का शासन जाता है, ऐसे लोगों की संस्था है, उनके पढ़ाने लिखाने की संस्था है और उसमें भी जो स्टेट का सबसे बड़ा चीफ है सबसे बड़ा ओहदा जो सरकार का है और जनता में जो सबसे बड़ा ओहदा है वह गवर्नर उसका चांसलर है। उसके अलावा भी उसमें ऐसे लोगों का समावेश है जिनकी महत्ता को हम इन्कार नहीं कर सकते।

यह बात हो सकती है कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कोई गलती हो, किन्तु वह गलती यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी के जरिये से नहीं हुई। यूनिवर्सिटी तो पहले से १०,१५,२० वर्ष से थी और लखनऊ में थी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अगर १६ लाख या २३ लाख, मैं संख्या निश्चित नहीं कह सकता, अगर कर्जा लिया और उस कर्ज को लेने के बाद पाबन्दी लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं यह समझता हूं कि उस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों का हाथ था जिनसे कभी कभी हमको भी सुगंध मिलती है। वे कभी इस सरकार को भी गौरवान्वित करते थे और हमारे बीच में भी बैठे हुये हैं। उन आदमियों को देखकर हम अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो ऐसे विश्वविद्यालय को अगर कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ गई तो उसने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण पाबन्दी की बात सोची जाय? हम यह महसूस करते हैं कि इस समय भी कर्जा लेने की आवश्यकता, अपने घर से नहीं, बल्कि दूसरे देशों से भी कर्जा लेने की हमको पड़ती है। इस विकास के युग में जब कि ५ विद्यार्थियों की जगह ५० विद्यार्थी पढ़ने के लिये आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ने यदि कर्जा लिया और उसको ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी क्या बात है जो वह बिना ऐप्रूवल के अब कर्जा नहीं ले सकेंगी और जो पुराना कर्जा है उसको वसूल नहीं किया जा सकता।

कुछ अध्यापकों के सिलसिले में बातें हुई जिसका अभी चर्चा हुआ कि उनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो उनको भी बरखास्त करने और हर तरह की पाबन्दी लगाने का अधिकार यह सरकार ले रही है। इसमें यह हो सकता है कि कोई गलती हो जाय। हाड़ चाम का आदमी है, उससे गलती होने का अन्देशा रह सकता है। ऐसी बात हो सकती है कि किसी विशेष कार्य से या किसी और विशेष बात से प्रेरित होकर वह कोई कार्यवाही करे। यह सरकार भी आदमियों की बनी हुई है और सरकार भी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सके। मैं कहता हूं बहुत सी चीजों का चर्चा यहां पर इस सदन में आये दिन हुआ करता है। मैं कहूं कि ४ करोड़ रुपया माताटीला बांध के लिये रखा गया लेकिन उस पर १२ करोड़ खर्च हुआ। अब उसके लिये कमेटी बनाई गई है। अगर कमेटी कहे कि वह काम बड़ा गलत हुआ और ४ करोड़ के स्थान पर जो यह १२ करोड़ खर्च हुआ यह नहीं होना चाहिये था तो फिर क्या हो? हमारे यहां से तो रुपया निकल गया। आज यू० पी० का करदाता कराह रहा है। उसका रुपया अगर इस प्रकार से निकल गया तो हम क्या करेंगे? मैंने उदाहरण के लिये यह बात कही कि सरकार बड़ी-बड़ी गलती करती है। हमको याद है इस सरकार ३।। करोड़ रुपया एक कलम से कुछ १०,१२ लोगों को कर्ज के रूप में दिया। श्रीमन्, मैं निवेदन

[श्री गेंदासिंह]

करता हूं कि आज उन ३।। करोड़ रुपया लेने वालों से पूछा जाय तो उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। हमने उस जमाने में सरकार से कहा था कि सरकार मेहरबानी करके यह तो बतला दे कि यह रुपया लौट भी आयेगा या नहीं? भगवान जाने वह काम अभी तक हुये या नहीं। यह ऐसी चीज है जिसमें सरकार से भी बड़ी-बड़ी भूलें हो सकती हैं और बड़ी-बड़ी गलतियां सरकार ने की हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यूनिवर्सिटी के ऊपर पाबन्दी लगाना अपने ऊपर अविश्वास करना है। हम अपने ऊपर अविश्वास करने के लिये राजी नहीं हैं। अगर हम यह समझते हैं कि वहां पर पढ़े-लिखे लोग हैं जो १०,१५ वर्ष से काम कर रहे हैं तो उनके अख्तियार को छीनना, मैं समझता हूं, कोई बहुत उचित बात नहीं है। इसको हमें कई मर्तबा सोचना चाहिये। इस बात को सारी दुनिया मानती है और शिक्षा मंत्री जी भी मानते होंगे कि यदि वे यहां आकर शिक्षा मंत्री के आसन पर विराजमान हैं तो उनकी योग्यता अधिक है। उन्होंने १० वर्ष तक यूनिवर्सिटी में मेहनत की होगी तभी तो यहां तक पहुंच गये। मैं नहीं पहुंच सका मेरी योग्यता कम है, लेकिन झंडा उठाने में मैं कभी उनसे पीछे नहीं रहा, लेकिन चूंकि वह योग्यता हमारे पास नहीं है, यूनिवर्सिटी तक हम नहीं पहुंच पाये, इसलिये गेंदा सिंह शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते। कभी शिक्षा मंत्री जी को जरूरत पड़ती है तो ऐसी जगह बठा देते हैं कि जहां उनसे भेंट भी न हो सके। मैं आज तो नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटियों पर भरोसा रखना चाहिये। मान लीजिये एक जगह कोई बात हुई तो आज से हम सतर्क रहें, सरकार तो आखिर वाच डाग है, उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। हमारे यहां ४–५ यूनिवर्सिटियां हैं उनके लेखा–जोखा की जानकारी सरकार को नहीं होती और वहां इतने बड़े २ कांड हो जाते हैं और उसके बाद विधेयक ले आने की जरूरत पड़ती है और कहा जाता है कि इसको रेट्रासपेक्टिव एफेक्ट दो, मारने मिटाने के अधिकार हम को दो। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये, इस तरह के अधिकार नहीं लेने चाहिये। अब सरकार ने अधिकार ले लिया और सरकार कोई सुधार करने के लिये तैयार नहीं है। हमको शक है बड़ी ईमानदारी के साथ कि सरकार बदला ले सकती है दूसरे लोगों से और बदला लेने में श्रीमन्, हमेशा सब काम भले नहीं होते। बदला लेने का जो काम जिस तरह से दूसरे लोगों ने किया है, जिसके ऊपर इस विधेयक का जन्म है, उसका बदला लेने का काम यह विधेयक करेगा। इसलिये हम जरूरी समझते हैं कि अब भी प्रतिबन्ध लगाये जायं। अगर यह संशोधन स्वीकार हो जाता तो हम समझते कि पाबन्दी हो गई और विधान मंडल के सदस्यों की बचत हो जाती, लेकिन अगर ऐसी बात न हो तो मैं समझता हूं कि इस खंड को निकाल ही देना बेहतर है और अगर नहीं निकालेंगे तो आगे चलकर इस मामले में हम फसेंगे और पछताने की नौबत आ सकती है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत खंड को निकाल देने के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने आज बड़े ध्यान से माननीय शिक्षा मंत्री जी की बातों को सुना और उन सभी आवश्यकताओं को सुना जिनके आधार पर आज उन्होंने इस सदन को समझाने की कोशिश की कि इस धारा ४ की उपधारा (३) में जो विशेषाधिकार वह ले रहे हैं उसके क्या कारण हैं। विशेष तौर पर मैं यह समझा हूं कि उन्होंने हमको यह बताया कि इस विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लाने में उन्होंने कई दफा कभी उग्रता से सोचा और कभी शान्ति से सोचा और हर हालत में वह अपने विचार के तारतम्य में ऊंचे नीचे उठते रहे। उन्होंने बताया कि आज जो हमने बहुत सी विशेष धारायें कठिनाइयों के निवारण के लिये रखी हैं वह सन् १९५४ के संशोधन विधेयक में उपस्थित थीं और इसके बाद उनको ध्यान आया कि ऐसी विशेष शक्तियां या विशेषाधिकार उनको नहीं लेने चाहिये और सन् १९५७ के संशोधन में उन्होंने उनको सरल कर दिया और आज फिर उनको वह तमाम विशेष शक्तियां लेने की आवश्यकता पड़ी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

यह कथन सुनकर आश्चर्य हुआ, विशेष तौर पर इसलिये कि आजकल उन यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा शिक्षा विभाग खिलवाड़ कर रहा है और सोचता यह है कि उनके साथ खेल खेलने में यह कहीं ज्यादा आगे बढ़ जायंगे और ज्यादा होशियार और ज्यादा गुनी साबित होंगे; लेकिन मुझे सन्देह है कि आज वह अधिक गुनी साबित नहीं हो पायेंगे, क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में मेरी एक धारणा है कि जैसे प्राचीन समय में नालन्दा विश्वविद्यालय आदि में जो सदाचार या आचरण सिखाया जाता था कि सत्य का पालन करें, सत्यता का आदर करें, आदि, आदि, उसके स्थान पर इन विश्वविद्यालयों में तो हमें सिखाई जाती है डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी और किसी प्रकार की पालिसीज। यह पालिसी भी एक शब्द है जो कि समय समय पर अपने अर्थ को रख देता है। तो इन विश्वविद्यालयों से उत्पन्न, हमारे विद्वानों क संकलन से जो पदाधिकारी बने हों उनसे आज हमें एक कुशलता की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जैसा हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने कठिनाइयों के निवारणार्थ कभी ढिलाई की है और कभी कड़ाई करना चाहते हैं, आज उन्होंन कड़ाई करने की आवश्यकता बतलाई है। हमारी राय में इस कड़ाई करने के लिये जो शब्द रखे गये हैं वे इतने व्यापक हैं कि इनमें हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं और एक प्रकार से विश्वविद्यालय में निरंकुशता ला सकते हैं। ये शब्द हैं "परिष्कार", "परिवर्धन" और "लोप", जो हमें बहुत असीमित से मालूम होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें माडीफिकेशन्स, एडीशन्स और औमिशन्स रखा गया है। इन शब्दों से हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संज्ञा बाकी नहीं रह जाती जो इनके अतिरिक्त हो। परिष्कार, परिवर्धन और लोप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आ गये।

**श्री अध्यक्ष**--सेक्यूलर स्टेट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बीच में नहीं आते हैं।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--आपके पहले यहां बार-बार आये हैं और अवतार हुए हैं और दोनों पक्ष से लाये गये हैं। यहां सरस्वती के मन्दिर के निर्माण की बड़ी-बड़ी व्याख्या हुई।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि परिष्कार, परिवर्धन और लोप, ये तीनों मिलकर एक निरंकुशता की अवस्था उत्पन्न करते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि यही क्यों न कर दिया जाय कि यह निर्देश दे सकता है कि जो चाहे सो हो जावे। इन तीनों शब्दों के रखने के बाद विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता कहीं की नहीं रहेगी और सारी स्वतंत्रता सरकार के हाथ में रहेगी। सरकार के लिये कोई रोक नहीं है, किसी भी दरवाजे से उसके लिये कोई पाबन्दी नहीं है। कभी कभी सरकार की ओर से यह भी बात सुनने को मिलती है कि सरकार के कामों में हाई कोर्ट अड़चन डाल देते हैं, लोगों द्वारा रिट आ जाते हैं और उसके बाद सरकार कहती है कि उसके काम रुक जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन हाईकोर्टों के द्वारा सरकार को अवरोध सा दिखाई पड़ता है? लेकिन सही बात तो यह है कि यह सरकार की आंखें खोलने के एक साधन हैं। कभी-कभी सरकार की आंखें खुल भी जाती हैं। आप आज्ञा दें तो यह भी कह सकता हूं कि जो बार-बार संशोधन आते हैं उन संशोधनों के आने का कारण भी यही होता है और ज्ञापन में लिखा जाता है कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस कानून को अवैध घोषित कर दिया है, इसलिये ऐसा किया जाता है। आखिर सरकार ने एक उपाय सोचा कि इस हाईकोर्ट के द्वारा बार-बार ठोकर खाने से तो यही अच्छा है कि अपने अधिकारों में समूलता ले आयी जाय और शब्दों में थोड़ा बहुत हेर-फेर कर दिया जाय। हमें यह कहने का साहस है कि कठिनाइयों के निवारण का जो अधिकार लिया जा रहा है वह कठिनाइयों को और बढ़ायेगा। आप इन कठिनाइयों को इस अधिकार से दूर नहीं कर सकते। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इन शब्दों के हेर-फेर से उन विश्वविद्यालय के तिकड़मबाजों से जीत नहीं पायेंगे। अगर आपके कुलपति और स्नातक दोनों ही स्वभावतः और कर्मणा अपने विश्वविद्यालय का आदर्श ऊंचा रखना चाहेंगे तभी आपको ऐसी कठिनाइयों के निवारण की आवश्यकता न होगी।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मेरी आशय तो यह है कि इस धारा को ही निकाल दिया जाय। इसका आशय यह होगा कि सरकार कठिनाइयों को निवारण करने के अधिकार का नाम लेकर तिकड़मबाजी की होड़ में होड़ न लगायेगी। सच्चे रूप से आप भी वहां मौजूद हों, वहां के अधिकारी भी मौजूद हों, तभी विश्वविद्यालय का काम चल सकता है अन्यथा प्रत्येक ६ महीने में संशोधन लाना पड़ेगा। आज हमारे सामने संशोधन पर संशोधन आते हैं। इन संशोधनों के द्वारा हम सरकार की बुद्धिमत्ता को ही नहीं जान पाते बल्कि उसकी कमजोरियों को प्रकटरूप से देख पाते हैं। इसके पास हो जाने से क्या गारंटी है कि इलेक्शन्स हो जायेंगे, डीन हो जायेंगे? कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फिर भी रिट हो सकते हैं, काम रुक सकता है। यह तो तभी संभव हो सकता है जब दोनों तरफ से ईमानदारी हो। आज हमको बताया जा रहा है कैसे एक डीन ने हमारे मन्तव्य को फलीभूत नहीं होने दिया। मैं पूछता हूं उस अनुपयुक्त डीन को इतने दिनों तक बने रहने का साधन दिया किसने जिसने इन सारे विश्वविद्यालयों की उचित व्यवस्था करने में इतना अवरोध उत्पन्न किया, गवर्नमेंट को ढीला किया, कानून को बदलवाया और सदन का समय बार-बार निरर्थक लिया जाता रहा? यह उनकी योग्यता का स्वरूप है या उनकी तिकड़मबाजी या बेईमानी का स्वरूप है? मैं तो कहूंगा कि ऐसा अध्यापक उस स्थान पर रहने के योग्य नहीं है जो आज भी सरस्वती के उच्च मन्दिर में अपने स्वार्थ के लिये तिकड़मबाजी करके जमे रहना चाहता है या दूसरों को उखाड़ना चाहता है या कानून की आड़ में किसी विश्वविद्यालय की व्यवस्था में अड़ंगा लगाना चाहता है। वह फिर आदर पावेगा। कहीं न कहीं बना रहेगा और फिर भी वह माननीय शिक्षा मंत्री जी के हृदय में स्थान पाता रहेगा। किन्तु मैं बतला देना चाहता हूं कि इस निर्धन देश के लिये ऐसे पुरुष अनुपयुक्त हैं। ऐसे लोगों के लिये इस कानून की व्यवस्था के शब्दों में नहीं जाना चाहिये बल्कि सरकार की भावना को देखना चाहिये और उसकी कार्यशैली को देखना चाहिये तथा इन विश्वविद्यालयों के नाटक में सरकार की नीयत को देखना चाहिये और हमें यह देखना चाहिये कि हमारे नवयुवकों की शिक्षा ऐसे लोगों के हाथ में, ऐसी सरकार के हाथ में जाय जो इसकी ठीक व्यवस्था कर सके। मैंने थोड़े ही शब्दों में अपने विचार प्रकट किये और इस विधेयक की धारा ४ की उपधारा (३) की निरर्थकता की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप भले ही इसको पास करा लें, आप इसे पास तो करा ही लेंगे लेकिन इससे यह साबित है कि ये विश्वविद्यालय आदर्श रूप में नहीं हैं, इनकी ठीक व्यवस्था नहीं है, केवल मात्र आपके और उनके बीच में कुछ होड़ है और इस होड़ में आप खुल कर खेलना चाहते हैं यह इस अधिनियम द्वारा साफ दिखलायी पड़ता है। उसका एक नग्न चित्र हमको दिखलायी पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं उपधारा (३) का विरोध करता हूं।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)--मान्यवर, यह जो प्रस्तुत धारा है उसके ऊपर जो संशोधन माननीय गौरीशंकर राय जी ने रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मूल अधिनियम को उन्होंने ध्यान से देखा नहीं है। १९५४ का जो अधिनियम है आपकी आज्ञा से उसे मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं :--

"43(1). The State Government may, for the purpose of removing any difficulties particularly in relation to the transition from the provisions of the principal Act, to the provisions of that Act, as amended by the amending Act, by order published in the official *Gazette*—

(*a*) direct that the Principal Act amended as aforesaid, shall during such period as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of notification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient ; or

(*b*) direct that till such time, not exceeding one year from the commencement of the amending Act, as the University authorities

are constituted or appointed under and in accordance with the Principal Act, amended as aforesaid, the powers, duties and functions, exercisable or dischargeable by such University authorities shall be exercised and discharged by the corresponding authorities established on the date immediately before the commencement of the amending Act ; or

(*c*) direct that any Statute, Ordinance or Regulation in force at the date immediately preceding the coming into force of the amending Act shall continue in force subject to such alteration, modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient untill superseded by anything done or any action taken under the Principal Act as amended by the amending Act, or

(*d*) make such other temporary provision for the purpose of removing any such difficulty, as it may deem to be necessary or expedient ;

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of the amending Act."

यह धारा ४३ है जो कि १९५४ ई० के ऐक्ट की है। इस का हिन्दी अनुवाद आज के प्रस्तावित बिल में दिया है, इसमें और उस में अन्तर नहीं है। यह चीज सन् १९५७ के ऐक्ट में नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं कि इसके न होने से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और उस पक्ष के लोगों ने बताया कि ऐक्ट में जो आज्ञा थी उस का पालन नहीं हुआ और उसके अर्थ यूनिवर्सिटी के लोगों ने दूसरे रूप में निकाले और फल उसका यह हुआ कि आजतक उसकी मन्शा या आज्ञा का पालन वहां नहीं हुआ। आप भी जानते हैं कि जो मन्शा सदन की थी वह पूरी नहीं हुई, टीचर्स के खिलाफ अनुशासन भंग की कार्यवाही या २ ग्रेड सिस्टम की बात जो सन् १९५८ में कानून लागू होने को थी वह सब २ साल तक नहीं हो सका और इसी लेकुना (कमी) के कारण मई में निर्देश हुए कि एलेक्शन कराये जायं, फिर अक्तूबर की बात हुई और आखिर में १५ जनवरी रखी गई। उसके बाद रिट आया और उस रिट का फसला आया कि 'मोर डायरेक्ट लैन्गवेज शुड हैव बीन यूज्ड बाई दि लेजिस्लेचर"....

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)—व्यवस्था का प्रश्न है मेरा कि अभी माननीय सदस्य ने अंग्रेजी में जो चीज पढ़ी वह हमारी समझ में नहीं आई, उनसे हिन्दी में अनुवाद करने को कहा जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर समझ में नहीं आई उनकी बात तब तो आप के दिमाग को विश्रान्ति ही मिली होगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं यह कह रहा था कि हाई कोर्ट का यह फैसला हुआ कि हमारी भाषा स्पष्ट नहीं है। अगर हम माननीय गौरी शंकर राय जी और अवस्थी जी की राय को मान लें तो यूनिवर्सिटी फंक्शन ही कैसे करेगी; वह तो एक तरह की एरिस्टोक्रेसी कायम हो जायगी। एक आदमी जो वाइस-चांसलर है वही चाहे जो कुछ करता रहे, जहां सैकड़ों टीचर हैं और हजारों लड़के ह वहां पर किस तरह से ऐसी व्यवस्था चल सकती है? विश्वविद्यालय तो एक स्टेट्युटरी बाडी है वह किसी की इच्छा पर नहीं चल सकती, यह तो किसी ऐक्ट के अन्दर ही चलेगी। जो कुछ पहले धारा में था यह उसी का अनुवाद है। जो व्यवस्था पहले थी माननीय गेंदा सिंह उस को पढ़ सकते हैं बिलकुल यह उसी का अनुवाद है। कौन चाहता है कि वाडीज न बने और ग्रेड न दिये जायं टीचर्स को? अगर निकाल दिया जाय इस को तो जो स्वतन्त्रता के हामी हैं वह कैसे विश्वविद्यालय के अस्थायी टीचर्स की सहायता कर सकते हैं? और जो हालत है, सेंक्शन नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है कहां तक सरकार पैसा देती जाय? मैं नहीं समझता कि किस आशा से उन्होंने यह संशोधन

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

रख दिया है। अगर वह चाहते हैं कि सन् ५७ के ऐक्ट की मन्शा पूरी हो तो वह उसे वापस लेने की कृपा करें। माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि १२ महीने की जगह १८ महीने क्यों। तो अब १२ मास क्या, १८ मास भी बीत गये; अब अगर हम ढाई साल न रखें तो वह लागू ही कैसे हो सकेगा? पास होने के बाद भी कुछ समय लागू होते-होते लगेगा, इसलिये इतना समय तो रखना ही होगा। इस तरह से अगर एक बार पास करा के फिर उल्टा करने की कोशिश की जाती है तो यह भ्रम है। मैं अन्त में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इस सम्बन्ध में अभी एक क्लाज को डिलीट कर देने के लिये बहस चल रही थी। माननीय गौरीशंकर राय जी का संशोधन था। उस वक्त जिन कारणों को मैंने निवेदन किया था वही कारण इसके भी हैं। पहले जो बहस हो रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि बाडीज के टर्म डिटरमिन करने या किसी अधिकारी के टर्म को खत्म करने का जो अधिकार सरकार ले रही है यह बहुत व्यापक है। तो उसमें निवेदन कर दिया कि वह अधिकार नहीं ले रहे हैं, असल में जो आर्डर्स निकले हैं उनको वैलीडेट करने के लिये वह क्लाज है। सन् १९५४ के ऐक्ट में भी वह क्लाज मौजूद था। सन् १९५७ में इसलिये छोड़ा था कि हमने समझा था कि यूनिवर्सिटीज सद्भावना से काम करेंगी और इस ऐक्ट को लागू कर लेंगी। परन्तु हाई कोर्ट के फैसले की वजह से यह संशोधन लाना पड़ा। तो जो सन् ५४ की धारा थी वही रखी गयी। ऐसे ही रिमूवल आफ डिफीकल्टीज की भी बात है। इसमें भी पहला जो सन् ५७ का ऐक्ट है उसमें भी कठिनाइयों को दूर करने के लिये आदेश निकालने का अधिकार सरकार को आपने दे रखा है और उसके अनुसार आदेश सरकार ने निकाला परन्तु उस पर हाई कोर्ट में चैलेन्ज हुआ कि यह आदेश निकालने का अधिकार नहीं था। उसका कारण भी यह था कि सन् ५४ की धारा को हमने सन् ५७ में छोड़ दिया था। अब उसको लाकर रखने की आवश्यकता हुई। तो यह कठिनाइयों को दूर करने के लिये धारा ५७ में रखी ही थी, उसको और स्पष्ट किया गया है, कोई अधिकार बढ़ाने की बात नहीं है। कोई काम रुकता हो तो कठिनाई को दूर करने के लिये यह अधिकार आपने ५४ में भी दिया था, ५७ में भी दिया, लेकिन ५७ में स्पष्ट नहीं था इसलिये उसको हमें स्पष्ट करना पड़ा।

उसमें ३० महीने लिखा हुआ है। हमारे मणि जी ने भी नहीं समझा कि उसका मतलब आज से ढाई साल नहीं है, फ्राम दि कमेन्समेन्ट आफ दि ऐक्ट है। १९ महीने तो बीत चुके हैं और अब १०–११ महीने के लिये यह अधिकार है। इस बीच में ट्रांजीशन के पीरियड के लिये रिमूवल आफ डिफीकल्टीज का अधिकार लेते हैं। संक्रमण काल यही है कि जो ऐक्ट है उस ऐक्ट से जो ऐक्ट संशोधित हुआ है, उसमें परिवर्तन करने में यदि कोई कठिनाई पेश हो जाय तो उसे हम रोक सकें नहीं तो हमारा काम कठिनाई की वजह से रुक जाएगा। वरना अगर कोई कठिनाई पैदा हुई तो फिर एक नया बिल लाना होगा। इसलिये यह अधिकार लिया जा रहा है। यदि आप यह अधिकार न दें तो फिर अगर कोई कठिनाई पैदा हुई जैसे कि हुई है और हो सकती है तब गाड़ी रुक जायगी। बावजूद इन तमाम संशोधनों के हम जहां के तहां रह जाएंगे।

ऐसी स्थिति में इस संशोधन को स्वीकार करना संभव नहीं है। मैं माननीय गौरीशंकर राय से चाहूंगा कि इसको वापस ले लें तो बड़ी कृपा होगी, अन्यथा मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको स्वीकार न किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैंने सुना। १९५४ और ५५ का जो विधेयक था उसमें प्राविजन होना इस बात का औचित्य नहीं है कि इस बिल में इतना बड़ा अधिकार ले लिया जाय। सन् ५७ में इसे छोड़ा गया, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मंत्री जी ने सोचा था कि यह बहुत ज्यादा अधिकार है इसलिये नहीं लेना चाहिये। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ४ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ५

५—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ में :

(१) धारा ९ की उपधारा (२) में शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "तीस" रख दिया जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५८ का संशोधन।

(२) धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा ९-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार

"९-क—(१) यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी (authority) या निकाय (body) के किसी ऐसे सदस्य की पदावधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के, अथवा उक्त दोनों अधिनियमों में से किसी के, अधीन निर्मित परिनियमों (statutes) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो, या उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५८।

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी (officer) तथा ऐसे सदस्य की पदावधि जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में, या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी, और समाप्त हुई समझी जायगी मानो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो"; और

(३) धारा १० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार

"(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के, निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाए ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन, जैसी भी दशा हो,

किसके द्वारा तथा किस रीति से उस समय तक किया जायगा जब तक कि धारा ९ के अधीन निर्मित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन न कर दिया जाय, अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।"

**श्री अध्यक्ष**—आप दोनों अपने संशोधन एक साथ पेश कर दें।

**श्री गौरीशंकर राय**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ का उप-खंड (२) निकाल दिया जाय।

पुनः मैं प्रस्ताव करता हूं कि, खंड ५ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

पहले मैं, श्रीमन्, वे उप-खंड पढ़ देना चाहता हूं जिनको मैं चाहता हूं कि निकाल दिये जायं।

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी (officer) तथा ऐसे सदस्य की पदावधि जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी, और समाप्त हुई समझी जायगी माना उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो"; और

(३) धारा १० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के कठिनाइयों के निवारण का अधिकार। उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के, निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) के अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन, जैसी भी दशा हो, किसके द्वारा तथा किस रीति से उस समय तक किया जायगा जब तक कि धारा ९ के अधीन निर्मित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन न कर दिया जाय, अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।"

अध्यक्ष महोदय, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में .....

**श्री अध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि आप जो उप-खंड (३) निकाल देने को कह रहे हैं इसका सिद्धांत ऊपर मंजूर किया जा चुका है। वही शब्द दूसरे में रखे हुए हैं जो सदन ने पहले स्वीकार कर लिये हैं। तो यूनिवर्सिटीज के नियम में परस्पर विरोधी अधिकारों का होना अवैध होगा। इसलिये उप-खंड (३) के बारे में क्योंकि वह मेरे सामने आया था मेरी राय है कि वह अवैध है। और उप-खंड (२) के बारे में क्या बात है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—सब वैसे ही है।

**श्री अध्यक्ष**—तो मैं समझता हूं यह दोनों संशोधन आपके अवैध होंगे क्योंकि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया पहले कि यह रहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में उनके सम्बन्ध में आप विरोध नहीं कर सकते।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब अलग-अलग खंड हैं तो उनको अलग-अलग ही लेना चाहिये। प्रक्रिया नियमावली में लिखा हुआ है कि एक खंड क बाद दूसरे खंड का भी मत लिया जाय.....।

**श्री अध्यक्ष**—मैं मत ले रहा हूं, आप राय विरुद्ध दें। लेकिन मैं उसके ऊपर भाषण नहीं देने दूंगा। मैंने एक व्यवस्था दे दी है कि उक्त संशोधन अवैध है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ६

६—आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५८ का संशोधन

(१) धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:

पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार के अधीन निर्वाचित

"१२-क—(१) यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी (authority) या निकाय (body) के किसी ऐसे सदस्य की पदावधि, जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के अथवा मूल अधिनियम या आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३ के अधीन निर्मित परिनियमों के उपबन्धों या नाम निर्दिष्ट (नामांकित) हुआ हो, या उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३१, १९५३

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी (officer) तथा ऐसे सदस्य की पदावधि, जो ऊपर लिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा ही, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस सम्बन्ध में जारी की गई या जारी की गई प्रकट होने वाली या जारी होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५८

मानो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो" और

(२) धारा १३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार।

"(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के, निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, अथवा

(ख) यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग, या निर्वहन जैसी भी दशा हो, किसके द्वारा तथा किस रीति से उस समय तक किया जायगा, जब तक कि प्रचलित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन न कर दिया जाय, अथवा

(ग) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से चौबीस महीने के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।"

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक यह बिल पारित न हो जाय।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—मैं इसका विरोध करता हूं। आज ५ बजे के बाद विशेषाधिकार समिति की बैठक भी है। इसके अलावा हमारी एक विशेष मीटिंग अमीनुद्दौला पार्क में है, और बहुत से कार्य हैं जिनमें जाना आवश्यक है। यह विधेयक दूसरे दिन आसानी से पारित हो सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि यह आज ही पारित किया जाय।

**श्री उग्रसेन**—बहुत से माननीय सदस्यों को जाना भी है। उनको आज ही गाड़ी पकड़नी है क्योंकि कल छुट्टी है। इसलिये भी सदन का समय न बढ़ाया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—चूंकि १ ही खंड रह गया है जिस पर थोड़ी बहस होगी, इसलिये अनुचित नहीं होगा यदि सदन निश्चय करे कि वह आज तब तक बैठे जब तक यह पारित न हो जाय।

प्रश्न यह है कि सदन आज तब तक बैठे जब तक यह विधेयक जो प्रस्तुत है पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ७

७—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ में:

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५६ का संशोधन

(१) धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई किसी अन्य व्यवस्था को छोड़कर, विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकार गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मिर्जापुर तथा वाराणसी के जिलों में सम्मिलित क्षेत्र में प्रयुक्त होंगे।"

अधिकारों का क्षेत्रीय प्रयोग

(२) धारा ५ की उपधारा (१) तथा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या ८, १९२६।

"(१) धारा ४ में उल्लिखित जिलों में स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध (affiliated) हों, ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे तथा भिन्न-भिन्न कालेजों के सम्बद्ध होने के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

(२) विश्वविद्यालय, कुलपति के अनुमोदन से, उपधारा (१) के अधीन न आने वाले अन्य कालेजों को सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकारों के निमित्त स्वीकृति दे सकता है तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा अनुसार पहले से ही सम्बद्ध कालेजों के विशेषाधिकारों में अभिवृद्धि कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास के भीतर कोई भी नया कालेज स्थापित नहीं किया जायगा"; तथा

(३) धारा ५३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "दिनांक से" तथा "मास" के बीच में आये हुये शब्द "छत्तीस" के स्थान पर शब्द "अड़तालिस" रख दिया जाय।

*श्री रामायणराय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करूंगा कि इस खंड का सम्बन्ध गोरखपुर विश्वविद्यालय से है। मैंने अन्य विश्वविद्यालयों के जब ऐक्ट्स देखे तो मुझे ऐसा लगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये ही केवल यह व्यवस्था की गयी है। तर्क यह दिया जाता है कि नया नया विश्वविद्यालय है, इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक प्रतीत हुआ। लेकिन मैं नहीं समझता कि जहां यह प्रतिबन्ध लगाया गया वहां इसको क्यों ध्यान में नहीं रखा गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय को तो कानपुर के कालेज को एफिलियेट करने का अधिकार दिया जाय और जहां तक गोरखपुर विश्वविद्यालय का संबंध है, गोरखपुर विश्वविद्यालय १० मील की अपनी सीमा में किसी भी नये कालेज को नहीं खुलने देगा। जो कालेज खुल गये हैं वे तो खुल गये हैं लेकिन अब अगर कोई उदार व्यक्ति यह चाहे कि वह अपना पैसा लगाकर वहां पर कोई नया कालेज खोले तो यह सुविधा नहीं दी जायगी। यह जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसके लगाने से आज नहीं बल्कि अगले कुछ वर्षों के बाद एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जायगी। आज, जैसा कि हम जानते हैं, विश्वविद्यालयों में तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। बी० ए० में ऐडमीशन पाने वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

बहुत से विद्यार्थी काशी विश्वविद्यालय से निराश लौटे। उनसे यह कहा गया कि यह केन्द्र द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी है इसमें प्रवेश लेने में तुम्हें सुविधा नहीं दी जायगी। इस प्रकार से बहुत से शिक्षार्थियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऐडमीशन पाया। लेकिन एक सीमा होगी, एक सैचूरेटेड प्वाइंट होगा, उसके बाद वहां वह प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इधर नये कालेजेज खुल नहीं सकेंगे तो एक भयावह परिस्थिति पैदा होगी जिससे शिक्षा पाने वाले शिक्षार्थियों को शिक्षा नहीं मिल सकेगी। इस कठिनाई की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसका पुनीत उद्देश्य है और इससे पूर्वी प्रदेश की शिक्षा को एक ऐसा मार्ग मिलेगा जिसमें माननीय मंत्री जी अवरोध उत्पन्न करेंगे क्योंकि वह नहीं चाहेंगे और वह तो चाहेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय बढ़े और वहां के विद्यार्थियों को सुविधा मिले, वहां के ऐसे लोग जो शिक्षा प्रेमी हैं और जो नई संस्थायें खोलना चाहते हैं उन्हें अवसर मिले। इसलिये इस प्रतिबन्ध को कृपा करके निकालने का कष्ट करें।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो रामायण राय जी ने कहा मैं उनके भावों से बहुत कुछ सहमत हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय में हमें विचार करना पड़ेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय जिसका कि कार्यक्षेत्र अब बढ़ा हुआ है उसके सम्बन्ध में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज तथा दस मील वाले रेडियस में कालेज न होने के सम्बन्ध में विचार करना होगा। परन्तु इस समय मेरी प्रार्थना है कि वह इस तरह का संशोधन पेश न करें क्योंकि क्लाज ७ में दिया है कि इसका जूरिसडिक्शन बढ़ाया जाय। इसमें कई जिले जैसे वाराणसी मिर्जापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि को जोड़ने के लिये यह धारा रखी गई है, इसलिये इसको डिलीट करना ठीक नहीं होगा। अब आप यह चाहते हैं कि दस मील वाला प्रतिबन्ध न रहे। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट के सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन को विचार करना होगा क्योंकि काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। जैसा एक मित्र ने कहा था, इस विधेयक से गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, दूर नहीं होंगी। इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी। वहां बहुत से मुकदमे दायर हैं और यूनिवर्सिटी नई नई है और उसकी कोई भी बाडी नहीं बन पा रही है, इसलिये उस अवसर पर हम विचार करेंगे। मुझे तफसील नहीं कहना है। यह जो रखा गया है वह इस मंशा से रखा गया था कि नई जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसको यह मौका मिल जाय कि वह अपनी फैकल्टीज को संगठित कर सके, गोरखपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है। वहां पर प्रतिद्वन्दी कालेजेज की स्थापना हो गयी तो यूनिवर्सिटी के विकास में कहीं दिक्कत न हो वह भी सोचा गया। अभी फर्स्ट डिग्री कालेजेज चलते हैं, उनके लिये भी व्यवस्था नहीं है। अगर पोस्ट ग्रेडुएट क्लासेज भी खुलने लगें तो कहीं उसका स्तर न गिर जाय, यह प्रतिबन्ध १९५४ में जब ऐक्ट बना था उस वक्त रखा गया। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय और सरकार के सामने यह प्रश्न है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह संप्रति इस संशोधन को न करें। उस पर विचार कर रहे हैं और जो निर्णय सरकार का होगा वह इस आदरणीय सदन के सम्मुख आयेगा। इस समय जैसा है उसे स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान करें।

**श्री रामायण राय**—मान्यवर, जहां तक धारा ७ में (१), (२), (३) का सम्बन्ध है उससे मेरा विरोध नहीं। मैं उनका आदर करता हूं। मेरा आग्रह प्रतिबन्ध के लिये था। जिस विचार से मैंने यह आग्रह किया था उस विचार से वह अपने को सम्बद्ध करते हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। ये उपखंड अपनी जगह पर बने रहते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी इसको हटाने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपकी आज्ञा से खंड ७ का विरोध करना चाहता हूं। इसके जो कारण हैं वे भी आपके सामने रखूंगा। खंड ७ में तीन उपधारायें हैं। लेकिन विशेष तौर से पहली और दूसरी उपधाराओं के जो अंग सन्निहित हैं उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ भ्रम है। वह यह कि पहली उपधारा में जो अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गयी है उसमें पहले नौ जिले थे। अब चौदह कर दिये गये हैं। इनके करने का कोई कारण मैंने इसके साथ लगे हुये पत्र में नहीं पाया। मैं व्यक्तिगत जानकारी से कहता हूं कि फैजाबाद के बारे में इस पक्ष के लोगों ने कहा था। उसके बाद सुल्तानपुर, मिर्जापुर आदि जिलों को बढ़ाने का कारण समझ में नहीं आया। जितने भी भाषण मैंने शिक्षा मंत्री के सुने उनमें से किसी में भी इसका कारण नहीं बताया गया। दूसरी उपधारा में जो शब्द हैं—"विश्वविद्यालय कुलपति के अनुमोदन से उपधारा (१) के अधीन न आने वाले अन्य कालेजों को सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकारों के निमित्त स्वीकृति दे सकता है।" ये अन्य कालेज जो हैं इसके ठीक पहले जो तत्सम्बन्धी धारा पहली में था उसमें लिखा है—"दी यूनिवर्सिटी मे विद दी अप्रूवल आफ दि चांसलर ऐडमिट अदर कालेजेज", तो इसमें नये कालेजेज की जगह अदर कालेजेज, अन्य कालेज रखने की बात है। तो नये कालेज की बात तो समझ में आती है कि जो उसके क्षेत्राधिकार में नये कालेज खुलें उनको वह एफिलिएट कर ले लेकिन यह अन्य कालेज जो रखा जा रहा है उससे कुछ भ्रम पैदा होता है कि क्या इस क्षेत्राधिकार के बाहर भी कुछ कालेजों को लेना चाहते हैं।

इसके अलावा, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ गड़बड़ियां सुनने को मिली हैं और सरकार उसके लिये उपाय कुछ विधेयक आदि लाकर के करने की बात सोच रही है और यह विरोधी पक्ष से भी सुनने को मिला कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सभी बातें सही नहीं हैं, कोई न कोई कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इस बात को देखते हुये कि इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दो तीन संशोधन हमारे सामने आये और इन संशोधनों को लाने के बाद फिर यह कहना कि इसके बाद ही हम एक दूसरा संशोधन विधेयक फिर लाने वाले हैं, यह इस सदन का अनुचित प्रयोग करना होगा। जब किसी चीज को सरकार निश्चित जान पायी तो उसको उसी समय लाना चाहिये। एक संशोधन के बाद दूसरा संशोधन उसी समय आये, इससे यह मालूम पड़ता है कि सरकार के सोचने-विचारने में कोई स्थिरता नहीं है। जैसा कि अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय की गड़बड़ियों के बारे में कहा गया और उसके लिये मंत्री जी ने कहा कि वह शीघ्र ही कोई संशोधन लाने वाले हैं, तो मैं यह कहूंगा कि इस संशोधन बिल को सरकार वापस ले ले और फिर एक काम्प्रिहेंसिव बिल वह ले आवे जिस पर हम पूर्ण रूप से विचार करें और देखें।

श्री अध्यक्ष—आप खंड ७ पर ही सीमित रहें। पूरे बिल को उठा रहे हैं आप।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात कह रहा हूं, मैंने एक भी शब्द दूसरे विश्वविद्यालयों के बारे में नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष—पूरे बिल को उठा रहे हैं आप।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं चाहता हूं कि अगर यह सातवां खंड गिर जायगा तो ख्वामख्वाह सरकार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में एक नया विधेयक लाना पड़ेगा और फिर वह खूब अच्छी तरह से उसमें सारी बातों को सोच-समझकर एक कांप्रिहेंसिव बिल लावें।

इस संबंध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वह यह है कि इसके पहले जो अध्यादेश था उसमें यह बात संकेत रूप में बताई गई थी कि वाराणसी के कुछ कालेजों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जिनको कि डिसएफिलिएट किया जा रहा है किसी सेंट्रल इनक्वायरी कमेटी की जांच के परिणाम-स्वरूप उनके एफिलिएशन के संबंध में मंत्री जी चिंतित हैं और शिक्षा मंत्री जी ने कहा भी कि हम केंद्र के दिये हुए आदेश का उल्लंघन या उसमें अवरोध नहीं पैदा कर सकते। हम जनता की तरफ से उनके प्रतिनिधि के रूप में सरकार से यह मांग कर रहे हैं और यह जानना भी चाहेंगे कि जो भी आज्ञा हो केंद्रीय सरकार की उन आज्ञाओं को देखते हुए इस प्रांतीय सरकार को हमारी उन प्रार्थनाओं और निवेदनों को भी केंद्रीय सरकार के सामने रखना चाहिये था, यह भी उनका कर्त्तव्य होता है, इस विश्वविद्यालय के संबंध में जो इतनी काटछांट हो रही है उसकी इतनी तीव्र आवश्यकता क्यों पड़ी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ इन कालेजों को जोड़ने की इतनी अत्यावश्यकता क्यों हुई इसके कारण भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं आये और न उस पर मंत्री जी ने कुछ प्रकाश डाला। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने इस बात को जानने का प्रयत्न किया था कि जनता की राय इस सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास पहुंचायी या नहीं, वह बात आज तक निरुत्तर रह गई। उन सारी समस्याओं का हल गोरखपुर विश्व-विद्यालय से उनको जोड़कर बताया जा रहा है। मुझे संदेह है कि इस प्रकार से वहां शांति शायद न हो पाये बल्कि बनारस के इन जिलों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से जोड़ने के बाद और उलझन पैदा हो जाय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में भी एक बहुत बड़ी व्यापक उलझन पैदा हो जाय। इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए यह अच्छा हो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधेयक जो सरकार लाना चाहती है संशोधित रूप में वह लाये और जो आज यह धारा इसमें है इसको वह इसमें से हटा ले और इसको पास न करे।

**श्री गौरीशंकर राय**—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है, माननीय मोतीलाल जी ने मेरे सभी संशोधन का समर्थन किया लेकिन जो उनका अंतिम संशोधन है मैं उसका समर्थन नहीं करता। उसका विरोध करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—वह खंड ७ का विरोध कर रहे हैं।

**श्री गौरीशंकर राय**—मैं उनके विरोध का विरोध करता हूं। क्षेत्र के संबंध में दूसरे लोगों ने भी महसूस किया और मैं भी महसूस कर रहा हूं कि क्षेत्रीय व्यवस्था जब बन गई तो उसके लिये क्षेत्रों का परिसीमन होना आवश्यक था। अगर उनकी संख्या उतनी ही बड़ी-बड़ी रहती है तो गोरखपुर अपना काम ठीक नहीं कर सकता। इसके बाद जितनी बातें हैं पहले और बाद में उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इसका विरोध करने की आवश्यकता हो। यह तो सोचने की बात है, यदि गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में या पूरे एजुकेशन के संबंध में कोई काम्प्रिहेन्सिव बिल आये। मैं इस क्षेत्रीय वाली धारा का समर्थन करता हूं।

**श्री उग्रसेन**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन के संबंध में एक बात विशेष जोर देकर कहना चाहता हूं। जो इसकी उपधारा (३) है उसमें लिखा हुआ है कि धारा ५३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "दिनांक से" तथा "मास" के बीच में आये हुए शब्द "छत्तीस" के स्थान पर शब्द "अड़तालीस" रख दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने संक्रमण काल की अवधि ३६ से बढ़ाकर ४८ कर दी है। यह बहुत एतराज की बात है। माननीय अवस्थी जी ने इस पूरी धारा का विरोध करने के लिये जो अपना प्रस्ताव रखा था उसमें यह खास बात थी। संक्रमण काल की अवधि आखिर क्यों बढ़ाई जा रही है? इसका कारण क्या है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जब स्टेट्यूट्स बना तो हमने अपना संशोधन रखा और माननीय मंत्री जी ने अपना एतराज पेश कर दिया कि यह ३६ घंटे पहले संशोधन नहीं दिया

गया है। मणि जी ने संशोधन दिया तो उनका समर्थन करने के लिये जब मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया। जिस तरह से स्टेट्यूट्स बनाये गये हैं उनके अनुसार वहां पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार शिक्षा विकसित होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। जिस प्रकार से सेलेक्शन कमेटी को कानूनी नियंत्रण में चलना चाहिये उस तरह से वह नहीं चल रही है। मैं चाहता हूं कि वहां पर जो अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाय और इस तरह से वहां की संक्रमण काल की अवधि को भी बढ़ाया न जाय। शिक्षा मंत्री जी के लिये अवस्थी जी के प्रस्ताव को स्वीकार करना तो संभव नहीं है लेकिन मेरा मतलब यह है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो अवधि बढ़ाई जा रही है उसको न बढ़ाया जाय।

श्री राजनारायण--वह कारण क्या है जिसकी बजह से बढ़ाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह कारण क्या है, देवी प्रसाद जी उनके पास बैठे हुए हैं। वह कह रहे थे कि इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाय, क्योंकि अगर इसको इतने छोटे क्षेत्र में रखा तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इतने छोटे क्षेत्र को लेकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि इसमें और अधिक जिले जोड़ने चाहिये। बनारस कमिश्नरी के तीन जिले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ थे, बनारस और मिर्जापुर उसके साथ नहीं थे। और इधर बस्ती, गोरखपूर डिवीजन का जिला उनके साथ था और कुछ जिले गोंडा, बहराइच, फैजाबाद डिवीजन के थे, फैजाबाद खुद उससे अलग था, जौनपुर भी नहीं था। शुरू में जौनपुर लिया गया और मिर्जापुर, बनारस इधर छूटे और फैजाबाद उधर छूटा और गोंडा, बहराइच, गोरखपुर कमिश्नरी के, यह लिये गये और फिर यह हुआ कि फैजाबाद ले लिया गया। तो फैजाबाद इधर और जौनपुर उधर और बीच में सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ रह गये, तो इस क्षेत्र को इस दृष्टि से बढ़ाने की कोशिश की। तो जैसा मैंने कहा, आज ज्यादातर मांग यह है कि संप्रति क्षेत्र को घटाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये बल्कि बढ़ाने का हो। अब जब आपने यूनिवर्सिटी कायम कर दी, ऐक्ट बना दिया, उसको चलाना है, उसके क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता थी ही, तो इसी विचार से मैंने निवेदन किया कि जैसा रामायण राय जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज हो सकते थे, ऐसा क्यों हो कि गोरखपुर में सेंट ऐंडरूज ही रहे कोई दूसरा कालेज न रहे। तो इस ओर हमारा ध्यान गया है और हमने देखा कि उसके लिये क्या कर सकते हैं।

उग्रसेन जी ने कहा कि अधिकार क्यों बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ऐक्ट आपने पहले स्वीकार किया था। जो आपको अधिकार था स्टैट्यूट्स बनाने का, पहले आपने बनाये, उसके बाद उसमें परिवर्तन करना, रेज्यूलेशन बनाना, आर्डिनेंस निकालना, ये सारे काम एग्जीक्यूटिव कमेटी के होते हैं। जैसा कि उग्रसेन जी स्वयं जानते हैं, वहां एग्जीक्यूटिव कौंसिल नहीं बनी है। इसमें आपका दोष नहीं है। आपने ऐक्ट बनाया, स्टैट्यूट्स बनाये और अधिकार दिया कि जल्दी से एग्जीक्यूटिव कौंसिल बने। परन्तु वहां मुकदमे चले और मैं समझता हूं कि आधे दर्जन से अधिक कायम हैं। हाई कोर्ट के इंजंक्शन से वहां की सारी प्रोसीडिंग्स स्टेंड हैं। अब अगर हम इसके लिये कोई अधिकार न रखें तो सारी गाड़ी बन्द पड़ी रहेगी। अगर रिमूवल आफ डिफीकल्टीज का सबसे ज्यादा औचित्य है तो वह गोरखपुर में है क्योंकि वहां बाडीज का जन्म ही नहीं हुआ। वाइस चांसलर को सारे अधिकार हैं और एक छोटी-सी कमेटी है जो नामीनेटेड है। साल भर का यह अधिकार है और इसे हटना है और इसलिये मैं समझता हूं कि इस धारा का विरोध अवस्थी जी भी नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ८ व ९

उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा ५० का संशोधन निरसन

८—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५० के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "छत्तीस" के स्थान पर शब्द "अड़तालीस" रख दिया जाय।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या, १, १९५९ यू० पी० ऐक्ट संख्या १,१९०४

९—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ की धारा १ से ७ तक के उपबन्ध निरस्त किये जाते हैं तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस निरसन पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त अध्यादेश किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित (enactment) हो।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना और खंड १ व अनुसूची

### उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९

**उत्तर प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विधि को संशोधित करने के लिये विधेयक**

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९५९

उत्तर प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों पर प्रवृत्त विधि को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा २२ जून, १९५९ को प्रख्यापित किया गया था;

और "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३(२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने से ६ सप्ताह व्यतीत हो जाने पर प्रवर्तन में न रहेगा और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि यह विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम, बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) यह २२ जून, १९५९ से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

"अनुसूची"

[धारा २ (ख) देखिये।]

विश्वविद्यालयों के नाम

१—आगरा यूनिवर्सिटी।

२—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।

३—लखनऊ यूनिवर्सिटी।

४—गोरखपुर विश्वविद्यालय।

५—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना, शीर्षक और अनुसूची इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से पारित हुआ है, पारित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर वृहस्पतिवार २७ अगस्त, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ अगस्त, १९५९।

विधान परिषद

## नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर ।]

## नाविक जल मजदूर संघ की मांगें तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना

| मांगें | कार्यवाही |
|---|---|
| १—उत्तर प्रदेश की सभी नदियों में फ़ी शिकारगाही करने का आदेश दिया जाय। | १—नदियों में जहां पर कहीं भी जमींदार लोग मछली का ठेका नीलाम नहीं करते थे वहां पर गांव समाज मछली का ठेका नहीं दे सकता जब तक भूमि प्रबन्धक समिति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास न कर ले और जिलाधीश उस प्रस्ताव पर अनुमति न दे दे। जिलाधीश उस प्रस्ताव पर अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं और मछली मार कर अपनी जीविका कमाते हैं उनको नुकसान न पहुंचे। जहां कहीं इस किस्म का दस्तूर या रिवाज था ऐसे स्थानों पर नदी के किनारे के ठेकों का नीलाम नहीं किया जा सकता और मल्लाह लोग मुफ्त मछली मार सकते हैं परन्तु जहां पर जमींदारी विनाश के पहले ठेके देने का रिवाज था वहां पर ठेके दिये जा सकते हैं। इस व्यवस्था के अलावा केवटों और मल्लाहों के हित में कोई रियायत करने में सरकार असमर्थ है। |
| २—भूमिहीन मल्लाहों, निषादों, गोड़ियों, केवटों, इत्यादि को नदी तट की भूमि गंगवार तथा गांव सभा के अन्दर परती बंजर भूमि को देने में प्राथमिकता दी जाय। | २—यदि भूमिहीन मल्लाह, निषाद, गोड़िया व केवट आदि कोई खेती से संबंध रखते हैं और खेतों में मजदूरी करते हैं तो उनको जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त है। |
| ३—घाटों, तालों, पोखरों का ठेका तोड़ दिया जाय। अपने हाथ से नाव खेने वाले, तालों में मछली मारने वाले तथा अपने हाथ से सिंघाड़ा लगाने वालों के नाम स्थायी व्यवस्था की जाय तथा लैसन्स व्यवस्था की जाय। | ३—इस मांग को स्वीकार करने में सरकार असमर्थ है। |
| ४—हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बटवारे से जितने मल्लाह बेकार हुये हैं उन मल्लाहों को काम देने की व्यवस्था की जाय। | ४—सहायता तथा पुनर्वास विभाग ने पाकिस्तान के आये हुए समस्त विस्थापित व्यक्तियों को, चाहे वे जो भी रोजगार पाकिस्तान में करते हों, पुनर्स्थापित किया है और ऐसा नहीं मालूम होता कि शरणार्थी मल्लाह यदि वे इस प्रदेश में आये हों तो अब भी बेरोजगार हैं। |

| मांगें | कार्यवाही |
|---|---|
| ५—समुद्री जहाजों पर काम करने के लिये मछुवा, मल्लाहों, निषादों, केवटों इत्यादि को भरती किया जाय। उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाय। स्थान-स्थान पर शिक्षण केंद्र खोले जायं। | ५—इस मांग पर पहले भी विचार किया जा चुका है। गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड के पास यह मांगें राज्य सरकार द्वारा उनके विचारार्थ भेजी गई थीं। उन्होंने सूचित किया था कि जहाजी ट्रेनिंग के लिये सभी राज्यों में चुनाव किया जाता है। यह चुनाव इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा अथवा स्थानीय निर्मित कमेटियों द्वारा होता है और जहाज संबंधी पद्धति जानने वालों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। १८ से २५ वर्ष के युवकों को जो कक्षा ४ तक पास हों और स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित स्तर के हों, लिया जाता है। इलाहाबाद में साधारणतया हर तीन महीने में डायरेक्टर जनरल आफ शिपिंग के प्रतिनिधि स्थानीय इम्प्लायमेंट अफसर द्वारा चुनाव किया जाता है। |
| ६—मोकामा के पुल का निर्माण होने से लाखों नाविक बेकार हो गये हैं। ऐसे बेकार नाविकों को काम दिया जाय; जैसे पूर्णिया जिला, सहरसा जिला का छूट गाढ़ी सेल किया जाय। | ६—प्रथम भाग—बेकार नाविकों को रोजगार के लिये निकटतम इम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज के दफ्तरों में नाम दर्ज कराना चाहिये।<br>द्वितीय भाग—इस प्रदेश की सरकार इससे संबंधित नहीं है। |
| ७—मल्लाहों, निषादों, गोड़ियों सौरहिया, चाप, तिपर, बिन्दु, बथवा, मुद्धियारी, धींवर, धलिया, गौड़, कहार इत्यादि जातियों को हरिजनों की सभी सविधायें देने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय तथा इनका भी नाम परिगणित जाति की लिस्ट में जोड़ दिया जाय। | ७—धींवर, कहार, बिन्दु, केवट, अथवा मल्लाह उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में दी हुई हैं। निषाद तथा गोडिया क्रमशः मल्लाह व कहार की उपजातियां हैं। गौड़ जाति जो रुहेल खंड डिवीजन और कैमूर श्रेणी, जिला मिर्जापुर, के दक्षिण भाग में पाई जाती है अनुसूचित जाति मानी जाती है। सरकार अनुसूचित जाति की सूची बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५२ पर)

रिहन्द पर उत्पादित विद्युत् शक्ति का २५ प्रतिशत मध्य प्रदेश को लागत मूल्य पर दिया जाये।

अथवा

उन्हें रीवां व सतना में २,५०० किलोवाट बिजली ट्रांसमिशन लाइन के साथ बगैर मूल्य के दी जाय और यह भी अधिकार दिया जाय कि बांध से पैदा होने वाली पूरी विद्युत् शक्ति का (Total continuous effective capacity) १० प्रतिशत तक खरीद सकें।

विधान सभा प्रदेश मध्य

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५४ पर)

## संक्षिप्त नोट

सन् १९५३ में भारत सरकार ने चम्बल नदी पर एक बहुउद्देशीय योजना बनाने के लिये अपनी स्वीकृति दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव रखा कि उसको भी बाह तहसील के लिए चम्बल नदी योजना के जल का कुछ हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि सिंचाई के लिये बाह तहसील को चम्बल योजना से सिर्फ पानी मिल सकता था।

मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर राज्य सरकार ने १९५६ में आयोजना आयोग को लिखा कि राज्य सरकार चम्बल जल के दावे को छोड़ने को तैयार है अगर राजस्थान ३०० क्यूसेक्स जल बाह तहसील के सिंचाई के लिये वर्ष भर देता रहे। परन्तु राजस्थान सरकार ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने १९५७ में भारत सरकार को लिखा कि वे कोटा तक चम्बल जल के दावे को छोड़ने के लिये तैयार हैं बशर्ते कोटा से नीचे उनका दावा रहे और राजस्थान सरकार यह वचन दे कि वे कोई नया कार्य हाथ में न लेंगे। भारत सरकार व राजस्थान सरकार से अभी इसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

संसद विधान मंडल

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

UTTAR PRADESH SHASAN

VAN VIBHAG

No. 395/XIV

*Dated Lucknow, April 7, 1959*

**PRESS COMMUNIQUE**

Of late Government have received a number of representations from the members of the Legislature as well as from the public regarding alleged difficulties experienced by the inhabitants of the hill areas in Kumaun with respect to the facilities enjoyed by them from the forests. It has, therefore, been decided by Government to appoint a Committee consisting of the following members to investigate into the grievances of the people :

| | | |
|---|---|---|
| (1) Sri Baldev Singh Arya, Deputy Minister | .. | *Chairman.* |
| (2) Khushal Singh, M. L. C. .. .. | ... | *Member.* |
| (3) Sri Narendra Singh Bhandari, M. L. A. | .. | ,, |
| (4) Sri Mohan Singh Mehta, M. L. A. .. | .. | ,, |
| (5) Sri Lakshman Datt Bhatt, M. L. A. | .. | ,, |
| (6) Sri Narain Dutt Tiwari, M. L. A. | .. | ,, |

Conservator of Forests, Kumaun Circle, will act as Secretary to the Committee.

2. The main subjects for investigation by the Committee will be:

(i) The forest policy in Kumaun in relation to the needs of the local people *vis-a-vis* the development activities of the Forest Department.

(ii) Examination of the grievances of the residents of hill areas in Kumaun in regard to their rights and concessions in forests.

(iii) The question of supply of and rise in the prices of timber, firewood and charcoal in the hill towns.

(iv) General question of grazing facilities in forests.

(v) The question of collection and removal of fallen firewood from the forests.

(vi) The question of deforestation of habitation of landless people.

(vii) Grant of timber, etc. for public utility in Tehri.

(viii) Any other matters connected with the rights of the people in the forests in Kumaun.

3. The Committee should submit their report and recommendations to the Government within a period of four months.

(Sd.) B. S. SETH,
*Sachiv.*

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१–६६२ पर)

सत्याग्रहियों की मांगें--

१--जमीन, मकान, बन्धी, पेड़ तथा कुओं का पूरा मुआवजा एक साथ दिया जाय।

२--प्रत्येक वस्तु का रेट मुआवजा बटने के पूर्व बता दिया जावे।

३--मुआवजा उसी रेट पर मिलना चाहिये जिस पर मध्य प्रदेश के सिरसी ग्राम में दिया गया।

४--३१-७-५८ तक पूर्ण मुआवजा बंट जाना चाहिए।

५--भूमि आवाप्ति अधिकारी का कार्यालय माताटीला में स्थित किया जाय।

६--वर्तमान भूमि आवाप्ति अधिकारी को तुरन्त स्थानान्तरण किया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६५ पर)

### सूची

सीतापुर जिले में पी० डब्लू० डी० के अधिकार में निम्नलिखित मार्ग है:

| | मील | फर्लांग | फीट |
|---|---|---|---|
| (क) कंकड़ के मार्ग .. .. .. | ८६ | ६ | २५४ |
| (ख) डामर (कोलतार) मार्ग .. .. | ७१ | ५ | १९८ |
| (ग) सीमेन्ट कांकरीट मार्ग .. .. | ३० | १ | ५९८ |
| (घ) कच्चे मार्ग .. .. .. | ५० | २ | १३२ |
| (ङ) सी० सी० ट्रैक .. .. | ३४ | ४ | १८२ |
| (च) पत्थर का पक्का मार्ग .. .. | १ | ० | ० |

अध्यक्ष पटेश्वर सभा

# नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६६८ पर)

## उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक १९५९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने तथा अन्य कतिपय प्रासंगिक मामलों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये

### विधेयक

अपेक्षाकृत अधिक खाद्य-उत्पादन तथा भूमि का और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कृषि-प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होने योग्य सार्वजनिक भूमि की नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खतिहर मजदूरों में बांटने, सहकारी खेती करने तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तुरन्त आवश्यकता है;

और ऐसी भूमि पर, जब वह अनधिकृत अध्यासन में हो, पुनः कब्जा प्राप्त करने में विलम्ब पूर्वोक्त सार्वजनिक प्रयोजनों की पूर्ति में बाधक है;

और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा १५ जुलाई, १९५९ को ऐसे व्यक्तियों के, जिनका सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अध्यासन हो, बेदखल करने तथा उससे सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए शीघ्रतर प्रक्रिया की तुरन्त व्यवस्था करने के निमित्त प्रख्यापित किया गया था; उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९५९

और 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान-मण्डल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह व्यतीत होने पर प्रवर्त्तन में न रहेगा और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि वह विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में-- परिभाषाएं

(क) "प्रदेशन" (Allotment) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से, प्रदेशन-गृहीता द्वारा प्रदिष्ट भूमि के उपयोग तथा अध्यासन का अधिकार दिये जाने से है, किन्तु इसके अन्तर्गत पट्टे के रूप में दिया गया अनुदान नहीं है;

(ख) "पट्टा" का तात्पर्य ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा १०५ में यथा पारिभाषित "Lease" से है और उसके अन्तर्गत उसकी कबूलियत भी है; ऐक्ट संख्या ४, १८८२

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

(घ) "सार्वजनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर उस क्षेत्र के लिये जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(ङ) "सार्वजनिक भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, (जिसके अन्तर्गत वन-भूमि भी है) जो राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है:—

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(१) जो उस समय "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" अथवा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन राज्य सरकार के किसी खातेदार के पास हो;

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(२) जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" के उपबन्धों के अनुसरण में गांव समाज में निहित हो गयी हो; अथवा

(३) जिस पर उस समय भूमि के अनधिकृत अध्यासन के पूर्व निर्मित कोई इमारत हो;

यू० पी० ऐक्ट, संख्या १७, १९३९

(च) "लगान" का अर्थ वही होगा जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में "Rent" का दिया गया है;

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, यू० पी० एक्ट संख्या १७, १९३९

(ज) "अनधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य सार्वजनिक भूमि पर किसी व्यक्ति के ऐसे अध्यासन से है जो स्वामी के तदर्थ प्राधिकार के बिना हो और प्रदेशन, पट्टे या अनुदान की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् अथवा प्रदेशन के उसकी शर्तों के अनुसार रद्द कर दिये जाने अथवा पट्टा या अनुदान के उसकी शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् बने रहने वाला अध्यासन भी इसके अन्तर्गत है, भले ही '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम,' यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हुई हो;

(झ) पदावलि "प्रदेशन-गृहीता", "पट्टेदार" अथवा "अनुदान-गृहीता" के अन्तर्गत प्रदेशन-गृहीता, पट्टेदार अथवा अनुदान-गृहीता का, जैसी भी दशा हो, स्वत्व-उत्तराधिकारी भी है; तथा

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(ञ) उन शब्दों तथा पदावलियों के जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, परन्तु जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं, वही अर्थ होंगे जो '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' में दिये गये हैं।

इस अधिनियम के अधीन बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण प्रकट करने के लिये नोटिस का पहले जारी किया जाना

३--(१) यदि सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति के अनधिकृत अध्यासन में हो और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि वह भूमि इस अधिनियम के एक या अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा, उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उसके तामील किये जाने के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी, उस व्यक्ति से इस बात का कारण प्रकट करने के लिये कह सकता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त भूमि से उसकी बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(२) उक्त नोटिस--

(क) वे कारण निर्दिष्ट करेगा जिनके आधार पर बेदखली का आदेश दिये जाने का प्रस्ताव हो; और

(ख) सभी सम्बद्ध व्यक्तियों से, अर्थात् उन सभी व्यक्तियों से जिनका सार्वजनिक भूमि पर अध्यासन है या हो या जो उस भूमि में स्वत्व का दावा करते हों, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण प्रकट करने की अपेक्षा करेगा; और

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका, सार्वजनिक प्राधिकारी की जानकारी में, सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अध्यासन हो, डाक द्वारा भेजा जायगा या दिया जायगा या प्रस्तुत किया जायगा तथा ऐसी अन्य रीति से भी तामील किया जायगा जो नियत की जाय ; और

(घ) खंड (ग) के उपबन्धों के अनुसार तामील किये जाने पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यथाविधि तामील किया गया समझा जायगा।

अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली

४--(१) यदि धारा ३ के अधीन नोटिस के अनुसरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय या यदि आपत्ति प्रस्तुत की जाय परन्तु वह धारा ७ के अधीन व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अभिदिष्ट आपत्ति न हो तो सार्वजनिक प्राधिकारी पक्षों को साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का और सुनवाई का, समुचित अवसर देने के पश्चात्, इस बात का समाधान हो जाने पर कि सार्वजनिक भूमि या उसका भाग अनधिकृत अध्यासन में है, निर्धारण के ऐसे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो नियत किये जायं, ऐसे अध्यासन के लिये हानिपूर्ति निर्धारित कर सकता है और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, बेदखली का आदेश दे सकता है, जिसमें यह निदेश होगा कि सार्वजनिक भूमि या उसका भाग खाली किया जाय और हानिपूर्ति का भुगतान किया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया एकपक्षीय आदेश उसके दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा अनुपस्थिति के लिये पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है, और वह ऐसे समय के भीतर जो समुचित समझा जाय, आपत्ति प्रस्तुत करन की अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत की गई आपत्ति का निस्तारण उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का उसके दिनांक से चौदह दिन के भीतर पालन करने से इनकार करे या उसका पालन न करे तो सार्वजनिक प्राधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किये जायं, हानिपूर्ति को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल कर सकते हैं और उस व्यक्ति को सार्वजनिक भूमि से बेदखल कर सकते हैं और उस पर कब्जा कर सकते हैं तथा उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं जो अवश्यक हो।

(४) धारा ७ की उपधारा (७) में उल्लिखित आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही, सार्वजनिक प्राधिकारी उस दशा में जब भूमि सार्वजनिक भूमि ठहराई गई हो, उपधारा (१) तथा (३) के उबपन्धों के अनुसार हानिपूर्ति के निर्धारण तथा उसकी वसूली की कार्यवाही करेगा और उस व्यक्ति को, जिसका अनधिकृत अध्यासन हो, बेदखल करेगा।

अपील

५--(१) धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो, सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उसे यथासम्भव शीघ्र निस्तारित करेगा। अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी :

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन अपील प्रस्तुत की जाय तो जिला न्यायाधीश धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझे।

अनधिकृत अध्यासियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

६--(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ४ के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक भूमि से बेदखल किया जाय तो सार्वजनिक प्राधिकारी उसे अनुज्ञा देगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश के दिनांक से चौदह दिन से कम न हो और जो सार्वजनिक प्राधिकारी तदर्थ निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान अपनी--

(१) एकत्रित न की गई फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें इकट्ठा करे, या हटाये, तथा

(२) किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निर्धारित अवधि के भीतर, सार्वजनिक भूमि पर एकत्रित न की गयी फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य सम्पत्ति की देखभाल न करे या उसे इकट्ठा न करे या न हटाये, तो सार्वजनिक प्राधिकारी किसी ऐसी फसल या फलों या सम्पत्ति को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है।

(३) यदि कोई सम्पत्ति उपधारा (२) के अधीन बेंच दी जाय तो विक्रय-धन, विक्रय के व्यय तथा धारा ८ के अधीन वसूल करने योग्य लगान के बकाये या हानिपूर्ति के मध्ये राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जायगा जो सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके हकदार प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सार्वजनिक प्राधिकारी यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि उक्त धनराशि का अवशेष किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को देय है या उसका किस प्रकार विभाजन किया जाय तो यह सम्बद्ध पक्षों को निदेश दे सकता है कि वे क्षेत्राधिकार युक्त किसी न्यायालय द्वारा उस मामले का निर्णय करवा लें।

सार्वजनिक भूमि के स्वरूप के सम्बन्ध में आपत्तियां

७--(१) यदि कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि विवाद-ग्रस्त भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है और सार्वजनिक प्राधिकारी की यह सम्मति हो कि वह आपत्ति प्रथम दृष्टया निराधार या तुच्छ नहीं है तो वह उक्त प्रश्न को, इस मामले के तथ्यों तथा विवादास्पद विषय का उल्लेख करते हुए, क्षेत्राधिकार युक्त व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अभिविष्ट करेगा।

(२) उक्त अभिदेश प्राप्त होने पर व्यवहार न्यायाधीश, पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, अभिदेश का निर्णय नीचे लिखे अनुसार करेगा।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन अनुसंधान के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश का सामाधान हो जाय कि उक्त भूमि--

(१) सार्वजनिक भूमि है, तो वह आपत्ति को खारिज कर देगा, या

(२) सार्वजनिक भूमि नहीं है, तो वह आपत्ति को स्वीकार कर लेगा।

(४) यदि उपधारा (५) के अधीन कोई अपील की गई हो तो उसके परिणाम के अधीन रहते हुए, व्यवहार न्यायाधीश का आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा।

(५) उपधारा (३) के अधीन व्यवहार न्यायाधीश के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उसे यथासम्भव शीघ्र निस्तारित करेगा। अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन अपील प्रस्तुत की जाय तो जिला न्यायाधीश उपधारा (३) के अधीन दिये गये आदेश का प्रवर्त्तन ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझे। आदेशों का स्थगन

(७) उपधारा (३) या उपधारा (५) के अधीन आदेश की एक प्रतिलिपि सार्वजनिक प्राधिकारी को भेजी जायगी।

८--(१) यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक भूमि के लिये देय लगान का बाकीदार हो, तो सार्वजनिक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से उसका भुगतान ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में करने की अपेक्षा कर सकता है जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय। लगान आदि की वसूली

(२) उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, तथा उपधारा (१) के अधीन भुगतान के लिये अपेक्षित लगान की धनराशि जमा करने के पश्चात्, उस आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् , उस अपील को यथासम्भव शीघ्र निस्तारित करेगा। अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(३) यदि इस धारा के अधीन भुगतान के लिये अपेक्षित लगान तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर न चुकाया जाय या जमा किया जाय तो वह मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

९--इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति के ऐसा प्रतिकर वसूल करने के अधिकार को न नष्ट करेगी न उसमें हस्तक्षेप करेगी, जो उसे प्रदेशन, पट्टा या अनुदान के रद्द या समाप्त कर दिये जाने पर उस प्रदेशन, पट्टा या अनुदान की शर्तों के अनुसार पाने का हक हो। कतिपय अधिकारों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति

सार्वजनिक प्राधिकारी का अधिकार ऐक्ट संख्या ५, १९०८

१०---इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन वाद पर विचार करते समय किसी व्यवहार न्यायालय (Civil Court) को होते हैं और उसे विशेषतः निम्नांकित अधिकार होंगे ---

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना, तथा

(ख) लेख्यों के निरीक्षण को तथा उनको प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

अन्य विधियों की प्रवृत्ति

११-किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी अन्य विधि के आधार पर सप्रभाव किसी करण (Instrument) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आदेशों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति

१२---इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपति नहीं की जायगी।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति ऐक्ट संख्या ९, १९०८

१३---इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ और धारा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र आपत्तियां तथा अपीलें भी हैं, प्रवृत होंगे।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का बचाव

१४---(१) इस अधिनियम के या इसके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या करने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(२) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के या इसके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या करने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण घटित या सम्भावित किसी हानि के लिये राज्य सरकार या सार्वजनिक प्राधिकारी या, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

१५-(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और पूर्वगामी अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(क) नोटिस का आकार और उसे तामील करने की रीति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) अनधिकृत अध्यासन के लिये हानिपूर्ति निर्धारित करने की रीति और वे सिद्धांत जो ऐसी हानिपूर्ति का निर्धारण करने में ध्यान में रखे जायं ।

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार अपील प्रस्तुत की जा सके और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; तथा

(च) अन्य कोई विषय, जो नियत करना हो या जो नियत किया जा सके ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान-मंडल उनमें करे ।

निरसन उ० प्र० अधि-नियम संख्या २९,१९५३

१६—(१) उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ निरस्त किया जाता है ।

उ० प्र० अध्यादेश सं०४,१९-५९ यू०पी० ऐक्ट संख्या १,१९०४

(२) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली ) अध्यादेश, १९५९ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट ,१९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानो वह (अध्यादेश) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित अधिनियमिति (enactment) हो ।

वैधीकरण

१७—इस अधिनियम की धारा १६ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली )अध्यादेश, १९५९ के निरस्त हो जाने पर भी —

(क) सभी मामलों में उक्त अधिनियम या उक्त अध्यादेश के अधीन की गई सभी कार्यवाहियां ,दिये गये सभी आदेश तथा आरम्भ की गयी सभी कार्यवाहियां, चाहे उनका निस्तारण हो गया हो या वे विचाराधीन हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार की गई कार्यवाहियां, दिये गये आदेश और आरम्भ की गई कार्यवाहियां, जैसी भी दशा हो, समझी जायंगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त अधिनियम या अध्यादेश के अधीन ऐसी सभी कार्यवाहियां तथा अपीलें जो उक्त अधिनियम या अध्यादेश के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व प्रारम्भ की गई हों अथवा उक्त दिनांक पर विचाराधीन हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार कार्यवाहियों के रूप में, यथास्थिति, जारी रहेंगी, सुनी जायंगी और निर्णीत की जायंगी,

मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो ।

## उद्देश्य तथा कारण

वीर प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की लेख-याचिका (Writ Petition) संख्या ९८८,सन् १९५६ में उच्च न्यायालय ने २४ अप्रैल, १९५९ के अपने आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम १९५३ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २९,१९५३) को संविधान के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध होने के आधार पर राज्य की विधायिका शक्ति के परे घोषित किया। क्योंकि नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर तथा शाहजहांपुर के जिलों में लगभग २०,००० एकड़ सरकारी भूमि (जिसके अन्तर्गत वन भूमि भी है) राय सिक्खों, जाट सिक्खों, ब्रिख सिक्खों और कम्बू सिक्खों के, अनधिकृत कब्जे में थी। इसलिये सरकारी भूमि के अनधिकृत अध्यासन को आगे के लिये रोकने तथा वर्तमान अनधिकार प्रवेशकों की उससे बेदखली सुनिश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया। उच्च न्यायालय ने अपने उपर्युक्त निर्णय में जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया था, उन्हें इस अध्यादेश में दूर कर दिया गया। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अपेक्षाकृत अधिक खाद्य उत्पादन तथा भूमि का और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियोजित उपयोग, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने, सहकारी खेती करने तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक भूमि से अनधिकार प्रवेशकों को बेदखल करने के हेतु शीघ्रतर प्रणाली की तुरन्त व्यवस्था करना आवश्यक है। इससे वर्गीकरण के लिये समुचित आधार की व्यवस्था हो जायगी, जिससे कि नयी विधि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध न हो।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति वसूली) विधेयक, १९५९ का आशय ऊपर निर्दिष्ट अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।

हुकुम सिंह बिसेन,
न्याय मंत्री।

संसदीय प्रदेश

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ के ऐसे उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन—पत्र जिनमें विधायन—अधिकार का प्रतिनिधान अन्तर्निहित हैं।

---

विधेयक के विभिन्न खंडों के ऐसे उपखंडों का, जिनमें विधायन —अधिकारों का प्रतिधान अन्तर्निहित हैं तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

| क्रम-संख्या | खंड | उपखंड | विधायन अधिकार |
|---|---|---|---|
| | | | (क) नोटिस का आकार और उसे तामील करने की रीति [खंड ३ का उपखंड (१) और (२) (ग)]। |
| | | | (ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना [खंड ३ का उपखंड (१) और खंड ४ का उपखंड (१) तथा खंड १०]। |
| | | | (ग) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया [खंड ३ का उपखंड (१), खंड ४, ६ तथा ८]। |
| | | | (घ) अनधिकृत अध्यासन के लिये हानिपूर्ति निर्धारित करने की रीति और वे सिद्धान्त जो ऐसी हानिपूर्ति के निर्धारण करने में ध्यान में रखे जायं [खंड ४ का उपखंड (१)]। |
| | | | (ङ) वह रीति जिसके अनुसार अपील प्रस्तुत की जाय तथा अपीलों मे अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (खंड ५ तथा ७)। |
| | | | (च) अन्य कोई विषय, जो नियत करना हो या जो नियत किया जा सके। |

---

विधायन—अधिकारों के प्रतिनिधान के उपर्युक्त प्रस्ताव प्रक्रिया-सम्बन्धी तथा सामान्य प्रकार के हैं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३७ एल० ए० १९५९—८४५।